लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड १, १९६२/१८८४ (शक)

[१६ से २७ अप्रैल, १९६२/२६ चैत्र से ७ वैशाख, १८८४ (शक)]

Chamber ... 18/X/23

3rd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation 14-5-92
Fumigated On 3.12.83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड १ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

तृतीय माला, खण्ड १--अंक १ से १०--१६ से २७ अप्रैल, १९६२/ २६ चैत्र से ७ वैशाख, १८८४ (शक)

अंक १--सोमवार, १६ अप्रैल, १९६२/२६ चैत्र, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१--१६
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	१६
दैनिक संक्षेपिका	१७

अंक २--मंगलवार, १७ अप्रैल, १९६२/२७ चैत्र, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१९-२०
अध्यक्ष का निर्वाचन	२०
अध्यक्ष का अभिनन्दन	२०--२९
दैनिक संक्षेपिका	३०

अंक ३--बुधवार, १८ अप्रैल, १९६२/२८ चैत्र, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	३१
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	३१
राष्ट्रपति का अभिभाषण सभा पटल पर रखा गया	३१--३५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३५-३६
दैनिक संक्षेपिका .	३७-३८

अंक ४--गुरुवार, १९ अप्रैल, १९६२ / २९ चैत्र, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	३९
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ११२, २१, २२, ३ से ११ और १३	४०--६२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १	६२-६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १२, १४ से २० और २३ से ४२	६४--७६
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ६ और ८ से १९	७६--८४
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	८४-८५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
अन्दमान द्वीप समूह में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	८५--८७

	पृष्ठ
प्रक्रिया के बारे में	८७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८७–८८
सभापति-त्रालिका	८८
रेलवे आयव्ययक, १९६२–६३——उपस्थापित	८८——९५
राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन के बारे में वक्तव्य	९५
दैनिक संक्षेपिका	९६——९९
अंक ५——शनिवार, २१ अप्रैल, १९६२/१ वैशाख, १८८४ (शक)	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१०१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ४८, ५०, ५१, ५५, ५२ से ५४ और ५६ से ५९	१०१——२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ४९ और ६० से ७९	१२३–३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २० से ६६	१३२——५०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१५१
प्राक्कलन समिति——	
एक सौ उनहत्तरवां प्रतिवेदन एक सौ सतरवां प्रतिवेदन एक सौ इकहत्तरवां प्रतिवेदन एक सौ बहत्तरवां प्रतिवेदन	१५१–५२
सभा का कार्य	१५२
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	१५२——६४
मृत्यु दंड को समाप्त करने के बारे में संकल्प वापस ले लिया गया	१६५——८१
जनता एक्सप्रेस गाड़ियों के बारे में संकल्प	१८२——८३
दैनिक संक्षेपिका	१८४——८८
अंक ६——सोमवार, २३ अप्रैल, १९६२/३ वैशाख, १८८४ (शक)	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१८९
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०, ८१ और ८३ से ९४	१८९——२११
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२, ९५ से १२२ और १२४ से १३१	२१२——२९
अतारांकित प्रश्न संख्या ६७ से १२६	२२९——५६
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	२५६–५७

	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में	२५७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२५८—५६
उपाध्यक्ष का निर्वाचन	२५६—६२
उपाध्यक्ष का अभिनन्दन	२६३—६५
रेलवे आय व्ययक—सामान्य चर्चा	२६५—२८८
सामान्य आयव्ययक, १९६२–६३—उपस्थापित	२८८—३०६
वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२—पुरःस्थापित	३०६
दैनिक संक्षेपिका	३०७—१३
अंक ७—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९६२/४ वैशाख, १८८४ (शक)	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	३१५
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३२ से १४७	३१५—४२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	३४२—४४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६१	३४५—५१
अतारांकित प्रश्न संख्या १२७ से १४०	३५१—५७
संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु परीक्षणों को पुनः आरम्भ करने के प्रस्तावित निश्चय के बारे में; तथा नागा विद्रोहियों द्वारा पकड़े गये भारतीय वायु सेना के अधिकारियों के बारे में वक्तव्य	३५७—५९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
मालदा जिले के सीमांत क्षेत्रों में उपद्रव	३६०
सभा की कार्यवाही का तत्काल अनुवाद करने के बारे में	३६०—६१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३६१
राज्य सभा से सन्देश	३६१
भेषज (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	३६२
सभा में स्थानों के नियतन के बारे में	३६२
धनबाद के निकट हुई रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	३६२—६३
रेलवे आयव्ययक—सामान्य चर्चा	३६३—८५
दैनिक संक्षेपिका	३८६—८८

पृष्ठ

अंक ८—बुधवार, २५ अप्रैल, १९६२/५ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३८९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १६३ से १७१, १७३, १७६ और १७७. ३८९--४१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १६२, १७२, १७४, १७५ और १७८ से १९५ ४१०–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १६४, १६६ से १६८ और १७० से १८२ ४२१--३६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३६

समितियों में निर्वाचन--

१. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ४३७

२. भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति ४३७

३. राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ४३७–३८

४. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था ४३८

सभा की कार्यवाही का तत्काल अनुवाद के बारे में ४३८–४०

रेलवे आयव्ययक--सामान्य चर्चा ४४०–८६

दैनिक संक्षेपिका ३८७—९०

अंक ९--गुरुवार, २६ अप्रैल, १९६२/६ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९६ से १९८, २०० से २०६ और २०८ से २१० ४९१--५१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९९, २०७ और २११ से २३२ ५१४--२५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८४ से १८७ और १८९ से २२२ ५२५--४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नामरूप उर्वरक परियोजना के लिये भूमि का अर्जन ५४१–४२

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५४२--४५

समितियों के लिये निर्वाचन--

प्रौद्योगिकीय संस्था अधिनियम के अधीन परिषद् ४४५

भारतीय खान स्कूल की प्रशासकीय परिषद् ५४५–४६

रेलवे आयव्ययक—सामान्य चर्चा ५४६--६७

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ५६७--८४

दैनिक संक्षेपिका ५८५--९०

पृष्ठ

अंक १०—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९६२ / ७ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ५९१

प्रश्नों के मौखिक उतर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३३ से २३९, २४१ और २४३ से २५३ ५९१—६१८

प्रश्नों के लिखित उतर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०, २४२ और २५४ से २६८ ६१८—२५

अतारांकित प्रश्न संख्या २२३ से २४९ ६२६—३९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बिहार में सीमेंट की कमी ६३९–४०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६४०–४१

सभा का कार्य ६४१–४२

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) रबड़ बोर्ड ; और ६४२

(२) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ६४२–४३

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ६४३–५१, ६५६–६३

विधेयक पुर:स्थापित—

(१) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा ३४२ और ५६२ का संशोधन **[श्री म० ला० द्विवेदी का]** ६५१–५२

(२) कारखाना (संशोधन) विधेयक, (नई धारा ९क का रखा जाना) **[श्री स० चं० सामन्त का]** ६५२

(३) विधान परिषद् (रचना) विधेयक, **[श्री श्रीनारायण दास का]**. ६५२

(४) असैनिक उड्डयन (लाइसेंस देना) विधेयक, **[श्री जं० ब्र० सिंह विष्ट का]** ६५३

(५) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक (धारा ६८ और ६९ का संशोधन) **[श्री स० चं० सामन्त का]** ६५४

(६) सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक, (धारा ५ का संशोधन) **[श्री जं० ब्र० सिंह विष्ट का]** ६५४

(७) व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा ८७ख का लोप) **[श्री म० ला० द्विवेदी का]** ६५५

(८) जमा करने और अनुचित लाभ उठाने को रोकना विधेयक, **[श्री म० ला० द्विवेदी का]** ६५५

पृष्ठ

(९) नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक, (धारा १०, २०, २१ और २६ का संशोधन) **[श्री स० च० सामन्त का]** ६५५

(१०) चल-चित्र उद्योग कामकर (काम की दशा में सुधार) विधेयक **[श्री जं० ब्र० सिंह विष्ट का]** ६५६

(११) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, (नई धारा २३क का रखा जाना) **[श्री ज० ब्र० सिंह विष्ट का]** ६५६

दैनिक संक्षेपिका ६६४—६८

नोट—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

गुरुवार, २६ अप्रैल, १९६२
६ वैशाख, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नोटों आदि का कागज बनाने वाला कारखाना

+

†*१९६. { पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विद्याचरण शुक्ल : }

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशंगाबाद में एक ब्रिटिश फर्म के सहयोग से नोटों आदि का कागज बनाने वाला एक कारखाना स्थापित किया जाने वाला है ;

(ख) देश में नोटों के कागज की कितनी आवश्यकता है ; और

(ग) इस प्रस्तावित कारखाने की निर्धारित क्षमता कितनी है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** : (क) जी, हां ।

(ख) देश को इस समय साल भर में लगभग २१०० टन नोट के कागज और बैंक नोट पेपर की आवश्यकता होती है और यह सारा कागज़ आयात किया जाता है तथा लगभग ७०० टन नोटों के कागज की अन्य किस्मों का भी आयात किया जाता है ।

(ग) नोटों के कागज के इस कारखाने की निर्धारित क्षमता प्रतिवर्ष २०३२ टन नोटों का कागज और बैंक नोट पेपर होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : : आयात किये जाने वाले कागज का मूल्य कितना है ? इस कागज को आयात करने में हमें कितना खर्च करना पड़ता है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : आयात किये जाने वाले नोटों के कागज और बैंक नोट पेपर का मूल्य १.६ करोड़ रुपये है ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : : इस मिल का उत्पादन कब शुरू होगा ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह मिल सितम्बर, १९६४ के आसपास उत्पादन आरम्भ कर देगी ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि उसका जो पल्प होगा वह बाहर से आयेगा या उसको हिन्दुस्तान से लिया जायेगा ? सफेद हैम्प के समान ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इसके लिये मुझे सूचना चाहिये कि इसका पल्प कहां बनेगा ?

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : इस कारखाने की स्थापना के लिये ब्रिटिश फर्म से सहयोग का करार करने से पहले क्या सरकार ने किसी भी भारतीय कागज निर्माता से परामर्श लिया था ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस मामले पर विचार किया गया था और चूंकि इस कागज के बनाने की प्रक्रिया अत्यन्त टैक्निकल और जटिल है इसलिये सरकार ने इस मिल को स्थापित करने का निर्णय किया क्योंकि उस समय कोई निजी फर्म इसकी स्थापना करने के लिये तैयार नहीं थी ।

†**श्री वारियर** :क्या यह मिल देश के इस प्रकार के कागज की पूरी आवश्यकता पूरी करेगी या कि उसका उत्पादन आवश्यकता से अधिक होगा ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह मिल पूरी आवश्यकत्ता को तो नहीं किन्तु उसे एक बड़ी हद तक पूरा कर देगी ।

†**श्री यलमन्दा रेड्डी** : चूंकि ब्रिटिश फर्म के सहयोग से कागज बनाया जा रहा है तो इसमें सिक्यूरिटी (सुरक्षा) किस प्रकार की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस मिल में जो कागज बनेगा वह नोट आदि छापने के लिये काम में लाया जायेगा । उस कागज में कोई सिक्यूरिटी नहीं है ।

†**श्री यलमंदा रेड्डी** : जब ब्रिटिश फर्म से सहयोग लिया जा रहा है तो उसमें गुप्तता कहां रह जाती है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

श्री ब० रा० भगत : जिस फर्म से सहयोग लिया जा रहा है वही हमें इस समय यह कागज दे रही है । सुरक्षा की बात इसलिये आती है कि वही एक फर्म है जो इस प्रकार के कागज का सम्भरण करती है । और कोई व्यक्ति यह कागज नहीं बना सकेगा । सुरक्षा की बात इतनी ही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान से डकैतियां

†*१९७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय डकैतों के कितने गिरोह पाकिस्तान में टिकाये गये हैं या रह रहे हैं और वहां रहते हुए भारतीय क्षेत्र में डाके डालते हैं ;

(ख) क्या इस विषय पर पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या जगमल के एक दल ने हाल में जोर पकड़ा है और राजस्थान में डाके डाले हैं; और

(घ) क्या इन दलों द्वारा १९६१–६२ में डाले गये डाकों के बारे में एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) ऐसे लगभग १५ गिरोह हैं ।

(ख) सीमा पर पुलिस अफसरों के सम्मेलनों में इन गिरोहों को पकड़ने और समाप्त करने के प्रश्न पर कई बार चर्चा की गई है किन्तु अब तक के परिणाम कोई विशेष उत्साहवर्धक नहीं हैं ।

(ग) जगमल के गिरोह ने राजस्थान में मार्च, १९६२ में कुछ डाके डाले हैं ।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री हरिश्कन्द्र माथुर** : क्या माननीय मन्त्री ने इस प्रश्न और विशेषकर, ऐसे कुख्यात अपराधियों के प्रत्यर्पण के बारे में कार्यवाही पुलिस अधिकारियों पर छोड़ देने के बजाय पाकिस्तान के सम्बन्धित मन्त्री से कोई विचार-विनिमय किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : जी, नहीं । ये चर्चायें अधिकारियों के स्तर पर हुई हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस प्रश्न पर अधिकारियों के स्तर पर पिछले दस साल से चर्चायें हो रही हैं लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिली है । हमें इस सभा में आश्वासन दिया गया था कि प्रत्यर्पण के प्रश्न को लेकर पाकिस्तान सरकार से पूछताछ आदि की जा रही है । इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और माननीय मन्त्री ने अपने स्तर पर कार्यवाही करना क्यों आवश्यक नहीं समझा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह तो बता ही दिया गया है कि प्रगति सन्तोषजनक नहीं है । किन्तु यह सब वातावरण पर निर्भर करता है और जब मुझे यकीन हो जायेगा कि सफलता मिल सकती है तो मैं अपने स्तर पर इस मामले को उठाऊंगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह सच है कि पाकिस्तान के ये डकैत भारतीय नागरिकों से सांठ-गांठ किये हुए हैं और यदि हां, तो ऐसे नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिये क्या कुछ किया गया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : वे भारत के नागरिक हो सकते हैं किन्तु यदि माननीय सदस्य उनका उल्लेख "भारतीय डकैतों के गिरोह" कह कर करें तो ज्यादा अच्छा होगा । हम आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : वे डकैतों के गिरोह हो सकते हैं किन्तु वे भारतीय नागरिक हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** आज के समाचार पत्रों से यह ज्ञात होता है कि पन्द्रह हजार का माल लेकर पाकिस्तानी डकैत भाग गए और उनमें से चार हिन्दुस्तानी पकड़े गए। मैं यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तानियों को क्यों नहीं पकड़ा गाया है और आइन्दा उन को पकड़ने के लिये क्या कोई अधिक सुरक्षा का प्रबन्ध किया जायगा।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : पाकिस्तानी डकैत अगर चोरी कर के भाग गए, तब तो हमारे पकड़ने की बात नहीं है।

श्री म० ला० द्विवेदी : वे हमारी टैरीटोरी के चार पांच मील के अन्दर से चोरी करके भाग गए।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** हम अपने यहां के डकैतों को, जो कि चोरी करके भाग जाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं। इसलिये हम इन को भी और पाकिस्तानी डकैतों को भी पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं जिन को पकड़ सके हैं। उन को हमने पकड़ा है और जिन को नहीं पकड़ सके, वे भाग गए।

†**श्री हेम बरुआ :** पाकिस्तान के ये डकैत तथा तस्कर सीमा पर बड़ी आसानी से अपना काम करते हैं और आज के समाचारपत्रों ने प्रकाशित किया है कि वे हिरनवाली में हमारे क्षेत्र में कोई साढ़े पांच मील अन्दर आ गये हैं इस बात को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि हमारी जो पुलिस वहां तैनात है क्या उसने उन पर कभी गोलियां चलाई हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या उन की हमारी पुलिस से ऐसी कोई मुठभड़ हुई है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मैं ब्यौरा तो नहीं दे सकता किन्तु यह कह सकता हूं कि डकैतों के लगभग १५ गिरोह थे जिन में से छः का बिल्कुल सफाया कर दिया गया है। इससे देखा जा सकता है कि निश्चित कार्यवाही की जा रही है और की जायेगी।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सच है कि सरकार प्रत्यर्पण की किसी संधि या करार के बारे में पिछले पांच साल से पाकिस्तान सरकार से बातचीत कर रही है और यदि हां, तो पाकिस्तान इस विषय के प्रति उदासीन क्यों है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यह प्रश्न मुझ से नहीं बल्कि पाकिस्तान से पूछा जाना चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** इस बात को देखते हुए कि पाकिस्तान ने असहयोग का रवैया अपनाया है और हम उससे कोई आशा नहीं कर सकते, मैं जानना चाहता हूं कि हम अपनी पुलिस शक्ति बढ़ाने और इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने के लिये क्या कर रहे हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** राजस्थान सरकार ने अपनी पुलिस शक्ति में काफी वृद्धि की है और उसने सीमा पर तैनात पुलिस की शक्ति बढ़ाने के लिये भी निश्चित कार्यवाही की है। आवश्यक कार्यवाही की जायेगी और यदि राज्यों को केन्द्र से सहायता की आवश्यकता हो तो उस पर भी विचार किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनियों द्वारा भारतीय सीमा का अतिक्रमण

+

*१६८. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बाल्मीकी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में चीनी वायुयानों द्वारा भारतीय वायु-सीमा के अतिक्रमण की कुछ नई घटनायें हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) तथा (ख). १५ मार्च, १६६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६ के उत्तर दिये जाने के पश्चात्, चीनी वायुयानों द्वारा, भारतीय वायु-सीमा के, किसी अतिक्रमण की रिपोर्ट नहीं मिली ।

श्री भक्त दर्शन : अतिक्रमण की कोई घटनायें नहीं हुईं क्या इसका अर्थ यह है कि हमारी वायु सेना पहरा देने में सफल रही है या कि चीन सरकार की नीति में ही कोई परिवर्तन हुआ है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** प्रश्न तो यह था कि क्या अतिक्रमण की कोई घटनायें हुई हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार का ध्यान चीन द्वारा लगाये गये इस आरोप की ओर गया है कि हमारे विमान जानकारी प्राप्त करने और सीमा पर स्थित चीन की सेना को परेशान करने के लिये जाते हैं और सीमा का अक्सर उल्लंघन करते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न चीन द्वारा अतिक्रमण के बारे में है जबकि माननीय सदस्य पूछते हैं कि क्या हम ने कोई अतिक्रमण किया है ?

†**श्री हेम बरुआ :** श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न संगत है क्योंकि उन्होंने हम पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कठिनाई इतनी ही है कि सम्बन्ध तो अनेक बातों का हो सकता है किन्तु उन सभी को यहां किसी विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में उठाना संभव नहीं है । हमें किसी प्रश्न से निकट सम्बन्ध रखने वाली बातों को ही उठाना चाहिये अन्यथा ऐसी बातों का कोई अन्तर ही नहीं होगा ।

†**श्री हेम बरूआ** : मेरा नम्र निवदन है कि मैं आपके आदेश का पालन करूंगा किन्तु यह एक ऐसी बात है जिसे इस प्रश्न से अलग नहीं किया जा सकता । क्या हम ऐसी दो बातों में विभेद नहीं कर सकते जिन में से एक तो सम्बन्धित हो और दूसरी अलग न की जा सके ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं । श्री हरि विष्णु कामत ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच है कि चीन ने अतिक्रमण की घटनाओं को रोकने के लिय सीमा पर वायु-सीमा पर संयुक्त निगरानी रखने के लिय हाल में सरकार कोकोई नयी योजना प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह प्रश्न सर्वथा भिन्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, इसका मूल प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या यह सच है कि विमानों को मार गिराने वाली रड़ार-नियंत्रित तोपें जट विमानों पर नियंत्रण नहीं रख सकतीं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मुझे खेद है कि मैं हमारी वायु सेना की प्रतिरक्षा शक्ति के बारे में जानकारी देने में असमर्थ हूं ।

†**श्री नाथ पाई** : हमारी कोई शक्ति भी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह था कि क्या ये तोपें जेट विमानों पर नियंत्रण रख सकती हैं ? क्या इसका उत्तर दिया जा सकता है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : हमारी प्रतिरक्षा शक्ति पर्याप्त है या नहीं या उसकी शक्ति कितनी है यह मैं कैसे कह सकता हूं ?

इनामी बांडों की बिक्री

+

†*२००. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री श्री नारायण दास :
श्री बासप्पा :
श्री अंजनजप्पा :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या इनामी बांडों की बिक्री जुलाई, १९६२ से बन्द कर दी जायगी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). जी, नहीं। सरकार का इनामी बांडों की बिक्री बन्द करने का इरादा नहीं है । निर्णय यह किया गया है कि जिन इनामी बांडों की राशि का भुगतान १ अप्रैल, १९६२ को किया जाना है वे जून, १९६१ के बाद न बेचे जायें और उनके एवज में नय इनामी बांड जारी किय जायें जिनकी राशि का भुगतान तीसरी योजना की समाप्ति के बाद किया जायगा ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि प्राइज़ बांड्ज़ की अब तक कितनी सेल हुई है और कितने प्राइजिज़ ऐसे हैं जिन को अब तक लोगों ने नहीं लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : १९६०–६१ में करीब १५·७५ करोड़ रुपये के प्राइज़ बांड बिके हैं और १९६१–६२ में करीब ३·१३ करोड़ के बिके हैं। मेरे पास वे सारे आंकड़े नहीं हैं कि कितने प्राइजिज़ लिये नहीं गये हैं। पर करीब ४० से ५० प्रतिशत तक इनाम लोग ले रहे हैं।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इनामी बांड बहुत कम बिके इसका क्या कारण है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इसके कई कारण हैं। एक कारण तो शायद यह है कि योजना का नाविन्य समाप्त हो गया है। दूसरा शायद यह है कि इनामों की सूची में वे बांड भी शामिल हैं जो बिके नहीं हैं। और भी कारण हैं किन्तु प्रश्नकाल में उनका उल्लेख आवश्यक नहीं है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या यह सच है कि इनामी बांडों की बिक्री घटने का कारण यह है कि पिछले दो बार के इनाम अधिकांशतः उन बांडों को मिले जिनके सम्बन्ध में किसी ने दावा नहीं किया ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुकी हूं। जो बांड बिक्री के लिये नहीं होते उन्हें मिले इनाम तथा इनामी बांडों की पर्ची डालने के दो महीने पूर्व बेचे गये बांडों पर मिले इनाम प्राप्त नहीं किये जा सकते। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि जिन इनामों की घोषणा की गई वे नहीं दिये जाते या जो लोग इनाम पाने के हक़दार हैं उन्हें इनाम नहीं दिये जाते।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या यह सच है कि इनामी बांड उतने लोकप्रिय नहीं हुए जितना कि सरकार ने सोचा था ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** हम ने यह योजना इस ख्याल से शुरू की थी कि इनामी बांड लोकप्रिय होंगे किन्तु हम देखते हैं कि उनकी बिक्री घट गई है और इसलिये भविष्य में इनामी बांड को अधिक आकर्षक बनाने के लिये हम और कदम उठाने का इरादा रखते हैं।

कुछ माननीय सदस्य उठे––

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं देखता हूं कि पूरक प्रश्न पूछे जाते ही और भी नये सदस्य खड़े रहते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** उन्हें दिलचस्पी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो ठीक है लेकिन इससे मुझे कठिनाई होती है। यदि वे मूल प्रश्न का उत्तर दिये जाने के बाद खड़े हों तो मैं उनकी तरफ ध्यान दे सकता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि नये सदस्यों में अधिक उत्साह है किन्तु मुझे भी यह देखना होता है कि अधिक से अधिक सदस्यों को मौका मिले।

---

†मूल अंग्रेजी में

असम में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

+

*२०१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में भारतीय सीमाओं को अवैध रूप से लांघ कर जो पाकिस्तानी बड़ी मात्रा में प्रवेश कर गये थे उनकी जांच का कार्य क्या पूरा हो गया है ;

(ख) कितने पाकिस्तानी नागरिक असम में रह रहे हैं, क्या इसका अब तक कोई पता लगाया गया है ;

(ग) इन पाकिस्तानी नागरिकों को वहां से हटाने और भविष्य में इस प्रकार के अतिक्रमण की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) क्या यह भी सत्य है कि कुछ पाकिस्तानी नागरिकों ने असम में जाकर भारतीय नागरिकता के अधिकार प्राप्त कर लिये थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). जी हां । पिछले दस वर्षों में मुसलिम जन संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है । इस बढ़ोतरी के कई कारण हो सकते हैं, परन्तु इसका आंशिक कारण पूर्वी पाकिस्तान से लोगों का प्रव्रजन भी हो सकता है ।

(ग) इस सम्बन्ध में जो कार्यवाहियां पहले की जा चुकी हैं, तथा की जा रही है, उनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(१) उपयुक्त विधिनियमों के अधीन चालान तथा देश निकाला करना ;

(२) सीमान्त आउट पोस्ट्स तथा चैक पोस्ट्स को अधिक सशक्त बनाना ;

(३) सीमान्त आउट-पोस्ट द्वारा अधिक गश्तें किया जाना ।

(घ) असम में सरकार से पूछताछ की गई है । सूचना अभी प्राप्त होनी है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: क्या मैं जान सकता हूं कि यह जांच कार्य कब से आरम्भ हुआ था, और अब तक की जांच के परिणामस्वरूप सरकार किस निश्चय पर पहुंची है ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): जांच पिछले तीन चार महीनों से हो रही थी । अब जांच के पूरे होने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, जैसा कि जवाब में कहा गया था, कि वहां आबादी में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन अभी ठीक नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि किन कारणों से ऐसा है । ऐसा कुछ अन्दाजा हुआ है । लेकिन हम चाहते हैं कि इस को और पक्का कर लें तब माननीय सदस्य को इस की सूचना दें ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जैसा माननीय मंत्री जी ने बतलाया, असम के अन्दर जनसंख्या में वृद्धि हुई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे कुछ इस प्रकार के आंकड़े उपस्थित करेंगे कि कितनी वृद्धि हुई है । इस सम्बन्ध में जांच का क्या परिणाम निकला ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री लाल बहादुर शास्त्री: असम में जो पूरी वृद्धि हुई है वह करीब ३४.४२ प्रतिशत है। उस में मुसलमानों का ३८.५६ प्रतिशत है। यानी इस को आप ३८ फी सदी समझ लीजिये या ३९ फी सदी समझ लीजिये। हिन्दुओं की ३३.९४ फी सदी है और ईसाई जो लोग हैं वे लगभग ५६.८२ फी सदी हैं।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या आसाम के कुछ जिम्मेदार लोगों ने इस बात के आरोप लगाये हैं कि इस मामले में आसाम में सरकारी कर्मचारी साम्प्रदायिक व्यवहार कर रहे हैं और यदि हां, तो क्या इन आरोपों की जांच की गयी है और क्या तथ्य पता लगे हैं?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** ऐसे कोई आरोप नहीं लगाये गये हैं और न हमको भेजे गये हैं। मुझे पता नहीं है कि आसाम में क्या वक्तव्य दिये गये। यदि ऐसा कोई वक्तव्य दिया गया तो इस पर कार्यवाही करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या इस अवैध प्रवेश को रोकने के लिये आसाम सरकार ने कोई प्रस्ताव पेश किया है? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री:** आसाम सरकार से हमें कुछ प्रस्ताव मिले हैं और हम इस बात पर सहमत हो गये हैं कि उन प्रस्तावों को क्रियान्वित किया जाये। हमने यह भी कहा है कि इन प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिये भारत सरकार उनको आवश्यक वित्तीय सहायता देगी।

†**श्री बसुमतारी:** क्या यह सच है कि आसाम के कुछ भागों में यह आरोप लगाया गया है कि वर्तमान राज्य सरकार अवैध प्रवेश के आंकड़ों का वास्तविक तौर पर पता लगाने की स्थिति में नहीं है और उस शिकायत को दूर करने के लिये आंकड़ों का पता लगाने के लिये क्या भारत सरकार ने कोई कदम उठाये हैं?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यह सच है कि जनगणना के आंकड़ों का हमें हिसाब लगाना है और राज्य सरकार के लिये इस बारे में ठीक आंकड़े बताना कठिन है। परन्तु अब हमारे पास ये आंकड़े हैं और अब हम आवश्यक जानकारी राज्य सरकार को, उनके विचारार्थ, भेज रहे हैं।

†**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** सरकार को उन पाकिस्तानी राष्ट्रजनों, जिन्होंने भारतीय नागरिकता के अधिकार प्राप्त कर लिये हैं, की संख्या का कब तक पता चलेगा?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** हम यह आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं परन्तु ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान सरकार आसाम में अवैध प्रवेश को प्रोत्साहन दे रही है ताकि आसाम एक मुस्लिम प्रदेश बन जाये और फिर उसको पाकिस्तान में मिला लिया जाये?

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री हेम बरुआ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि छानबीन (स्क्रीनिंग) के दौरान उन व्यक्तियों को बड़ा कष्ट दिया जा रहा है जो पूर्व पाकिस्तान से आये हैं और आसाम में स्थायी तौर पर बस गये हैं?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : उन व्यक्तियों को कष्ट जो पूर्व पाकिस्तान से आये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ व्यक्ति यहां आये और यहां पर स्थायी रूप से बस गये और नागरिकता अधिकार भी प्राप्त कर लिये परन्तु उनको हमारी सरकार अनावश्यक कष्ट दे रही है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : ऐसा नहीं है । जो वैध पर्मिट लेकर आये हैं उनको पर्मिट की अवधि समाप्त होने तक ठहरने दिया जाता है । परन्तु यदि वे अवधि से अधिक समय तक ठहरते हैं, तो कार्यवाही करनी ही पड़ेगी । हम यह नहीं चाहते कि वे लोग यहां आकर उस अवधि से अधिक ठहरें जितनी अवधि के लिये उन्हें ठहरने की इजाजत दी गयी है ।

पाकिस्तान से कोयला

†*२०२. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मुरारका : }

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और राजस्थान के ईंटें बनाने के उद्योग की ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पाकिस्तान से घटिया किस्म के कोयले के आयात का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) क्या देश में इस प्रकार के कोयले का अभाव है ; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग) ईंटें पकाने के लिये निम्न श्रेणी के कोयले की कोई कमी नहीं है । इस किस्म के कोयले का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है । पंजाब और राजस्थान आदि में उपभोक्ता केन्द्रों में रेलवे परिवहन की कठिनाइयों से कमी होती है, विशेषत: क्योंकि वैगनों के आवंटन के लिये ईंटें पकाने के कोयले को सब से नीचे प्राथमिकता दी जाती है ।

दिसम्बर, १९६१ में हुए पिछले भारत-पाकिस्तान व्यापार पर्यवेक्षण के दौरान पाकिस्तान सरकार ने भारत के उत्तरी भागों को प्रति मास ईंटें पकाने का १०,००० टन कोयला निर्यात करने का प्रस्ताव किया था । इस प्रस्ताव को पाकिस्तानी कोयले की अधिक लागत के कारण मंजूर नहीं किया जा सका ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या हमारे देश में कोयले की कमी को पूरा करने के लिये पाकिस्तान से किसी किस्म, निम्न, मध्यम और उच्च श्रेणी, का कोयला हमें निर्यात किया जा रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अभी तक हमने पाकिस्तान से कोयले का आयात नहीं किया है ।

†**श्री ओझा** : क्या भारत सरकार कोयले का आयात करने के लिये पोलैण्ड की सरकार से बातचीत कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न पाकिस्तान के बारे में है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री मुरारका :** उत्तर भारत में, विशेषत: पंजाब और राजस्थान में निम्न श्रेणी के कोयले की आवश्यकता पूरी करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री के० दे० मालवीय:** सरकार खान क्षेत्रों से दूर के क्षेत्रों में कोयला ले जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। हमें आशा कि शीघ्र ही स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा। अभी मैं केवल इतना कह सकता हूं कि रेलवे परिवहन पर जोर दिया जा रहा है ताकि यह पता लग सके कि हम रेल द्वारा कोयले के परिवहन में कितना सुधार कर सकते हैं।

†**श्री का० रा० गुप्त :** क्या राजस्थान में कोयले के परिवहन की मुख्य कठिनाई बड़ी लाइन से मीटर गेज पर माल भेजने की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह बिलकुल भिन्न बात है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस बात के लिये कोई विस्तृत योजना बनाई जा रही है जिससे देश में कोयले की स्थिति और मुगलसराय से परे के कमी वाले क्षेत्रों में स्थिति सुधर सके ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न पाकिस्तान से आयात के बारे में है। अगला प्रश्न।

श्री श्याम लाल सर्राफ : मैं कुछ अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता था परन्तु इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर सका क्योंकि मुझे यहां पर स्थान दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने नियम बना दिया है कि जब मैं अगला प्रश्न पुकार दूं तो पिछले प्रश्न के बारे में पूछने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** मैं पहले भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये खड़ा हुआ था।

†**अध्यक्ष महोदय :** और भी बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे।

प्रतिरक्षा कारखानों में ट्रैक्टरों का निर्माण

+

†*२०३. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा कारखानों में जुताई के काम आने वाले हाथ से चलाये जाने वाले और 'गार्डन' ट्रेक्टरों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो वे किन कारखानों में बनाये जायेंगे ;

(ग) ये ट्रेक्टर बाजार में कब तक उपलब्ध हो जायेंगे ; और

(घ) इन ट्रेक्टरों की क्या कीमत होगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):** (क) आयुध कारखानों में किसानों के लिये ट्रैक्टर बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। एक छोटे ट्रैक्टर का, जो अब जापान में हमारे सहयोगियों द्वारा बनाया जा रहा है, भारतीय परिस्थितियों में इसकी उपयुक्तता का पता

---

†मूल अंग्रेजी में

लगाने के लिये परीक्षण किया जा रहा है। आयुध कारखानों में इस ट्रैक्टर के निर्माण के बारे में, यदि परीक्षण संतोषजनक पाये गये और इस ट्रैक्टर की पर्याप्त मांग रही, विचार किया जायेगा।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री सुबोध हंसदा** : कुछ समय पूर्व गाजीपुर आयुध कारखाने में ट्रैक्टर का एक नमूना बनाया गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस ट्रैक्टर का परीक्षण किया गया और क्या सरकार उस प्रकार के ट्रैक्टर बनायेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: वह ट्रैक्टर नहीं था। वह विद्युत् चालित हल था जो भिन्न कार्य में प्रयोग होता है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय ने ऐसे ट्रैक्टर बनाने का कोई अनुरोध किया है ? यदि नहीं, तो ऐसे ट्रैक्टर बनाने के लिये मन्त्रालय को कैसे प्रेरणा मिली ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : कारण ये हैं : यह गाड़ी हमारे लाइसेंस के अन्दर आती है। दूसरे, उचित निर्धारण और मूल्यांकन किये जाने के बाद पता चला कि वे कुछ आवश्यकतायें पूरी कर सकते हैं और प्रतिरक्षा-कार्यों में भी इस्तमाल किये जा सकते हैं और तीसरे, इसकी कीमत कम होने से पंजाब से इस प्रकार के ट्रैक्टरों की काफी मांग आयी है। हम इसका मूल्यांकन कर रहे हैं और अभी हमने कोई वचन नहीं दिया है।

†**श्री प्रिय गुप्त** : हम समझ नहीं सके।

†**अध्यक्ष महोदय** : मन्त्री महोदय अधिक स्पष्ट रूप में उत्तर दें।

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैंने बताया कि खाद्य मन्त्रालय से कोई मांग हमें नहीं मिली परन्तु राज्य सरकारों जैसे पंजाब से इसकी काफी मांग आयी है। यदि हम निर्माण करें तो यह इसके विशिष्ट कार्यों के लिये उपयोग के मूल्यांकन किये जाने के बाद होगा और कुछ प्रतिरक्षा की आवश्यकता भी पूरी की जावेगी।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : कुल कितने ट्रैक्टर बनाये जायेंगे और क्या इससे कुछ असैनिक आवश्यकता भी पूरी की जावेगी ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यदि हम यह बनायेंगे तो यह उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा।

†**डा० गोविन्द दास** : क्या यह सच नहीं है कि जबलपुर में गन करेज फैक्टरी में शक्तिमान ट्रेक्टर बड़ी सफलतापूर्वक बनाये जाते हैं और क्या वहां पर कम पूंजी लगा कर ये ट्रैक्टर बनाना सम्भव नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक भिन्न प्रश्न है।

†**श्री त्यागी** : कुछ आयुध कारखानों में कुछ जापानी सार्थों के सहयोग से अन्य प्रकार के ट्रैक्टर बनाने की स्थापना की जा चुकी है। उनके बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : वे मिट्टी हटाने वाले हैं। वे कृषि ट्रैक्टर नहीं हैं। वे सड़क बनाने के लिये और ऐसे ही कार्यों के लिये, बुलडोज़र्स जैसे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :** प्रतिरक्षा मन्त्री जी के लिये इसका, जो प्रतिरक्षा कार्यों के लिये आवश्यक नहीं है, उत्पादन आरम्भ किये जाने की क्या तत्काल आवश्यकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मन्त्री महोदय ने भी उसका उत्तर दिया है ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** मन्त्री महोदय को पता है कि एक बड़ी कम्पनी प्रतिरक्षा बल को जीपों का सम्भरण कर रही है । अब इसने इस देश से बाहर के नाम पर ट्रैक्टर बनाने के लिये एक अन्य बड़ी कम्पनी के साथ करार किया है । मन्त्री महोदय का कहना है कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा । मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा मन्त्री जी इस समय के दौरान भारत में उपभोक्ताओं के लिये सस्ते और लाभप्रद दामों पर ट्रैक्टर का निर्माण क्यों आरम्भ नहीं कर सके ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** इस नये उपक्रम में व्यस्त होने से पूर्व, क्या उन ट्रैक्टरों के मामले की ध्यानपूर्वक जांच पड़ताल कर ली गयी है, जो दण्डकारण्य परियोजना के लिये पुनर्वास मन्त्रालय को दिये गये थे और फिर वे बेकार सिद्ध हुए ?

†**अध्यक्ष महोदय :** सभी ट्रैक्टरों के बारे में यह बात नहीं है । केवल हैंड ट्रैक्टर्स और गार्डन ट्रैक्टर्स के बारे में है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** परन्तु उन ट्रैक्टरों के साथ उनका बड़ा कटु अनुभव रहा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** दण्डकारण्य में बहुत ट्रैक्टर थे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** परन्तु वे ट्रैक्टर बेकार सिद्ध हुए । इस मामले में पुनर्वास मन्त्रालय ने प्रतिरक्षा मन्त्रालय से विरोध प्रकट किया । इसलिये जांच की गयी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि हम ट्रैक्टर बनाने के सभी पहलुओं की जांच करें तो यह बड़ा विस्तृत प्रश्न होगा जो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** परन्तु उस मामले में प्रतिरक्षा मन्त्रालय का काम बड़ा असन्तोष-जनक रहा है ।

†**श्री कृष्ण मेनन :** मुझे बहुत खेद है कि प्रश्न-काल को आरोप लगाने में इस्तमाल किया जाता है । ये तथ्य नहीं हैं । वे ट्रैक्टर एक ट्रैक्टर प्रतिदिन के हिसाब से बन रहे हैं और अभी उनका इस्तेमाल हो रहा है । इस कार्य के लिये हम देश की मांग पूरी नहीं कर सकते ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** इसमें आरोप क्या हैं ? पिछली लोक-सभा में यह प्रश्न उठाया गया था ।

†**श्री हेम बरुआ :** आरोप क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उनका कहना है कि वह एक ट्रैक्टर प्रतिदिन के हिसाब से बन रहा है और उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** परन्तु उनमें से कितने बेकार सिद्ध हुए और वे बेकार कैसे हुए ? मैं जानता चाहता हूं कि क्या इस मामले की जांच की गयी है । मन्त्रालय का काम असन्तोषजनक रहा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस बात से इंकार किया जाता है कि वे असन्तोषजनक हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** श्री हरि विष्णु कामत ने जो प्रश्न पूछा था, उस बारे में आपने उसको आरोप नहीं बताया जबकि प्रतिरक्षा मन्त्री जी ने उसको आरोप बताया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या मैंने यह कहा कि यह आरोप है ?

†**श्री हेम बरुआ :** आपने यह नहीं कहा कि यह आरोप है परन्तु प्रतिरक्षा मन्त्री जी को यह कहने की अनुमति दी गयी कि यह श्री हरि विष्णु कामत ने आरोप लगाये हैं । अतः मैं एक औचित्य प्रश्न उठाता हूं कि क्या एक मन्त्री अध्यक्ष से आगे बढ़ सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अध्यक्ष से कोई भी सदस्य आगे नहीं बढ़ सकता । परन्तु प्रत्येक सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकता है और यदि मैं उन्हें मानूं तो मैं अपनी राय दूंगा । यदि नहीं, तो मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगा आप यह कैसे कहते हैं कि वे मेरे से आगे बढ़ गये हैं ?

†**श्री हेम बरुआ :** हमने ऐसा समझा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** आपने गलत समझा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या आप मन्त्री महोदय की यह बात मानते हैं कि यह आरोप है ? यह तथ्य का प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे केवल प्रश्नों से सम्बन्ध है । यह हैंड ट्रेक्टर्स और गार्डन ट्रैक्टर्स के बारे में है । मैंने माननीय सदस्य को बताया कि वे बड़ा व्यापक प्रश्न पूछ रहे हैं । यदि उन्होंने मेरे परामर्श पर कार्य किया होता तो यह कठिनाई उत्पन्न ही न होती । अगला प्रश्न ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यह कोई कठिनाई नहीं है ।

†**श्री कृष्ण मेनन :** क्या आप अगला प्रश्न पुकार चुके हैं ।

†**श्री नाथपाई :** मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं । उन्हें कहने का अवसर दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रत्येक माननीय सदस्य और मन्त्री महोदय को चाहे और कुछ कहना हो, परन्तु जब मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता, मैं अगला प्रश्न पुकार देता हूं ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रावास

*२०४. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क बहुत ज्यादा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश के दूर-दूर के भागों से आने वाले गरीब छात्रों को अधिक सस्ते निवास की सुविधा देने के लिये विश्वविद्यालय के अधिकारियों के परामर्श से कोई योजना बनायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विभूति मिश्र : हिन्दुस्तान के दूर दूर के प्रदेशों से दिल्ली यूनिवर्सिटी के होस्टल्ज़ में विद्यार्थी आकर रहते हैं और उनको २५ से लेकर ४५ रुपये तक सीट रेंट देना पड़ता है । इसको गरीब विद्यार्थी

†मूल अंग्रेजी में

दे नहीं सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसको घटाने के लिये क्या हमारे शिक्षा मन्त्री महोदय कोई बात सोच रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्योंकि अनेक सदस्य नये हैं, मैं यह चेतावनी फिर दोहरा दूं कि जब कभी कोई सदस्य बोलते हैं तो मेरी आंखें, कान और ध्यान उन पर ही लगा होता है। यदि कोई और माननीय सदस्य बीच में से जाते हैं तो वह उस सम्बन्ध को सर्वथा तोड़ देते हैं और मुझे उससे दुःख होता है। अतः भविष्य में वे इस बात का ध्यान रखें।

डा० का० ला० श्रीमाली : कमरे का किराया, भोजन की कीमत इत्यादि जो होती है वह ६५ और ८५ रुपये में लगती है दिल्ली के होस्टल्ज़ में। मैं नहीं समझता कि जो मौजूदा कीमत है उसको बहुत ऊंचा गिना जा सकता है। सदस्य महोदय को मालूम है कि भारत सरकार ने अभी तक एक नई योजना शुरू की है स्कालरशिप्स की जिसके अन्तर्गत यूनिवर्सिटी में पढ़ने योग्य जो विद्यार्थी होते हैं, जो तीव्र बुद्धि के होते हैं मगर गरीब होते हैं, उनके लिये पूरे स्कालरशिप का इन्तजाम किया जाता है। इस तरह से विद्यार्थियों के लिये स्कालरशिप्स का प्रबन्ध किया जाता है। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि जो खर्चा लिया जाता है वह बहुत ऊंचा है दिल्ली के होस्टल्ज़ में।

श्री विभूति मिश्र : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इतना अधिक सीट रेंट अदा नहीं कर सकते हैं और रेंट ज्यादा होने की वजह से उनको बाहर भी जगह नहीं मिल सकती है और इसका नतीजा यह होता है कि उनको मायूस होकर अपने-अपने सूबों में नाम लिखाना पड़ता है ? मैं जानना चाहता हूं कि उन गरीब विद्यार्थियों के लिए आवेलम्ब कोई इन्तज़ाम सरकार की तरफ से किया जा रहा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : कम या ज्यादा का कोई माप तौल होना चाहिये, कोई स्टैण्डर्ड होना चाहिये जिससे मुकाबिला किया जा सके। मैंने निवेदन किया है कि रूम रेंट, भोजन आदि का खर्चा सब मिला कर ६५ और ८५ के लगभग होस्टलों में पड़ता है। इससे कम और क्या हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आता है। और कम हिन्दुस्तान में इससे कहां किराया होगा।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या माननीय सदस्य को विदित है कि सलाहकार परिषद् में यह सुझाव दिया गया था कि निर्धन विद्यार्थियों के लिए शिक्षा मंत्रालय को कम खर्च वाले शयनागार बनाने चाहिये। क्या सुझाव निकट भविष्य में लागू होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस सलाहकार परिषद् का उल्लेख कर रहे हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** दिल्ली राज्य सलाहकार परिषद् का।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मेरा ख्याल है कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस मामले की जांच करनी होगी।

श्री राम सेवक यादव : भोजन और रहने का अलग अलग क्या खर्चा पड़ता है, यह मैं जानना चाहता हूं।

डा० का० ला० श्रीमाली : मेरे पास पूरा यह नक्शा है होस्टल चार्जिज़ का जिसमें सीट रेंट, मैसिंग चार्जिज़ वगैरह सारा लगा हुआ है और बिजली वगैरह का भी शामिल है और अगर माननीय

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सदस्य चाहें तो मैं इसे उनके पास भिजवा दूंगा और अध्यक्ष महोदय, यदि आप कहें तो मैं इसे टेबल पर रख दूंगा। यह बड़ा नक्शा है पूरे खर्चे का।

अध्यक्ष महोदय : टेबल पर ही रख दीजियेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या मन्त्रालय को विदित है कि राज्यों में अंग्रेज़ों के जमाने से आर्थिक सहायता प्राप्त छात्रावास महिला कालेजों और विश्वविद्यालयों में होते थे? वहां पर न्यूनतम समझे जाने वाले व्यय से भी कम व्यय लिया जाता था। क्या निर्धन छात्रों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त छात्रावासों की यह नीति अब भी जारी रहेगी?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस प्रश्न का संबंध दिल्ली विश्वविद्यालय से है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में ही उत्तर दे रहा था। माननीय सदस्य अन्य सारे राज्यों के बारे में प्रश्न उठा रही है। उन्हें मुझे इसकी अलग सूचना देनी होगी क्योंकि मेरे पास ये सारी बातें नहीं हैं कि पहिले आर्थिक सहायता प्राप्त कितने छात्रावास थे और अब उनकी क्या नीति है। जहां तक भारत सरकार का संबंध है, हमने छात्रवृत्ति-योजना आरम्भ की है और हम सभी बुद्धिमान व निर्धन सुपात्र छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आर्थिक कठिनाई उनकी शिक्षा के मार्ग में रोड़ा न बने। यह योजना लागू हो चुकी है। सरकार उन्हें निर्वाह और छात्रावासों के लिए पूरा व्यय देती है। अतः जो समस्या माननीय सदस्य के दिमाग में है वह आंशिक रूप में पूरी हो जाती है। हमारे संसाधनों के बढ़ते ही छात्रवृत्ति की योजना और बढ़ा दी जायेगी।

हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड, भोपाल

†२०५. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **इस्पात, खान और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १२ मार्च, १९६२ को हेवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड, भोपाल के चेयरमैन और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुए करार को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

†**इस्पात, और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) और (ख) हेवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड, भोपाल के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और संचालकों के बोर्ड के सभापति के बीच परामर्श होने के बाद १२-३-१९६२ को रिकार्ड किये गये चर्चा के स्वीकृत संक्षेप पर कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३४]**

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण में "मंहगाई" भत्ता के अन्तर्गत उल्लेख है :

> "संशोधित वेतन में पूरा मंहगाई भत्ता मिलाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त हाल में भारत सरकार के कर्मचारियों के बढ़ाये गये भत्ते के फलस्वरूप, वैसा ही भत्ता घोषित कर दिया गया है।"

---

†मूल अंग्रेज़ी में

क्या ४०० रु० के वेतन तक केवल ५ रु० और दस रु० ही मंजूर किया गया है और यह केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी की उस राशि से कम है जो उसे समन्वित वेतन के अतिरिक्त मिल रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** पहिले ही कहा जा चुका है कि वेतन-क्रम निर्धारित करते समय निर्वाह-व्यय का ध्यान रखा गया था और उस आधार पर वेतन-क्रम निर्धारित किये गये थे। अतः फिर अलग से मंहगाई भत्ता होने का कोई कारण नहीं है। परन्तु निर्वाह-व्यय के बढ़ जाने के कारण, भारत सरकार के अपने कर्मचारियों संबंधी निश्चय के अनुसार हमने यह अतिरिक्त मंहगाई-भत्ता दे दिया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या माननीय मंत्री को विदित है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मंहगाई-भत्ता वेतन में मिल जाने के बाद भी मंगाई-भत्ता की एक और श्रेणी की अभी सिफारिश की गई है अर्थात् ५ रु० और १० रु०। क्या हैवी इलेक्ट्रिकल्स के कर्मचारियों को कोई मंहगाई भत्ता नहीं मिलता था जब कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलता था ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** वस्तुतः हम वेतन को वेतन और मंहगाई-भत्ता के रूप में रख सकते थे। यदि किसी कर्मचारी का वेतन १५० रु० है तो हम इसमें से १४० रु० वेतन और १० रु० मंहगाई भत्ता के रूप में दिखाये जा सकते थे। परन्तु उससे कुछ हासिल न होता। यही कारण है कि वेतन-क्रम निर्धारित करते समय उस काल का निर्वाह-व्यय ध्यान में रखा गया था और उस आधार पर वेतन-क्रम निर्धारित किया गया था। अब, निर्वाह-व्यय और भी बढ़ गया है, और हमने यह अतिरिक्त भत्ता दे दिया है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** विवरण में उल्लेख है कि उन आई० टी० आई० डिपलोमा धारियों का एक नया वेतन-क्रम बनाया गया है जिन्होंने किसी अन्य स्थान पर नहीं अपितु भोपाल में ही प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस भेदभाव का क्या कारण है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** वह अलग बात है। आई० टी० आई० प्रशिक्षार्थियों ने भोपाल प्रशिक्षण संस्था में दो वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्राप्त अधिक योग्यता को ध्यान में रखकर वेतन-क्रम निर्धारित किया गया है। यदि अन्य कारखानों में ऐसी ही योग्यता वालों की अलग श्रेणी है, तो हम उस पर विचार कर सकते हैं।

†**श्री क० ल० राव :** ट्रेक्शन मोटरों और तापीय तथा जल विद्युत-जनकों जैसे बिजली के भारी सामान के निर्माण में जो कि इस कारखाना का मुख्य उद्देश्य है कितने वर्ष का विलम्ब हो गया है और वर्या हाल की हड़ताल से और भी विलम्ब हुआ है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** हर हड़ताल से देर होती है और शायद हड़ताल करने का यही उद्देश्य है।

†**श्रीमती विमला देवी :** क्या यह सच है कि आज कल कोई शिकायत निपटान समिति या संयुक्त परिषद् नहीं है और यदि हां, तो शिकायतों पर कैसे चर्चा होती है और वे कैसे दूर की जाती हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** चर्चा में यह बात भी उठाई गई थी और हम राज्य सरकारों से और केन्द्रीय सरकार के श्रम विभाग से यह समिति बनाने के बारे में परामर्श कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रिय गुप्त :** क्या हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल के कर्मचारी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान ही समझे जाते हैं या नहीं, और क्या केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट और मंहगाई भत्ता की गणना करने के लिए निर्धारित नियम उन पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की ही भांति लागू होते हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** यह एक स्वायत्तशासी निगम है और निश्चय ही हम केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले सिद्धान्तों का ध्यान रखते हैं ।

†**श्री वाजी :** क्या यह सच है कि कर्मचारियों ने "उत्पादन पखवाड़ा" मनाया है और हड़ताल काल में हुए नुक्सान को उत्पादन बढ़ाकर काफी पूरा कर दिया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मैं पूर्व सूचना चाहता हूं । अभी मेरे पास वास्तविक जानकारी नहीं है ।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के सुझाव

\+

†*२०६. { **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के गैर-सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में विदेशी पूंजी लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा):** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री वारियर :** क्या यह सच नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उप-सभापति ने, जब वह भारत में थे, भारत में उद्योगपतियों से इस बारे में बातचीत की थी और प्रेस में यह समाचार दिया था कि अमुक प्रस्ताव किये गये और वित्त मंत्रालय उन्हें स्वीकार कर रहा है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उप सभापति ने जब कि वह भारत में थे, भारत में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की विदेशी मुद्रा के भाग लेने की मोटी मोटी शर्तों पर चर्चा की थी । प्रश्नास्पद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई थी ।

†**श्री वारियर :** प्रश्न विशेष यह है कि क्या उन्होंने विद्यमान प्रक्रिया को सरल बनाने के कोई सुझाव दिये हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैं इसका उत्तर दे चुकी हूं ।

†**श्री वारियर :** उन्होंने क्या विशिष्ट सुझाव दिये थे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** चर्चा बहुत ही अनौपचारिक थी । सुझाव भी अनौपचारिक थे । बैंक या संस्था ने कोई औपचारिक सुझाव नहीं दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अतः उन अभी सुझावों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

†**श्री दाजी** : क्या सरकार इन सुझावों के फलस्वरूप विद्यमान नियमों को ढीला करने या देश में धन लगाने वाले विदेशियों को कोई रियायत देने पर विचार कर रही है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : संस्था से औपचारिक सुझाव न मिलने तक यह स्थिति पैदा नहीं होता ।

खिलाड़ियों को "अर्जुन पुरस्कार"

†*२०८. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अत्युत्तम खिलाड़ियों को "अर्जुन पुरस्कार" से सम्मानित करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पुरस्कार का ब्योरा क्या है ; और

(ग) पुरस्कार देने के लिये सरकार ने कौन सा मानदण्ड अपनाया है और इस सम्बन्ध मे सरकार को परामर्श देने वाले व्यक्तियों का ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) हां, श्रीमान ।

(ख) पुरस्कार लिपटे हुए पत्र और यादगार के रूप में है और श्रेष्ठ खिलाड़ियों को, जिन्हें अपने खेल में वर्ष का श्रष्ठ खिलाड़ी माना जाता है, सम्मानित करने के लिये दिया जाता है ।

(ग) सिद्धान्त खेल के गौरव को बढ़ाने मे योग देने का है । सम्बन्धित स्पोर्ट्स फेड्रेशनों की सिफारिशों के आधार पर इनका चुनाव होता है । अखिल भारतीय खेल परिषद् की एक उपसमिति इस मामले में समय समय पर सरकार को सलाह देती है ।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या इस वर्ष पुरस्कार विभिन्न संस्थाओं से परामर्श करके दिये गये थे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैंने पहले ही कह दिया हैं कि चुनाव स्पोर्ट्स फेड्रेशन ने किया था ।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह**: क्या क्रिकिट का पुरस्कार क्रिकिट नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से दिया गया था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सारे चुनाव फेड्रेशन ने किये थे ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या पुरस्कार भूतकाल मे खेल में सराहनीय तथा विशिष्ट सेवा के लिये दिये गये हैं और उनके प्राप्तकर्ता कौन कौन हैं ? क्या १९२८ में हाकी की टीम का सफलतापूर्वक मार्ग दर्शन करने के लिए प्रथम सोने का तमगा पाने वाला व्यक्ति, जो इस सभा के माननीय तथा विख्यात सदस्य हैं, हो ऐसा व्यक्ति है जिसे अब तक छोड़ा गया है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्यों छोड़ा गया ?

†**श्री नाथ पाई** : मैं ने नहीं कहा कि क्यों छोड़ा गया ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैंने कहा कि उन्हें क्यों छोड़ा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** ये पुरस्कार इस वर्ष आरम्भ किये गये हैं और पहली बार ही दिये गये हैं और चुनाव स्पोर्ट्स फेडरेशन ने किये हैं। सदैव खेल का ढंग नहीं अपितु खेल में उनके योग पर ध्यान दिया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इस सभा के एक माननीय सदस्य के पुरस्कार को पीछे की तारीख से लागू किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं समझता हूं कि पीछे की तारीख से उन्हें लागू करना कठिन है।

†**श्री बैरो :** क्या प्रथम भारतीय प्रेमानुशीली बिलियर्ड चैम्पीयन, श्री विल्सन जोन्स के बारे में विचार किया गया था या किया जा रहा है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** वह किस खेल के प्रतिनिधि हैं ?

†**श्री बैरो :** बिलियर्ड।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** बिलियर्ड को खेल नहीं माना गया।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** इस बात को ध्यान में रख कर कि यह पुरस्कार विख्यात महिला खिलाड़ियों को भी दिया जाता है, चित्रांगदा पुरस्कार जैसा अन्य वैकल्पिक पुरस्कार आरम्भ करने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिये है।

†**श्री हेम बरुआ :** इस पुरस्कार का नाम 'अर्जुन पुरस्कार' ही क्यों रखा गया है क्योंकि अर्जुन खिलाड़ी नहीं था, वह योधा था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** अर्जुन महाभारत काल का सब से बड़ा खिलाड़ी था।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय :** शायद इस बारे में कुछ मतभेद है कि खिलाड़ी कौन है। अतः हम इस पर न झगड़ें। श्री त्यागी।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** महाभारत-काल के खेल प्रसिद्ध हैं और अर्जुन उनके लिए प्रसिद्ध था।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या मैं.....

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ने उन्हें एक मौका दिया है। कम से कम जब खेल सम्बन्धी प्रश्न हों, माननाय सदस्यों को खेल भाव प्रदर्शित करना चाहिये।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार ने उन खेलों की सूची बना ली है जिन पर इस पुरस्कार के लिए विचार किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हां, श्रीमान। इस पुरस्कार के लिये बोझा उठाना (वेट लिफ्टिंग), महिला हाकी, तैरना, खेल कूद, टेबिल टेनिस, राइफल शूटिंग, स्क्वैश, मुक्काबाजी (बाक्सिंग),

---

†मल अंग्रेजी में

बैडमिन्टन, गोल्फ, फुटवाल, हाकी लॉन टेनिस, बासकेट बाल, शारीरिक व्यायाम, क्रिकिट, कुश्ती, बालीबाल, शतरंज और पोलो सूची में शामिल हैं ।

†**श्री त्यागी** : महिला हाकी के लिये अर्जुन कहां तक उचित होगा ? वह द्रौपदी हो सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब वह बहस कर रहे हैं ।

†**श्री नाथ पाई** : माननीय मंत्री को विदित है कि श्री जयपाल सिंह प्रथम टीम के कप्तान थे जिसने सोने का तमगा जीता था । अन्य सभी के दावों को उचित रूप से पुरस्कृत किया गया है ताकि खेल कूद के लिये प्रोत्साहन मिले । श्री जयपाल सिंह इतने पर भी इस पुरस्कार के लिये सुपात्र क्यों नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह केवल कार्यवाही करने के लिये सुझाव दिया गया है ।

†**श्री विद्या चरण शक्ल** : जो खेल कूद इस पुरस्कार के पात्र होंगे उनका चुनाव किस सिद्धान्त से किया गया है और बिलियार्ड को क्यों शामिल नहीं किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : समूचे रूप में खेलने का ढंग और बाद का ढंग का था और खिलाड़ियों का उसमें सर्वाधिक हाथ होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि ये खेल क्यों सम्मिलित किये गये हैं और अन्य खेल क्यों सम्मिलित नहीं किये गये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अधिकतर आउट डोर गेम्स चुने गये हैं और घरेलू खेल एक या दो को छोड़ कर छोड़े गये हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : ये अर्जुन पुरस्कार इस वर्ष आरम्भ किये गये हैं । इससे पहले अन्य नामों वाले पुरस्कार दिये जाते थे । चूंकि मैं अखिल भारतीय खेल पषिद का सदस्य हूं, मैं सभा को बताना चाहता हूं मैं अपने आपको किसा पुरस्कार से पुरस्कृत हीं कर सकता । किन्तु इससे सर्वथा अतिरिक्त, खेल परिषद को अभी उन खेलों का सूची मुकम्मल करनी है, जिनका इसके द्वारा मान्यता दी जानी चाहिये । श्री बेरो विलियार्ड का सवाल उठाया कुछ सदस्य शतरंज को मान्यता देने के प्रश्न पर नाराज थे। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे ऐन-साइकलोपाडिया देखें तो उनको पता चलेगा कि इसे क्यों शामिल किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इतना पर्याप्त है ।

विज्ञान मन्दिर

†*२०९. **श्री बासप्पा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान मन्दिरों द्वारा सम्पन्न कार्य के परिणाम प्रकाशित किये गये हैं ; और

(ख) ग्रामाण क्षेत्रों में कितने नये विज्ञान मन्दिर स्थापित किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) परिणाम प्रकाशित नहीं हुए। तथापि एक अनुमानतन समिति ने हाल ही में विज्ञान मन्दिरों के कार्य का अध्ययन करके प्रतिवेदन पेश किया है, जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दा गई है।

(ख) अभी तक ४१ विज्ञान मन्दिर स्थापित किये जा चुके हैं, जिनमें से तीन १९६१–६२ में ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थापित किये गये थे।

†**श्री बासप्पा** : क्या इन विज्ञान मन्दिरों के परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों के लिये लाभ-दायक सिद्ध हुए हैं और यदि हां, तो क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि क्या इन विज्ञान मन्दिरों के परिणामों को कार्य रूप में लाने के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है ?

†**डा० म० मो० दास** : अनुमानन समिति ने कहा है कि सांख्यिकी और तथा-कथित अनुमानों का इन विशिष्ट संस्थाओं के मामले में कोई उपयोग नहीं है। संसद की अनुमान समिति ने जो १९५९ में स्थापित हुई थी १० महीने पहले अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया था।

†**श्री बासप्पा** : उनका उचित अनुमान लगाने के लिये अग्रेतर प्रयत्न क्या किये गये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : यदि मा० सदस्य योजना को देखें, ये विज्ञान मन्दिर मुख्य रूप से शैक्षिक संस्था हैं। उनका प्रधान उद्देश्य ग्राम्य क्षेत्रों में वैज्ञानिक वातावरण पैदा करना और यथार्थ सेवा के द्वारा उनकी प्रसंगवश सहायता करना है। अनुमानन समिति ने इसलिये सुझाव दिया है कि उनका तात्कालिक परिणामों से अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा। इस प्रकार के वैज्ञानिक परिवर्तन बहुत लम्बे समय में आया करते हैं।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या विज्ञान मन्दिर उन के समान नहीं है जो मध्य प्रदेश में स्वर्गीय मुख्य मंत्री श्री रविशंकर शुक्ल के द्वारा आरम्भ किये गये थे ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : हमें पता नहीं कि स्वर्गीय डा० रवि शंकर शुक्ल ने कोई विज्ञान मन्दिर आरम्भ किये थे। कुछ विद्या मन्दिर थे। यह केवल नाम का प्रश्न था।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : तीसरी पंचवर्षीय योजना में अन्य राज्यों में कितने विज्ञान मन्दिर स्थापित किये जायेंगे ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह अधिकतर राज्य सरकारों के जोश और स्वप्रेरणा पर निर्भर है। मैं राज्य सरकारों को कह रहा हूं कि वे अधिक से अधिक विज्ञान मन्दिर खोलें, कम से कम प्रत्येक जिला में एक। कुछ राज्यों ने ऐसा किया है अन्यों ने नहीं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या विज्ञान मन्दिरों में किसानों द्वारा भूमि अध्ययन के लिये कोई शुल्क लिया जाता है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : कोई शुल्क नहीं लिया जाता। न ही हम कोई व्यापक अध्ययन करते हैं। विज्ञान मन्दिरों में प्रारम्भिक जांच की जाती है।

†**डा० मा० श्री० अणे** : विज्ञान मन्दिर आरम्भ करने के लिये कम से कम कितनी लागत की जरूरत होती है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : विज्ञान मन्दिर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों और कतिपय स्वयंसेवी अभिकरणों के बीच सहकार योजना के अधीन आरम्भ किये जाते हैं : राज्य सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

तथा/अथवा स्वयंसेवी अभिकरणों को बना हुआ स्थान देना होता है; साधारणतया १४०० वर्ग फुट बना हुआ क्षेत्र। केन्द्रीय सरकार उपकरण की व्यवस्था करती है। केन्द्रीय सरकार आवर्ती व्यय भी देती है। उपकरण पर मोटे तौर पर १६,००० रुपये के लगभग खर्च होते हैं और आवर्ती व्यय लगभग १२,००० रुपये वार्षिक होता है।

†**श्री दाजी** : क्या सरकार को पता है कि विज्ञान मन्दिरों में शिक्षा की योजना बहुत लाभदायक सिद्ध नहीं हो रही है और इस कारण योजना बड़ी आकर्षक नहीं है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : माननीय सदस्य ने कैसे यह निष्कर्ष निकाला है ? विज्ञान मन्दिरों में शिक्षा की कोई योजना नहीं है। विज्ञान मन्दिर शैक्षिक संस्थाएं हैं। वे वैज्ञानिक वातावरण या दृष्टिकोण पैदा करते हैं। वे लोकप्रिय भाषण हैं, कोई स्थायी श्रेणियां वहा नहीं लगतीं।

पुलिस द्वारा काम में लाये जाने वाले अत्याचार के तरीके

+

†*२१०. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :

क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत सरकार के अधीन काम कर रहे उन पुलिस कमचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरम्भ की थी जो पुलिस की हवालातों और थानों में अत्याचार के तरीके काम में लाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में ऐसी कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). संघ राज्य क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों में नौ पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या सरकार को पता है कि भारत में अन्य स्थानों पर बढ़िया किस्म के तरीके अपनाये गये हैं, जिन के परिणामस्वरूप हवालातों में मौतें हुई हैं ?

†**श्री दातार** : यहां हमारा संघ राज्य क्षेत्रों से सम्बन्ध है और कुल संख्या ९ है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान इलाहबाद की हाल की घटना की ओर दिलाया गया है जहां एक व्यक्ति को पुलिस की हवालात में तंग करके मार दिया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कर रहे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं जानता हूं। यह प्रतिवेदन उन को भी भेजा गया था। क्या केन्द्रीय सरकार नियम नहीं बनाती . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य समूचे देश के बारे में उत्तर की अपेक्षा इस प्रश्न में कर सकते हैं ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या मंत्री का ध्यान इलाहबाद उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय पुलिस के विरुद्ध कहे गये निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है—मैं समझता हूं कि न्यायाधीश भुल्ला द्वारा जो अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं—और यदि हां, तो उन निष्कर्षों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं औचित्य प्रश्न पूछता हूं कि क्या भारतीय पुलिस—भारत में संघ राज्य क्षेत्र नहीं आते ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह नहीं कहता कि संघ राज्य क्षेत्र भारतीय संघ से भिन्न हैं। वे इस में शामिल हैं और इसके अनिवार्य अंग हैं। परन्तु जब कोई विशिष्ट प्रश्न पूछा जाता है, तो उसका क्षेत्र उसी जानकारी तक सीमित होता है। यदि वह प्रश्न अधिक व्यापक बनाना है, तो शायद उसका उत्तर देना या जानकारी देना सम्भव नहीं है।

†**श्री दाजी** : उन मामलों में, उन कार्यों के लिये उत्तरदायी पुलिस अफसरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई थी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : ऐसे मामले बहुत कम थे। आवश्यक कार्रवाई की गई। एक मामले में विभागीय कार्रवाई की गई। दूसरे में, जिस में बहुत से पुलिस कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त थे, उन्हें तुरन्त मुअत्तिल किया गया और उन में एक इन्स्पैक्टर तथा एक सब इन्स्पैक्टर थे। उन को मुअत्तल करके अभियोग चलाया गया। किन्तु मैं नहीं जानता कि क्या कहूं—भाग्य से या दुर्भाग्य से वे उच्च न्यायालय द्वारा छोड़ दिये गये।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या दंड प्रक्रिया संहिता या अन्य विधियों में कोई संशोधन सरकार करना चाहती है ताकि ऐसे कृत्यों के लिये उत्तरदायी अफसर को दंड दिया जा सके ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं किसी ऐसे संशोधन की आवश्यकता नहीं समझता।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस का कारण विधि में त्रुटि नहीं था कि उच्च न्यायालय ने उन को छोड़ दिया।

†**श्री नम्बियार** : यह बड़े लोगों का प्रश्न था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विश्वविद्यालय के छात्रों का कल्याण

†*१९९. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों से युवक कल्याण की योजना तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिये कहा था और ऐसी योजनाओं के कार्यान्वय पर होने वाले व्यय का कुछ अंश देने का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विश्वविद्यालयों ने ये योजनायें कार्यान्वित की हैं; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन में से प्रत्येक को इस प्रयोजन के लिये कितना अनुदान दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता ।

तीसरी योजना के लिये अध्यापिकायें

†*२०७. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड ने जयपुर में जनवरी के महीने में हुए अपने अधिवेशन में सिफारिश की थी कि अध्यापिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिये तीसरी योजना में उचित योजनायें सम्मिलित की जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये इस बीच यदि कोई योजनायें बनाई गई हैं तो वे क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) बोर्ड की सिफारिश विचारार्थ और कार्यान्विति के लिये सब राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को भेजी गई थी ।

इस उद्देश्य के लिये राज्यों द्वारा आरम्भ की जा चुकी योजनाओं में अध्यापिकाओं के लिये क्वार्टरों का निर्माण, वयस्क स्त्रियों के लिये सारकृत पाठ्यक्रम चलाना, अध्यापिकाओं को अधिवृत्तियां देना और नियमित श्रेणियों की व्यवस्था करने की योजनाएं शामिल हैं ।

महिलाओं की शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा अध्यापिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिये सुझाई गई निम्न योजनाओं की भी सिफारिश राज्य सरकारों को, दूसरी योजना में की गई योजनाओं के अतिरिक्त, स्वीकृति एवं कार्यान्विति के लिये की गई थी :—

(१) नवीन प्रशिक्षण संस्थाओं का खोला जाना ।

(२) अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण अनुभागों को लड़कियों के प्राथमिक स्कूलों से जोड़ना ।

(३) सहशिक्षा वाली प्रशिक्षण संस्थाओं में महिलाओं के लिये स्थान आरक्षित करना ।

(४) ग्राम्य क्षेत्र की लड़कियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये वित्तीय सहायता देना ।

(५) माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षणार्थियों का पूर्व-चुनाव ।

(६) लड़कियों के लिये मिडल स्कूल और माध्यमिक शिक्षा का विकास ।

भारत को पाकिस्तान द्वारा लौटाया जाने वाला ऋण

†*२११. **श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६२ को पाकिस्तान पर भारत का विभाजन से पहले और बाद का कितना-कितना ऋण बकाया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ३१ मार्च, १९६२ तक उसका कितना ब्याज हुआ ; और

(ग) मल धन और ब्याज की वसूली के लिये कोई कदम उठाये गये हों, तो वे क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). विभाजन पूर्व और पश्चात की अवधियों के बारे में पाकिस्तान से मूल पूंजी और ब्याज के तौर पर जो वास्तविक राशि लेनी थी, वह अभी अन्तिम रूप में निर्धारित नहीं की गई है ।

(ग) यह प्रश्न दोनों देशों के बीच लंबी बात चीत का विषय रहा है । किन्तु अभी तक, किसी समझौते पर पहुँचना संभव नहीं हुआ ।

गोरखपुर में उर्वरक कारखाना

†*२१२. **श्री सिंहासन सिंह :**
श्री महादेव प्रसाद :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है और यह कारखाना संभवतः कब तक उत्पादन आरम्भ कर देगा ;

(ख) इस कारखाने के लिये पहले जो स्थान निश्चित किया गया था क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो कारखाने की स्थापना के लिये कौनसा स्थान चुना गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री पि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) सेयंत्र और मशीनरी के विशिष्ट ब्योरे अन्तिम रूप में तैयार किये जा चुके ने और जापानी सहयोगी को भेजे गये ने, जो संयंत्र और उपकरण का सम्भरण करेंगे । आशा है कि जापानी सहयोगी अगले महीने के अन्दर अपनी पेशकश भेज देगा । संविदा होने की तारीख से चार वर्षों के पश्चात फैक्टरी उत्पादन आरम्भ कर देगी ऐसी आशा है ।

(ख) जी नहीं ;

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

उद्योगों के वित्तीय ढांचे का अध्ययन

†*२१३. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने यह सुझाव दिया है कि उद्योग के वित्तीय ढ़ांचे का अध्ययन किया जाना चाहिये ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनको किस प्रकार की सहायता दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा अध्ययन करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब०रा० भगत)**: (क) ख्याल किया जाता है कि २३ मार्च १९६२ को औद्योगिक सांख्यिकी विभाग, कलकत्ता के सामने दिये गये एक भाषण में रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने भारत में उद्योगों के वित्तीय ढ़ांचे तथा उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त देने के अभिकरणों का उल्लेख किया और वह आशा व्यक्त की कि विभाग के सदस्य क्रमबद्ध तरीके से विषय का अध्ययन करेगा ।

(ख) केन्द्रीय सरकार को पता नहीं है कि क्या विभाग ने ऐसा अध्ययन करने के लिये कोई कदम उठाया है ।

ट्रांजिस्टरों का निर्माण

†*२१४. **श्री मं० रं० कृष्ण :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स, बंगलौर में बनाये गये ट्रांजिस्टर कम्युनिटी रिसीवर सेट का परीक्षण किया गया है और उसके आगे निर्माण की स्वीकृति दी गयी है ; और

(ख) वर्ष १९६२ में भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में कितने कम्युनिटी ट्रांजिस्टर सेट बनाये जायगे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघरामैया)** : (क) भारत इलैक्ट्रानिक्स सीमित में तैयार किये गये ट्रांजिस्टर वाले सामुदायिक रेडियों का परीक्षण किया जा रहा है ।

(ख) भारत इलैक्ट्रोनिक्स सीमित की इतनी क्षमता है कि वह कितनी भी मांग को पूरा करने के लिये ऐसे सैट बना सकता है जिनकी उचित रूप से प्रत्याशा की जा सके । निर्माण संबंधी संख्या का अनुमान नहीं दिया जा सकता जब तक प्रयोग पूरे नहीं हो जाते और मांग मालूम नहीं हो जाती ।

दिल्ली में कोयले की कमी

†*२१५. **श्री इ० मधुसूदन राव** :क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के ईंटों के भट्टों को कोयला न मिलने के कारण बड़ी कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री क० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). ईंट जलाने वाले कोयले को दिल्ली तक लाने की व्यवस्था में दिसम्बर १९६१ और जनवरी तथा फरवरी १९६२ में कुछ बाधा हुई क्योंकि गोआ की आकस्मिकता थी और बाद में अत्यधिक ठंडा मौसम और हालात खराब थे । तब से स्थिति सामान्य हो गई है और स्लैक कोयले की ४२२ वैगनें मार्च १९६२ में दिल्ली भेजी गई थीं जब कि उन का कोटा ३७५ वैगनों का था । अब दिल्ली का कुल कोटा २२४४ वैगन, प्रति मास है जो १९६१ में वास्तव में भेजा गया । सरकार के प्रयत्न ये होंगे कि ढुलाई के इस क्रम को जारी रखा जाएगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

धातुमिश्रित और विशेष इस्पात संयंत्र

†*२१६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक धातुमिश्रित और विशेष इस्पात संयंत्र स्थापित करने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कहां की जायेगी और इस पर कितनी लागत आयेगी ;

(ग) इसकी उत्पादन-क्षमता क्या होगी ; और

(घ) इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां । सरकार ने ऐसी परियोजना के संबंध में सिद्धान्त रूप में फैसला कर लिया है ।

(ख) और (ग). ब्योरा बताना लोक हित की दृष्टि से उचित नहीं है ।

(घ) योजना परियोजना पर सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है ।

चीनी राष्ट्रजन

†*२१७. **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक उन चीनी राष्ट्रजनों में से कितने लोग भारत छोड़ गये हैं जिनको इसलिये भारत छोड़ने को कहा गया था कि वे विध्वंसक कार्यवाहियों में लगे हुए थे ;

(ख) उनमें से अभी तक कितने भारत में हैं ; और

(ग) उनके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातार)** : (क) ७१

(ख) ७७

(ग) विदेशियों को अधिनियम १९४६ के उपबन्धों के अधीन उन के विरूद्ध कार्यवाई की जा रही है ।

नौसेना के लिये आयात की गई सिगरेटों का दिल्ली में विक्रय

†*२१८. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में आयात की गई सिगरेटें, जिन पर केवल भारतीय नौसेना के जहाजों के लिये' लिखा है, बड़ी मात्रा में बेची जा रही हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इन आयात की गई सिगरेटों का 'मेक' क्या है ;

(ग) अब तक नई दिल्ली में विक्रेताओं ने ऐसी कितनी सिगरेटें बेची हैं ; और

(घ) सरकार इन सिगरेटों के आयात के लिये कब से लाइसेंस दे रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (घ) सरकार ने इस संबंध में केवल समाचार पत्र में सूचना देखी है। सरकारी जांच की जा रही है ।

किरीबुरु लौह-अयस्क परियोजना

†*२१९. **श्री मुरारका** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किरीबुरु लौह-अयस्क परियोजना के लिये नियुक्त किये गये परामर्शदाताओं के क्या नाम हैं ;

(ख) उनकी अर्हताएं क्या हैं ;

(ग) उनको कुल कितना शुल्क दिया जायेगा ; और

(घ) यह शुल्क निर्धारित करने का तरीका क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तोकियों की जापान सलाहकार संस्था को किरीबुरु परियोजना के लिए खनिज विकास निगम लिमिटेड का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया था ।

(क) से (घ) १९५८ में इस परियोजना के लिये सलाहकार नियुक्त करने के लिये बहुत सी फर्मों से जांच की गई थी यका २६ फर्मों ने उस का उत्तर दे दिया था । विशेष कार्य के लिये प्रत्येक पक्ष की प्रविधिक क्षमता की जांच तथा मांगी गई फीस की तुलना करने के बाद अन्ततः जापान सलाहकार संस्था को चुना गया था । इस संस्था को जापान सरकार जापान की मुख्य गैर सरकारी औद्योगिक संस्था का समर्थन प्राप्त है तथा इस के कर्मचारियों ने अन्य देशों में लौह अयस्क खानों का विकास किया था । मूल्योत्कथन के समय फीस की इकट्ठी राशि १६.८ लाख रुपये निश्चित की गई थी। जिस में से ६·५८ लाख रुपये रुपयों में दिये जायेंगे तथा शेष येन में ।

पाकिस्तान में भारतीय लेखकों का प्रतिलिप्याधिकार'

†*२२०. **श्री ही० ना० मुखर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान हाल ही के इन समाचारों की ओर आकृष्ट किया गया है कि पाकिस्तान ने पश्चिम बंगाल के अनेक भारतीय लेखकों के प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार संघ के नियमों और अभिसमयों को मानने से इन्कार करता है ;

(ग) क्या यूनेस्को सम्मेलन ने कुछ प्रतिलिप्यधिकार अभिसमयों को, जिन का पाकिस्तान भी एक पक्ष है, मान लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त-भारतीयों को पाकिस्तान द्वारा इस प्रकार के उल्लंघन से कोई चारा नहीं है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्रीहमामून कबिर)**: (क) और (ख) जी नहीं । परन्तु कुछ कथित उल्लंघनों की रिपोर्ट मिली है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रतिलिप्यधिकार के मालिक चाहें तो अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं ।

किरिबुरु परियोजना में पीने के पानी का संभरण

†*२२१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किरीबुरू परियोजना में वर्ष १९५९ से पीने के पानी का नियमित सम्भरण नहीं हो रहा है ; और

(ख) पानी के सम्भरण का क्या संसाधन है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री कं० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं । पर्वत की तलहटी में, जहां पर निक्षेप हैं क्या परियोजना का शिविर है पीने के पानी का सम्भरण करने की व्यवस्था सितम्बर १९५९ में पूरी हो गई थी । पर्वत के ऊपर के शिविर में जल सम्भरण की व्यवस्था अप्रैल, १९६० में दूरी हो गई थी । पीने के पानी में से सम्भरण से पहले क्लोरिन मिला दी जाती है ।

(ख) नीचे के शिविर में मुंदजार नाले से तथा पर्वत के ऊपर बेरुली नाले से पानी का सम्भरण किया जाता है । किरिबुक नगर के लिये घरेलू जल सम्भरण कारो नदी से होगा जिसका निर्माण हो रहा है । आवश्यक कार्य किया जा रहा है ।

प्रतिरक्षा सामान तथा उपकरणों का उत्पादन

†*२२२. **श्री हरि विष्ण कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे प्रतिरक्षा सामान या उपकरणों के नाम या विवरण क्या हैं जिनका निर्माण अब देश में ही किया जा रहा है ;

(ख) किस किस चीज का आयात अभी जारी है ;

(ग) क्या भारत अपनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो लगभग किस वर्ष तक ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख) यह जानकारी देना लोकहित में न होगा ।

(ग) और (घ) प्रतिरक्षा मन्त्रालय प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के सम्बन्ध में देश को शीघ्रातिशीघ्र आत्म-निर्भर बनाने के लिये सदा प्रयत्नशील रहता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पेन्शन की अदायगी

*२२३. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने निवृत्ति वेतनों (पेंशनों) की अदायगी में असाधारण विलम्ब न होने देने के लिये कोई नई योजना चालू की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों के लिये कुछ अतिरिक्त सुविधायें जुटाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो कौन सी सुविधायें विचाराधीन हैं और उन पर कब तक निर्णय होने की आशा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं । साधारणतः पेंशनों अदायगी में कोई असाधारण विलम्ब नहीं हुआ ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ). अखिल भारतीय भूतपूर्व गोरखा सैनिकों की कल्याण समिति द्वारा एक सुझाव दिया गया है कि सभी राज्यों में सैनिक पेंशनों को डाकघरों द्वारा पेंशन दिये जाने की सुविधा होनी चाहिये । वर्तमान में पंजाब, जम्मू काश्मीर और दिल्ली के संघ क्षेत्र के अतिरिक्त जहां उन्हें डाकघरों द्वारा अदायगी की जाती है विभिन्न राज्यों में खजानों द्वारा पेंशनों की अदायगी की जाती है। समिति का सुझाव विचाराधीन है और निर्णय लेने में अभी कुछ समय लगेगा ।

पंजाब में तेल की खोज

†*२२४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में तेल की खोज के कार्यक्रम को लागू करने में विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में और विलम्ब न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

फैरो मैंगनीज उद्योग

†*२२५. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात, और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में फैरो-मैंगनीज उद्योग की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) समिति को क्या विशेष निदेश किये गये थे; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि इस ने अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है, तो इसके कब तक दिये जाने की आशा है ?

†**इस्पात, और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी नहीं ।

(ख) समिति के मुख्य निर्देश-पत्र इस प्रकार हैं :—

(१) अपेक्षित किस्म के कच्चे माल के सम्भरण को सुनिश्चित करने के मार्गोपायों का अध्ययन ।

(२) कच्चे माल तथा तैयार वस्तुओं के यातायात के लिये रेल भाड़े के प्रश्न पर विचार करना ।

(३) कच्ची धातु के परिवहन का व्यय, बिजली का खर्च, उत्पादन प्रक्रिया, उप-उत्पादों का उपयोग आदि का विशेष ध्यान रखते हुए उत्पादन के व्यय आदि पर विचार करना ।

(४) फेरोमैंगनीज के निर्यात व अन्य देशों में विपणन सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करना ।

(ग) जुलाई, १९६२ तक ।

एवरो-७४८ विमान

†*२२६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में एवरो—७४८ विमान के निर्माण के बारे में और क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैय्या)**: कानपुर में बना प्रथम एवरो—७४८ विमान उड़ाया जा चुका है और उसके बारे में मूल्यांकन परीक्षण किये जा रहे हैं। दूसरे, तीसरे और चौथे विमान का निर्माण जारी है ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र

†*२२७. **श्रीमती ममना सुल्तान** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भारतीय सार्थों ने रूरकेला इस्पात संयंत्र के द्वितीय चरण निर्माण कार्यक्रम में सहयोग देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने सार्थों ने सहयोग करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**इस्पात, और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी, हां ।

(ख) नौ ।

(ग) इन प्रस्तावों पर अभी हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

किरीबुरु लौह-अयस्क परियोजना

†*२२८. **श्री मुरारका** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किरीबुरु लौह अयस्क परियोजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या रेलवे लाइनों और पत्तन सुविधाओं का भी विकास किया गया है ; और

(ग) इन विकास कार्यों पर २० लाख डालर के जापानी ऋण में से तथा २०० लाख डालर के अमरीकी ऋण में से कितना धन व्यय किया गया ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) किरीबुरु लौह अयस्क परियोजना के कार्य में सन्तोषजनक प्रगति हुई है और आशा है कि यह परियोजना १९६४ के प्रारम्भ तक इस खान से जापान को अयस्क का निर्यात करना शुरू कर देगी।

(ख) नई रेलवे लाइनों में से सम्बलपुर-टिटलागढ़ लाइन माल परिवहन के लिये दिसम्बर, १९६१ तक तैयार हो जाने की सम्भावना है और बिमलगढ़ से किरीबुरू के लदान की जगह तक जाने वाली लाइन के मार्च, १९६३ तक बन जाने की सम्भावना है।

विशाखापत्तनम में सुविधाओं के विकास का कार्य इस खान से अयस्क के निर्यात के लिये निर्धारित तिथि तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ग) जापान द्वारा येन का ऋण, जो अमरीका के ८ लाख डालर के बराबर है, केवल खनन परियोजना के लिये जापान में मशीनों और अन्य सामग्री की खरीद के लिये है। इस ऋण के सम्बन्ध में अब तक कुल १.८५ करोड़ रुपये के आर्डर जापान की विभिन्न फर्मों आदि को दिये जा चुके हैं।

अमरीका द्वारा दिया गया ऋण रेलवे और पत्तन सुविधाओं के विकास के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा की पूर्ति के लिये था। रेलवे ने १ करोड़ ३० लाख के सौदे कर लिये हैं; अरिक्त लांगलस्थान (बर्थ) के निर्माण के लिये ठेके दिये जाते ही पत्तन कार्य के लिये भी धन प्राप्त किया जायेगा।

बोकारो इस्पात कारखाना

†*२२९. **श्री ही० ना० मुखर्जी :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुह्न :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मुरारका :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात परियोजना में अमरीका की भागीदारी के बारे में बातचीत किस प्रक्रम पर है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने अमरीकी कम्पनी द्वारा प्रबन्ध में भी हिस्सा लिया जाना स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो किस सीमा तक ;

(ग) पहली धमन भट्टी में कब तक उत्पादन आरम्भ हो जाने की आशा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कारखानों में कितने तैयार इस्पात के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). बोकारो के लिये अमरीका से धन प्राप्त करने के प्रश्न पर अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से बातचीत जारी है किन्तु अभी कोई बात अन्तिम रूप से तय नहीं हुई है।

(ग) पहली धमन भट्टी में उत्पादन कब तक आरम्भ होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि सहायता प्राप्त करने के लिये की जा रही बातचीत कितनी जल्दी समाप्त होती है।

(घ) तीसरी योजना से सम्बन्धित दस्तावेज में योजनावधि में बोकारो से ३ लाख टन इस्पात उधार लिया गया है।

इस्पात संयंत्र

†*२३०. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री बासप्पा :

क्या **इस्पात, और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्रों में विकास और उत्पादन की इस समय क्या स्थिति है ;

(ख) इस समय प्रत्येक संयंत्र में प्रति दिन कितना उत्पादन होता है ; और

(ग) चालू वर्ष में उनमें से प्रत्येक के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) भिलाई में सभी यूनिटों ने काम शुरू कर दिया है। रूरकेला में तीसरी कोक ओवन बैटरी और टिनिंग प्लान्ट की तीन लाइनों को छोड़ अन्य सभी यूनिटों का काम शुरु हो गया है। दुर्गापुर में धमन भट्टी नं० ३ के अलावा शेष सभी यूनिटों ने काम शुरू कर दिया है।

(ख) मार्च, १९६२ में तीनों परियोजनाओं में प्रति दिन औसत उत्पादन इस प्रकार रहा :—

	रूरकेला	भिलाई	दुर्गापुर
		(टनों में)	
कच्चा लोहा	१,६००	३,०१७	२,१२५
इस्पात	१,४३९	२,५३८	१,६९०

(ग) १९६२-६३ में कच्चे लोहे व इस्पात की छड़ों के उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

	भिलाई	दुर्गापुर	रूरकेला
कच्चा लोहा	१०८०,०००	१०३०,०००	८७५,०००
इस्पात	८५०,०००	८००,०००	७५०,०००

प्रत्येक संयंत्र की निर्धारित क्षमता १० लाख टन इस्पात की छड़ें हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

टैंकों का निर्माण

†*२३१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखानों में टैंकों के निर्माण के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या एक अलग कारखाना स्थापित किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) सरकार ने टैंकों के निर्माण में प्राविधिक सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रेट ब्रिटेन के मेसर्ज़ आर्मस्ट्रोंग विकर्स के साथ एक करार किया है । इस फर्म के साथ परामर्श करके कारखाने की इमारतों की विस्तृत प्लैनिंग कर ली गई है । कारखाने की मुख्य इमारत का निर्माण-कार्य जल्दी ही शुरू होने की संभावना है । आवश्यक संयंत्र और सामान प्राप्त करने के कार्य में काफी प्रगति हुई है ।

(ख) जी, हां ।

विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के मामले

*†२३२. **श्री ही० ना० मकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में विदेशी मुद्रा विनियमनों के उल्लंघन के मामलों में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा की चोरबाजारी करने वालों ने कलकत्ता रिज़र्व बैंक के साथ धोखेबाजी की है और वे लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा का चोर-बाजार करने में सफल हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

यरकला और एरादी जातियां

†१८३. **श्री ई० मधसूदन राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ५ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र की यरकला और एरादी जातियों को राज्य की ऐसी जातियों के समकक्ष लाने के बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) इस सम्बन्ध में अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ज्वालामुखी में छिद्रण

†१८४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्वालामुखी में छिद्रण का कार्य पुनः आरम्भ किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खंम्भात और कलोल क्षत्रों में तेल की खोज

†१८५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री मुरारका :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खंभात और कलोल तेल क्षेत्रों में तेल की खोज की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** :(क) और (ख).खंभात में अब तक २५ प्रयोगात्मक कुंए खोदे जा चुके हैं तथा दो और कुंए खोदे जा रहे हैं । इन २५ कुंओं में से १० से गैस निकलती है, २ से तेल और ८ सूखे हैं । अन्य ५ के बारे में परीक्षण किये जा रहे हैं । कलोल तेल-क्षेत्र में अब तक तीन कुंए खोदे गये हैं । इन तीनों में उस सतह तक परीक्षण किया गया है जिस से तेल निकालना लाभदायक हो सकता है और इन तीनों कुंओं में तेल मिला है ।

आंध्र में सीमेंट फैक्टरी

†१८६. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में सीमेन्ट की फैक्टरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वह कहां स्थापित की जायेगी, उस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा और वह संभवतः कब तक उत्पादन शुरू कर देगी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). दो गैर-सरकारी दलों को विशाखापट्टनम् जिले की विजयानगरम् तहसील में तथा नालगोंडा जिले में भोंगीर तहसील में एक-एक सीमेंट फैक्टरी को स्थापना के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत दो लाइसेंस दिये गये हैं । इन दोनों कारखानों का प्रारम्भिक कार्य शुरू हो चुका है । विजयानगरम् तहसील की फैक्टरी का उत्पादन १९६४ में और भोंगीर तहसील की फैक्टरी का उत्पादन १९६५ में शुरू होने की संभावना है । अनुमान है कि प्रत्येक फैक्टरी पर लगभग २·५ से लेकर ३ करोड़ रु० व्यय होगा ।

प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतन-क्रम

†१८७ **श्री ई० मधसूदन राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतन-क्रम बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतनक्रम बढ़ाने के लिये राज्य अपनी-अपनी योजनायें बनाते हैं और ऐसी योजनायें विभिन्न योजनाओं की अंग बनती हैं। देश भर के लिये कोई योजना नहीं है।

मैसूर राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां

†१८९. **श्री सिद्धय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में संशोधन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इन सूचियों में किन-किन जातियों के नाम शामिल किये जायेंगे या सूचियों में से निकाल दिये जायेंगे;

(ग) सूचियों में संशोधन करने के क्या कारण हैं;

(घ) जिन जातियों को सूचियों में शामिल किया जाने वाला है या सूचियों में से निकाला जाने वाला है उनकी १९६१ में की गई जन-गणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है; और

(ङ) राज्य सरकार ने सूचियों में संशोधन करने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को कब भेजा था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि इस समय प्रस्ताव विचाराधीन है इसलिये राज्य सरकारों द्वारा की गई सिफारिशें बताना लोक-हित में न होगा।

(ग) सूचियों में संशोधन इस कारण करने का प्रस्ताव है कि अनुसूचित और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में किसी जाति को गलती से शामिल कर लिया गया हो या उसमें नहीं रखा गया है तो यह गलती दूर कर ली जाये।

(घ) १९६१ की जन-गणना के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ङ) ये प्रस्ताव जनवरी, १९६० में प्राप्त हुए थे।

अनसूचित जातियों और अनसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का १९६०-६१ का प्रतिवेदन

†१९०. **श्री सिद्धय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने १९६०–६१ के लिये अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो वह सभा पटल पर कब रखा जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रतिवेदन को वर्तमान अधिवेशन में सभा पटल पर रखने का इरादा है।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

†१९१. **श्री सिद्धय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में देश के केन्द्रीय क्षेत्र और राज्यों के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये क्या योजनायें बनाई गयी हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बनाई गयी योजनाओं के लिये अलग-अलग कितनी राशि रखी गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३५।]**

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण की योजनायें

†**१९२. श्री सिद्धय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना में देश के केन्द्रीय क्षेत्र और राज्यों के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये बनाई गई योजनाओं में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) तीसरी योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण की योजनायें राष्ट्रीय पूर्ववर्तिता की कुछ योजनाओं तक, जिनके बारे में पूरे देश के लिये विकास की गति समान रूप से तीव्र होनी चाहिये। ये योजनायें अनुबन्ध में दी गई हैं। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३६।]**

अखिल भारतीय विधिजीवी परिषद्

†**१९३. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार एक अखिल भारतीय विधिजीवी परिषद् और एक समेकित विधिजीवी संगठन की स्थापना पर विचार कर रही है ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : अधिवेत्ता अधिनियम, १९६१ तथा अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार एक अखिल भारतीय विधिजीवी परिषद् की स्थापना के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। महान्यायवादी और सालिसिटर जनरल भारतीय विधिजीवी परिषद् के **पदेन** सदस्य होंगे और पन्द्रह राज्यों की विधि परिषदों द्वारा अपने सदस्यों में से चुना गया एक सदस्य होगा। अखिल भारतीय विधिजीवी परिषद् के लिये जो पन्द्रह सदस्य चुने जाने वाले हैं उनमें चौदह व्यक्तियों का चुनाव सम्पन्न हुआ है और शेष विधिजीवी परिषद् द्वारा एक सदस्य निकट भविष्य में चुन लिया जायेगा।

अधिवेत्ता अधिनियम, १९६१ में समेकित विधिजीवी संगठन की रचना का कोई उपबन्ध नहीं है और इसलिये सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाने का इरादा नहीं रखती।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्यनिषेध

†१९४. { **श्री नारायण दास :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने योजना आयोग द्वारा राज्यों के अपने अपने क्षेत्रों मे मद्यनिषेध को इस शर्त पर लागू करने के लिये दिये गये इस सुझाव के बारे में कि विभिन्न राज्यों को इस कारण होने वाली हानि की ५० प्रतिशत पूर्ति केन्द्र द्वारा की जायेगी, अब अपने विचार व्यक्त कर लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों ने क्या विचार व्यक्त किये हैं; और

(ग) गत वित्तीय वर्ष में क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). पंजाब सरकार ने इस शर्त पर कि दिल्ली में पहले मद्यनिषेध लागू किया जाये, केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता के आधार पर तीसरी योजना के अन्त तक पूर्ण मद्यनिषेध लागू करना मंजूर कर लिया है। मैसूर सरकार ने १-७-१९६१ से मान्ड्य जिला, मैसूर नगर और तालुक में मद्य निषेध लागू कर दिया है और १९६१-६२ के लिये आबकारी शुल्क की अनुमति हानि की पचास प्रतिशत पूर्ति के लिये केन्द्र से २२.५ लाख रुपये की सहायता मांगी है ।

२. मैसूर राज्य की सरकार ने (अपने अन्य जिलों के लिये), उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और केरल राज्य की सरकारों ने आबकारी शुल्क की हानि की पूर्ति और मद्य निषेध को लागू करने व पुनर्वास के व्यय की वहन करने के लिये केन्द्र से १०० प्रतिशत सहायता मांगी है। अन्य राज्यों की सरकारों के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

साक्षरता का विस्तार

†१९५. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साक्षरता के शीघ्र विस्तार के लिये समस्त विश्व में प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना के बारे में मार्च के तीसरे सप्ताह में पेरिस में हुए विभिन्न देशों के विशेषज्ञों की सिफारिशों पर ध्यान दिया है ;

(ख) क्या निकट भविष्य में भारत में ऐसे केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) सरकार को बिशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिशें यूनैस्को से नहीं मिली हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जल संभरण तथा सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता

†१९६. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जल सम्भरण और सफाई परियोजनाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र निधि और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से सहायता लेने के तरीकों की खोज करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः अन्तर्राष्ट्रीय सहायता देने वाले संगठन से बातचीत करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). सरकार ने तीसरी योजना की परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहायता देने वाले संगठनों अथवा देशों से बातचीत की है। जिन आवश्यकताओं में योजना की जल सम्भरण तथा सफाई परियोजना भी शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा योजना के पहले दो वर्षों के लिए की गई सहायता सिंचाई, विद्युत, परिवहन तथा संचार परियोजनाओं के लिए पूरी तरह लगा दी गई है और इसीलिए इस में से जल सम्भरण और सफाई परियोजनाओं के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र-संघ निधि ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बनाई गई वृहद् कलकत्ता के लिए जलसंभरण तथा जलनिस्सारण योजना के लिए ३.२४,१०० डालर की सहायता देना स्वीकार कर लिया है।

विश्व बैंक के विशेषज्ञों का दौरा

†१९७. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक तथा आई० डी० ए० विशेषज्ञों, जिन्होंने हाल में ही भारत का दौरा किया था, देश की विद्युत् क्षमता का व्योरेवार तथा प्राविधिक ठीक निर्धारण करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देना स्वीकार किया था; और

(ख) यदि हां, तो व्योरेवार सर्वेक्षण कब शुरू होगा।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). देश की विद्युत् आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करने के लिए विश्व बैंक अथवा आई० डी० ए० से कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी गई है। १९५५ से समस्त देश का दीर्घकालीन सर्वेक्षण कार्यक्रम चालू है। देश का भविष्य का विद्युत कार्यक्रम बनाने के लिए सर्वेक्षण का लाभ उठाया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

बुनियादी शिक्षा

†१९८ **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से मार्च १९६२ तक की अवधि में बुनियादी शिक्षा पर सरकार ने कितनी रकम व्यय की है;

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों को बुनियादी शिक्षा मिली है; और

(ग) उनको किन पेशों में नियुक्त किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का०ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). विवरण संबद्ध है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७]**

पाठ्य पुस्तकें

†१९९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों में प्रत्येक वर्ष पाठ्य पुस्तकों के बदले जाने के कारण शिक्षा महंगी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) प्रत्येक राज्य में पुस्तकों के बदले जाने में परिवर्तन होता है परन्तु सामान्यतः तीन वर्ष से कम की अवधि में पाठ्य पुस्तकों को नहीं बदला जाता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर प्रदेश में कोक तथा कोयले की कमी

†२००. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी कोक तथा सोफ्ट कोक की कमी है ;

(ख) क्या कोयले की कमी के कारण कानपुर में कुछ औद्योगिक एककों के बन्द हो जाने की आशा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) गोआ आपातकाल तथा बाद में कड़ी ठंड और कोहरे के मौसम के कारण दिसम्बर १९६१ तथा जनवरी और फरवरी १९६२ में उत्तर प्रदेश में कोयले तथा सोफ्ट कोक के लदान में कमी आ गई थी। अब स्थिति सामान्य हो गई है और मार्च १९६२ में कोयले तथा कोक के ९६५० माल डिब्बे उत्तर प्रदेश को भेज दिये हैं जबकि जनवरी, १९६२ में ८४९३ तथा फरवरी १९६१ में ७९८८ माल डिब्बे भेजे गये थे ।

(ख) और (ग). सरकार को कानपुर में मिलों के बन्द हो जाने की कोई सूचना नहीं मिली है परन्तु जब भी कभी कोयले के भंडार की कमी के बारे में रिपोर्ट मिली है तभी कोयला तुरन्त वहां पर पहुंचाया गया है जिससे मिल बन्द न हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग किया जाना

†२०१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग किये जाने के सम्बन्ध में आगे और प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत सर्वेक्षण विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†२०२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सर्वेक्षण विभाग, देहरादून के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अभी तक वर्दियां नहीं मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) केवल १६ व्यक्तियों को जूते नहीं मिले हैं अन्यथा सभी को सभी चीजें दे दी गई हैं ।

(ख) और (ग). संभरणकर्त्ताओं से पूरे कोटे की प्रार्थना की जा रही है । उनको पुनः याद दिलाया गया है ।

भारत आने वाले विदेशी शिष्ट मण्डल

२०३ **श्री बाल्मीकी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में कितने विदेशी सांस्कृतिक शिष्टमंडल हमारे देश में आये ;

(ख) किस-किस देश से आये ;

(ग) अब तक कितने सांस्कृतिक समझौते किये गये हैं ; और

(घ) उन पर कितना व्यय हुआ है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) नौ ।

(ख) मंगोलिया, बल्गारिया, फेडरल रिपब्लिक आफ़ जर्मनी, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, अफ़गानिस्तान और रूस ।

(ग) १९६१–६२ के दौरान तीन सांस्कृतिक समझौते हुए ।

(घ) इन प्रतिनिधि मंडलों पर १,४९,३४३ रुपये खर्च किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादन-शुल्क विभाग में भ्रष्टाचार

२०४. **श्री बाल्मीकी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष में उत्पादन-शुल्क विभाग के कितने कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पर मुकदमे चलाये गये हैं ;

(ख) क्रमशः १, २, ३, ४ श्रेणी अनुसार राज्यवार उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) राज्यवार कितने मामले अदालतों में चले तथा कितने विभागीय तौर पर निबटाये गये ; और

(घ) उनमें क्या सजायें दी गईं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). मांगी गयी सूचना केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (सेण्ट्रल एक्साइज) के कलक्टरों से इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी हो जाने पर उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा ।

दिल्ली में मकानों के प्लाटों का विकास

†२०५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अगले वर्ष के मध्य तक लगभग ५००० मकानों के प्लाटों का विकास करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की लागत क्या है तथा इन प्लाटों का कहां पर विकास किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). नियम १९७ के अधीन श्री प्र० गं० देव द्वारा दी गई सूचना के उत्तर में २३ मार्च, १९६१ को सभा पटल पर रखे गये विवरण की ओर ध्यान दिलाया जाता है । विवरण में दिल्ली में लगभग ८,००० एकड़ भूमि के अर्जन, विकास तथा विक्रय की योजना के ब्योरे हैं । यह भूमि उपरोक्त विवरण में उल्लिखित समिति की मुख्य सिफारिशों के अनुसार बनाई गई है कि सरकार दिल्ली नगरीय सीमा के अन्तर्गत पड़ी सभी खाती जमीन का अर्जन करें और भविष्य के विकास का ध्यान रख कर पूर्वनिश्चित आधार पर उसका विकास करें तथा प्रति वर्ष न्यूनतम ५,००० प्लाटों को बेचे ।

ईंटों के मूल्य

२०६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में चीफ कमिश्नर ने ईंटों का भाव निर्धारित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके सम्बन्ध में जनता से घटिया ईंटें मिलने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) दो शिकायतें साबित नहीं हुईं और बाकियों में जांच हो रही है ।

दिल्ली में मकान बनाने के लिये हरिजनों को दी गई राशि

२०७. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हरिजनों को मकान बनाने के लिये १९६१–६२ में कुल कितना रुपया दिया गया ; और

(ख) क्या यह सब रुपया दे दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) तथा (ख). सन् १९६१–६२ की अवधि में मकानों के निर्माण के हेतु दिल्ली प्रशासन ने हरिजनों को सहाय्य रूप में देने के लिए २,६९,३९८ रुपये की राशि स्वीकार की है । इस राशि में से २,३८,७९८ रुपये बांटे जा चुके हैं ।

अध्यापकों की शिक्षा

†२०८. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इस वर्ष जनवरी में जयपुर में अपने अधिवेशन में अध्यापकों की शिक्षा के सभी पहलुओं की समस्याओं की जांच के लिए एक उच्चाधिकार समिति नियुक्त करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिश के अनुसार समिति नियुक्त कर दी गई है ;

(ग) क्या इस समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लक्ष्य

†२०९. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इस वर्ष जनवरी में जयपुर में अपने अधिवेशन में यह सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य तथा समस्त देश में शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लक्ष्यों का पुनरीक्षण किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) मामले पर योजना आयोग से बातचीत हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेडियो सैटों पर उत्पादन शुल्क का लगाया जाना

†२१०. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल में अखिल भारतीय रेडियो व्यापारी संघ अथवा दूसरी किसी रेडियो व्यापारी संथा को ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें रेडियो सैटों पर उत्पादन शुल्क लगाये जाने का विरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या मुख्य आपत्तियां उठाई हैं ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जी, हां। इस वर्ष के आरंभ में दिल्ली और अमृतसर की रेडियो व्यापारी संथाओं की ओर से तीन अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन में मुख्यत: ये प्रार्थनाएं की गई हैं (१) उत्पादन शुल्क लगाने की प्रणाली को मथा मल्य दर से बदल कर निश्चित शुल्क कर देना, (२) छोटे पैमाने के निर्माताओं के लिये उत्पादन शुल्क के तरीके को सरल करना, और (३) प्रतिवर्ष ३०० रेडियो सैट या कम बनाने वाली छोटी इकाइयों को उत्पादन शुल्क से छूट देना ।

(ग) उपरोक्त (१) और (२) प्रार्थनाएं अंशत: स्वीकार कर ली गई हैं। विभिन्न वर्गों के वायरलैस सैटों के लिये उत्पादन शुल्क की स्वैच्छिक विशिष्ट दरें निश्चित कर दी गई हैं। और एक सरल तरीका तैयार कर लिया गया है जो लागू कर लिया गया ह। तथापि उपरोक्त (३) नम्बर की प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई है ।

दिल्ली के सहायता-प्राप्त स्कूलों के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशें

२११. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी सहायता-प्राप्त सभी स्कूलों में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल शुरू कर दिया गया है ; और

(ख) यदि कुछ ने नहीं किया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) सरकार द्वारा सहायता-प्राप्त दिल्ली के स्कूलों ने संशोधित वेतन-मानों से संबंधित दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बस्तर के भूतपूर्व शासक को भत्ता

†२१२. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बस्तर के भूतपूर्व शासक श्री प्रवीण चंद्र भंजदेव को इस समय कितना मासिक भत्ता दिया जाता है ; और

(ख) क्या इस भत्ते में उस की धर्मपत्नी का कुछ अंश भी शामिल है अथवा उन को पृथक भत्ता दिया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) २००० रुपये ।

(ख) भूतपूर्व शासक की पत्नी को कोई पृथक भत्ता नहीं दिया जाता ।

प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिये निःशुल्क भोजन और वस्त्र

†२१३. **श्री प० कुन्हन** : क्या शिक्षा मंत्री २२ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २८ दिसम्बर १९६० को कानपुर में हुए अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन की कार्रवाई का वृतान्त अब प्राप्त हो गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ प्राथमिक स्कूल बच्चों को निश्शुल्क भोजन और वस्त्र देने की सिफारिश की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या निर्णय है ; और

(ग) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का०ला०श्रीमाली)** : (क) सम्मेलन के संकल्प प्राप्त हुए हैं, कार्रवाई का वृत्तान्त नहीं, किन्तु उस में ऐसी सिफारिश नहीं की गई है कि प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को निशुल्क भोजन और वस्त्र दिये जाने चाहियें ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ?

(ग) सम्मेलन के संकल्पों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

केरल में अट्टापडी आदिमजाति विकास खण्ड

†२१४. **श्री प० कुन्हन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ के लिये केरल के अट्टापडी आदिमजाति विकास खंड के लिये कितनी राशि नियत की गई थी;

(ख) इस नियतन की कितनी राशि खर्च की गई है और किस काम के लिये; और

(ग) लक्ष्य प्राप्ति में कमी के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) २ लाख रुपये । यह सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष के औसत नियतन २·४० लाख रुपये के अतिरिक्त है ।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के सहायक आयुक्त

†२१५. **श्री अच्युत्तन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये एक सहायक आयुक्त केरल राज्य में काम कर रहा था, जिसका मुख्यालय त्रिवेन्द्रम में था, और क्या बाद में पद और कार्यालय समाप्त कर दिये गये;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या अब मद्रास में, मद्रास और केरल दोनों राज्यों के लिये एक सहायक आयुक्त काम कर रहा है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) केरल का शासन इतना छोटा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये एक पृथक् सहायक आयुक्त की नियुक्ति करना उचित नहीं था ।

(ग) जी हां ।

अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी विधान

†२१६. **श्री बासप्पा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों में बच्चों की अनुपस्थिति अनिवार्य करने का नमूना विधान केन्द्र द्वारा बनाया गया है;

(ख) क्या राज्यों से कहा गया है कि वे इस नमूना विधान के अनुसार अपने विधान बनायें; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आधुनिकतम स्थिति क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी नमूने का विधान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से बनाया जा चुका है और वह उनके मार्ग दर्शनार्थ उनको भेजा जा चुका है ।

(ग) विभिन्न राज्यों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी नई विधियों के अधिनियम सम्बन्धी नवीनतम स्थिति इस प्रकार है :—

निम्न राज्यों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी नई विधियां पुरानी विधियों का स्थान लेने के लिये १९६० और १९६१ में पारित की गई हैं :

(१) पंजाब—१९६० में

(२) आन्ध्र प्रदेश—१९६१ में

(३) गुजरात—१९६१ में

(४) मध्य प्रदेश—१९६१ में

(५) मैसूर—१९६१ में

आसाम, बिहार, जम्मू व काश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नवीन विधियां बनाने का प्रश्न राज्य सरकारों के विचाराधीन है ।

केरल, मद्रास और पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार अनुभव करती है कि इस सम्बन्ध में किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आंध्र के लिये कोयले का अभ्यंश

†२१७. { **श्री ई० मधुसूदन राव :**
श्री वेंकटा सुब्बया :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल में भारत सरकार से ५० प्रतिशत तक कोयले का अभ्यंश (कोटा) कम कर देने के सम्बन्ध में विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या फैसला किया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) पहले, कोयले के अभ्यंश उपलब्ध रेल परिवहन क्षमता से कहीं अधिक थे । यह अनुभव किया गया था कि उपभोक्ताओं के लाभार्थ यह उचित होगा कि वास्तविक नियतन किया जाये जिसके यथार्थ में ढोये जा सकने की अपेक्षा हो, ताकि उपभोक्ता अपनी इकाइयों को चलाने की उचित योजना कर सकें । आंध्र प्रदेश समेत सब राज्यों के १९६२ के अभ्यंशों में तदनुसार शोधन कर दिया गया ताकि वे उपलब्ध रेल परिवहन क्षमता के साथ मेल खायें । आंध्र प्रदेश का अभ्यंश, १९६१ में १८०६ वैगन प्रति मास के उनके आवंटन के मुकाबले में प्रति मास ११४७ वैगन पर निश्चित कर दिया गया था । राज्य सरकार ने इस शोधन के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है ।

(ख) आंध्र प्रदेश का अभ्यंश तब से १८०० वैगन प्रति मास तक बढ़ा दिया गया है ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अध्यापकों की आवश्यकता

†२१८. **श्री ई० मधुसूदन राव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में विभिन्न राज्यों में विभिन्न श्रेणियों के स्कूलों में कुल कितने अनुमानित अध्यापकों और महिला अध्यापकों की जरूरत होगी; और

(ख) पर्याप्त संख्या में अध्यापक मिलें, इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) एक विवरण संलग्न है । महिला अध्यापकों की पृथक् संख्या ज्ञात नहीं है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनबन्ध संख्या ३८]**

(ख) राज्य सरकारों की योजनाओं में विद्यमान प्रशिक्षण संस्थाओं के विस्तार की योजनाएं तथा नई संस्थाएं खोलने की योजनाएं शामिल हैं । जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, बहु-प्रयोजनीय स्कूलों में व्यवहारिक विषयों के अध्यापकों की मांग को पूरा करने के लिये चार प्रादेशिक प्रशिक्षण कालेज स्थापित किये जा रहे हैं । १०० प्रतिशत आधार पर केन्द्रीय सहायता अध्यापकों के प्रशिक्षण से सम्बन्ध रखने वाली राज्य विकास योजनाओं को दी जा रही है । महिला अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिये, विशेष योजनाएं, अर्थात् महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये संस्थाएं खोलना, वर्तमान संस्थाओं में दाखिले की क्षमता को बढ़ाना, माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षण अनुभाग खोलना, अंशकालिक प्रशिक्षण की व्यवस्था, अध्यापिकाएं बनने के लिये गांवों की लड़कियों को वित्तीय सहायता देना आदि से सम्बन्धित योजनाओं को शत प्रतिशत सहायता दी जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एवरैस्ट अभियान

†२१९. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल के भारतीय ऐवरैस्ट अभियान को कुछ सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और किस रूप में; और

(ग) दल मे कौन कौन लोग थे ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):**(क) जी हां।

(ख) ५ लाख रुपये की राशि ऐवरैस्ट अभियान का व्यय पूरा करने के लिये सहाय्य-अनुदान के रूप में भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन को दी गई है।

(ग) दल में ये लोग हैं :—

१. मेजर जौन डायस—नेता

२. इन्स्ट्रक्टर लैफ्टीनेंट—एम० एस० कोहली—उपनेता

३. कैप्टन ए० बी० जुंगलवाला

४. कैप्टन मुल्क राज

५. चीफ योमैन आफ सिगनल्ज—के० पी० शर्मा

६. फ्लाइट लैफ्टिनेंट ए० के० चौधरी

७. कैप्टन एम० ए० सोरज़

८. श्री सी० पी० बोहरा

९. श्री सोनाय ग्यास्टो

१०. डा० ए० एन० डी० नानावती

११. श्री गुरदियाल सिंह

१२. श्री ओ० पी० शर्मा

१३. श्री हरि डांग

१४. श्री सुमन दुबे

फ्रैंडशिप यूनिवर्सिटी मास्को

†२२०. **श्री नम्बियार :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रैंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को (लुमुम्बा विश्वविद्यालय) को भारतीय विद्यार्थी भेजने आरम्भ कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने विद्यार्थी भेजे जा चुके हैं;

(ग) क्या यह फैसला किया गया था कि केवल स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में भेजे जायेंगे;

(घ) क्या सोवियत संघ की सरकार ने ऐसी कोई शर्त लगाई थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) सोवियत संघ की सरकार ने दाखिले के लिये क्या निम्नतम आयु और शैक्षिक योग्यताएं रखी हैं; और

(च) विद्यार्थियों का चुनाव कौन सा प्राधिकार करता है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर)** : (क) जी हां।

(ख) २४ ।

(ग) और (घ). जी नहीं।

(ङ) भारत सरकार ने सोवियत प्राधिकारियों के परामर्श से निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की हैं :—

निम्नतम आयु	१९ वर्ष
निम्नतम शिक्षा	(१) **प्रथम स्नातक पाठ्यक्रम के लिये** :— विज्ञान में स्नातक की उपाधि—प्रथम श्रेणी में
	(२) **विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये**— रसायन शास्त्र, गणित, या मानव शास्त्र में मास्टर की उपाधि और यंत्र इंजनियरी में स्नातक की उपाधि ।

(च) चुनाव करने के लिये सरकार द्वारा चुनाव समितियां बनाई गई हैं, एक विज्ञान और प्रौद्योगिकीय के लिये और दूसरी मानव शास्त्र के लिये ।

सागर के समीप एरान में पुरातत्वीय वस्तुएं

†२२१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में सागर के समीप एरान में की गई खुदाइयों से कुछ पुरातत्वीय वस्तुएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उन वस्तुओं का ऐतिहासिक मूल्य क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष १९६०–६१ में स्थान की खुदाई करने पर, चलकोलिथिक से आरम्भ होकर उत्तरार्ध मध्य युग तक आबादी की चार अवधियों का पता चला है । महत्वपूर्ण वस्तुएं चित्रकारी किये हुए बर्तन, टैराकोटा पशु फिगुरीन, मालाएं, पंच के चिह्न वाले और सिक्के के आदिम जाति तांबे के सिक्के, रायगुप्त के सिक्के, नाग वंश और इंडो-सास्सानियन शासक और लोहे की वस्तुएं आदि ।

(ग) खुदाई ने सिद्ध कर दिया है कि चालकोलिथिक युग से संस्कृति का क्रम आगे चला और इसने पक्की नींव पर इसे रख दिया है, विशेषकर ऐतिहासिक युग के सम्बन्ध में, जहां विभिन्न वंशों के सिक्के भी पाये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के शिक्षकों को खेलों का प्रशिक्षण

२२२. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के शिक्षकों को खेल सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिये दो प्रशिक्षण शिविर लगाये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) शिक्षा निदेशक, दिल्ली ने दो अलग अलग शिविर आयोजित किए हैं— एक दिल्ली के शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिये तथा दूसरा अध्यापिकाओं के लिये । इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य अध्यापकों/अध्यापिकाओं के शारीरिक शिक्षा के ज्ञान को ताजा करना तथा उन्हें इस क्षेत्र की नवीनतम प्रवृत्तियों से अवगत कराना है । अध्यापकों को हाकी, फुटबाल, क्रिकेट, बास्केटबाल, कुश्ती, कसरत (जिमनास्टिक्स) और व्यायाम-शिक्षा (एथलेटिक्स) में तथा अध्यापिकाओं को व्यायाम-शिक्षा (एथलेटिक्स), बास्केटबाल और कसरत (जिमनास्टिक्स) में प्रशिक्षण दिया जाता है । शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिये शिविर १५ अप्रैल, १९६२ से तीन सप्ताह की अवधि का है । अध्यापिकाओं के लिये शिविर ९ अप्रैल, १९६२ से एक माह की अवधि का है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नामरूप उर्वरक परियोजना के लिये भूमि का अर्जन

†**श्री रिशांग किशिंग** (बाह्य मनीपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं इस्पात और भारी उद्योग मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं । और प्रार्थना करता हूं कि वह उसके विषय में एक वक्तव्य दें :—

"आसाम की नामरूप उर्वरक परियोजना द्वारा लगभग ७०० परिवारों की प्रस्तावित बेदखली से उत्पन्न स्थिति "

†**इस्पात, और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** सब से पहिले तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह मामला राज्य सरकार का है अतः इसे आसाम विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना चाहिये था । परन्तु फिर भी मैं निम्न वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं ।

नामरूप की दो परियोजनाओं का नोटिस में उल्लेख है । एक तापीय विद्युत् परियोजना और दूसरी उर्वरक परियोजना । मेरा सम्बन्ध सीधे रूप में उर्वरक परियोजना से है । दूसरी आसाम सरकार द्वारा चलाई जा रही है । उर्वरक परियोजना उर्वरक निगम द्वारा चलाई जा रही है ।

उद्योगों का विस्तार करना हमारी औद्योगिक नीति है । इस विस्तार का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लोगों को समृद्धि, रोजगार के साधन प्राप्त हों और जीवन का स्तर उपर उठे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम्]

राज्य सरकारें भी इस दिशा में अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रही है। जब तक भूमि, पानी और संचार साधन उपलब्ध न हों, बड़ी बड़ी औद्योगिक परियोजनायें किसी एक क्षेत्र में स्थापित नहीं हो सकतीं। कोई बार कोई भूमि अर्जित करनी पड़ती है और उस भूमि पर बस रहे लोगों को मुआवजा दे कर कहीं दूसरे स्थान पर बसाना होता है। कई कठिनाइयों, रुकावटों और विरोधों का भी मुकाबला करना होता है। इससे कई बार काम के आरम्भ में भी देरी हो जाती है और कई बार परियोजना को सदा के लिये ही छोड़ना पड़ जाता है। खाद्य उत्पादन के हित में यह निर्णय किया गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में कम से कम एक उर्वरक कारखाना खोला जाय। तदनुसार आसाम में नामरूप के स्थान पर एक उर्वरक कारखाना खोलने का प्रस्ताव है।

उर्वरक परियोजना के लिये निर्धारित १००० एकड़ भूमि में से १७३ राज्य सरकार की थी और ८२७ एकड़ गैर-सरकारी पक्षों की। गैर-सरकारी भूमि में से केवल १० एकड़ अर्जित की गई है और वैसा मालिकों की पूर्ण सहमति से किया गया है। लगभग ३३० एकड़ भूमि दिल्ली चाय एस्टेट की थी जिन्होंने आसाम उच्च न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली जिसमें उर्वरक निगम को उस भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से रोका गया था। तदनुसार निर्माण-कार्य पूर्णतः रोक दिया गया है।

प्रस्तावित अर्जन के विरुद्ध कोई विशेष आवाज नहीं उठाई गई थी। कोई बेदखलियां भी नहीं हुई हैं और किसी प्रकार की कठिनाई का कोई कारण नहीं था। ऐसा मालूम होता है कि भूमि अर्जन के प्रस्ताव का उपयोग छोटे मोटे राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किया जा रहा है।

उर्वरक परियोजना के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि से १४६ परिवार प्रभावित होंगे। अभी तक कोई भी परिवार विस्थापित नहीं किया गया है। भूमि का अर्जन राज्य सरकार द्वारा कानून के अनुसार किया जायेगा और उसी के अनुसार प्रतिकर दिया जायेगा।

भूमि पर काबिज व्यक्तियों की ओर से प्रभावित परिवारों को प्रतिकर के तुरन्त भुगतान विस्थापन के बाद तुरन्त पुनर्वास और उर्वरक परियोजना में सेवायोजन की मांगें पेश की गई थीं। पहली दो मांगें आसाम सरकार से संबंधित हैं। हम भूमि का अर्जन सहयोग के वातावरण में करना चाहते हैं। जहां तक सेवा योजन का प्रश्न है, उर्वरक निगम की नीति भूमि अर्जन द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की प्राथमिकता देने को है जब कि अन्य शर्तें सब के लिये समान हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९६१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १६ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४६३।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) दिनांक १६ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४६४ ।

(तीन) दिनांक २० जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७७ ।

(चार) दिनांक २७ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १०१ ।

(पांच) दिनांक १० फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १५७ ।

(छ) दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १८७।

(सात) दिनांक २४ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २२५ ।

(आठ) दिनांक २४ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २२८ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २८/६२ ।]

लोक सहायक सेना अधिनियम तथा नौसेना अधिनियम के अन्तर्गत सूचनायें

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैय्या)** : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

लोक सहायक सेना अधिनियम, १९५६ की धारा ११ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ९ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २५७ में प्रकाशित लोक सहायक सेना (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति :—

नौसेना अधिनियम, १९५७ की धारा १८५ के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३८९ में प्रकाशित नौसेना (निजी सम्पत्ति का निर्वतन) विनियम, १९६१ ।

(ख) दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३९० में प्रकाशित नौसेना (अधिकृत कटौतियां) संशोधन विनियम, १९६१ ।

(ग) दिनांक १० मार्च, १९६२ की एस० आर० ओ० संख्या ८९ द्वारा संशोधित दिनांक १० फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४६ में प्रकाशित पत्नियों और बच्चों का भरण-पोषण (वेतन से कटौतियों की दर) विनियम, १९६२ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० २१/६२ से एल० टी० ३२/६२ तक]**

केन्द्रीय उत्पादक शुल्क अधिनियम तथा नमक अधिनियम समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ और समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत जिस में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३८७ की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० ३९/६२।]**

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ और समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम. १८७८ की धारा ४३–ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३८८ की एक प्रति। दिनांक १० मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २८८ और २८९ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३–ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ३८९।

(ख) दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ३९०।

(ग) दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ३९१।

(घ) दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ३९२।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३९३ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादनशुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ३३/६२ से एल० टी० ३५/६२ तक]**।

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं अत्यावश्यक पण्य, अधि-नियम, १९५५ की धारा ३ की उप–धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १८ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४९५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३६/६२]**।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उप–धारा (३) के अन्तर्गत निर्वाचकों का पंजीयन नियम, १९६० में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति :—

(एक) दिनांक २१ दिसम्बर, १९६१ की एस० ओ० संख्या २३१५।

(दो) दिनांक २४ नवम्बर, १९६१ की एस० ओ० संख्या २७९१।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक प्रतिनिधित्व एक्ट, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २७ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ५९७ में प्रकाशित निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः संख्या एल० डी० ३७/६२ और एल० डी० ३८/६२ ।]

समितियों के लिये निर्वाचन

प्रोद्योगिकीय संस्था अधिनियम के अन्तर्गत समिति

†**सांस्कृतिक-कार्य तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रोद्योगिकीय संस्था अधिनियम, १९६१ की धारा ३१(२) (९) और ३२ (१) और (४) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम की धारा ३१(१) के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली परिषद् के, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से आरम्भ होने वाली तीन वर्ष तक सदस्यों के रूप में काम में करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि प्रोद्योगिकीय संस्था अधिनियम, १९६१ की धारा ३१(२) (९) और ३२ (१) और (४) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम की धारा ३१ (१) के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली परिषद् के, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से आरम्भ होने वाले तीन वर्ष तक सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

भारतीय खान स्कूल की प्रशासी परिषद

†**सांस्कृतिक-कार्य तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** :

"कि भूतपूर्व इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित दिनांक ४ मई, १९५७ के संकल्प संख्या ३१५ (१)/५७-एम ३ के पैराग्राफ ४ और ५ के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय खान स्कूल, धनबाद की प्रशासी परिषद् के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भूतपूर्व इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित दिनांक ४ मई, १९५७ के संकल्प संख्या ३१५(१) /५७–एम–३ के पैरा-

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्राफ ४ और ५ के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय खान स्कूल, धनबाद की प्रशासी परिषद् के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

रेलवे आय-व्ययक--सामान्य चर्चा--(जारी)

†**श्री प्र० र० चक्रवर्ती** (धनबाद) : २३ अप्रैल, १९६२ को धनबाद में जो भीषण दुर्घटना हुई है, मैं बड़े दुःख से यहां उसका उल्लेख करना चाहता हूं । मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों की यह इच्छा है कि सरकार इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पूरी जांच करे और इस प्रकार की व्यवस्था करे कि आगे से ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके । यह आज की की नहीं हमारी पुरानी शिकायत है। इस दुर्घटना में १८ व्यक्ति मारे गये हैं और इस बात का संतोष है कि रेलवे दुर्घटनाओं की जांच के लिए डा० कुंजरू की अध्यक्षता में समिति बनाई गयी है और वह जांच करेगी और इस कठिनाई का कोई स्थायी हल निकल आयेगा ।

इस से पूर्व इस बात की इतनी आशा नहीं थी कि धनबाद इतना महत्वपूर्ण नगर बन जाएगा और कई ओर से लाइनें यहां आकर मिलेगी। कांग्रेस प्रधान को भी वहां पहुंचने पर लाइन पार कर के जाना पड़ा जिस पर मुझे लज्जा हो रही थी, अतः इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सर्वविदित है कि धनबाद का क्षेत्र कोयला उत्पादन क्षेत्र है। आज जो औद्योगिक प्रगति देश में हो रही है उसका ८० प्रतिशत आधार कोयला है । मेरे विचार में परिवहन की समुचित व्यवस्था न होने से कोयले के उत्पादन की गति बड़ी मन्द पड़ गयी है । रेलवे को इस स्थिति का सामना करने के लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोयला उत्पादन का लक्ष्य ६०० लाख टन रखा गया था । तीसरी पंचवर्षीय योजना के एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा । अतः उत्पादन बढ़ाना होगा और उस के लिए अपेक्षित परिवहन की व्यवस्था करनी होगी ।

किराया बढ़ाने के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस वृद्धि को तब ही उचित कहा जा सकता है जब कि तीसरे दर्जे के डिब्बों में भीड़ भाड़ कम की जाय और यात्रियों को समुचित सुविधायें दी जायें । जिस हालत में हमारी अपनी आवश्यकतायें ही पूरी नहीं हो रहीं हम सवारी डिब्बों और इंजनों के निर्यात की बात कैसे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि रेलवे कर्मचारियों के कल्याण की ओर भी समुचित ध्यान दिया जाय और हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के मामलों पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। मानवीय दृष्टि से उन के अवैधानिक कार्य को क्षमा करके उनका सहयोग प्राप्त करना ही चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री महीड़ा (आनन्द) : मैं ने मिश्रित भाव से रेलवे आय-व्ययक को देखा है । बात यह है कि मैं वर्षों से तीसरे दर्जे का यात्री हूं परन्तु आजकल इतनी भीड़ भाड़ है कि रेलवे यात्रा से पैदल चलना अधिक लाभ दायक दिखाई देता है । लोग जीवन को खतरे में डालकर यात्रा करते हैं। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह भी वर्ष में एक बार तीसरे दर्जे में यात्रा करके देखें ताकि आपको इस सम्बन्ध में कठिनाइयों का पता लग जाये । इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गुजरात के दक्षिण भाग को मध्य प्रदेश से मिलाया जाना चाहिए । विश्वामित्री को बड़ौदा से मिलाया जाना चाहिये ।

श्रीमती जमना देवी (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो रेलवे बजट रखा है उस पर आज चार रोज से चर्चा हो रही है । आपको विदित ही होगा कि पिछले दस वर्ष से मध्य प्रदेश के पिछड़े हुए इलाके की तरफ से मांग की जा रही है कि दाहुद से इन्दौर तक और दाहुद से खंडवा तक के क्षेत्र में रेलवे लाइन डाली जाए लेकिन मंत्री महोदय ने उस ओर कतई ध्यान नहीं दिया । क्या इसका कारण यही है कि आज केन्द्रीय सरकार के अन्दर हमारे मध्य प्रदेश से कोई मंत्री नहीं है और इसलिए सुनवाई नहीं होती है । मैं यह जानना चाहूंगी कि क्यों नहीं सरकार ने उस ओर ध्यान दिया । आज उस पिछड़े हुए इलाके को आदिवासी क्षेत्र घोषित किया गया है । उस क्षेत्र में नान-आदिवासी लोग भी रहते हैं। आदिवासियों के साथ उनको भी नुकसान हो रहा है ।

माननीय मंत्री महोदय को यह भावना है कि वह अपने रेलवे विभाग द्वारा अधिक से अधिक जनता को सुख सुविधा और सहूलियत दे सकें। उस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

मेरा एक सुझाव है मंत्री महोदय से कि खास कर रात्रि के समय महिलाओं के जो डब्बे रहते हैं उनकी सुरक्षा की ओर ध्यान दिया जाए । पानी की व्यवस्था के लिए तो आम चर्चा यहां हुई है, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि महिलाओं के जहां डब्बे रहते हैं उस ओर खास कर पानी पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

दस प्रतिशत जो थर्ड क्लास का किराया बढ़ाया जा रहा है, उस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वह थर्ड क्लास में सफर करने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति-पूर्वक विचार करें और उनकी जो स्थिति है उस पर गौर करें और उनका किराया कम करें। क्या शासन की नीति उस डाक्टर की तरह है जो एक हाथ से खून निकालता है और दूसरे हाथ से इंजेक्शन लगाता है ? हमारे देश की जो हालत है उस में अगर आप इस हाथ से लें और उस हाथ से दें तो जनता का क्या भला हो सकता है और उसको क्या सहूलियत हो सकती है ।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि वे एक दो बार थर्ड क्लास में सफर कर के देखें कि दरअसल उनमें कितनी भीड़भाड़ और धक्का मुक्की होती है और सामान किस तरह से उन में भरा जाता है तो उनको महसूस होगा कि तीसरे दर्जे में सफर करने वाले यात्रियों को कितनी असुविधा और तकलीफ उठानी पड़ती हैं ।

मध्य प्रदेश एक काफी बड़ा प्रांत है और रेलवे प्रशासन को उधर ध्यान देना चाहिये और यह जानने का प्रयत्न करना चाहिये कि वहां के लोगों की क्या आवश्यकतायें हैं । वहां रेलवे लाइन की व्यवस्था को जानी आवश्यक है । मैं आशा रखती हूं कि रेलवे मंत्री महोदय इस चीज को ध्यान में रख कर

[श्रीमती जमना देवी]

जल्द से जल्द रेलवे लाइन के वहां पर डालने की जो मांग है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। जल्द से जल्द वहां पर रेलवे लाइन डाल कर लोगों को सुविधा और राहत पहुंचायेंगे।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : कम वेतन पाने वाले रेलवे कर्मचारी, जिन से हमारा रेलवे यात्राओं के दौरान में वास्ता पड़ता है, अपने अच्छे व्यवहार और कार्य में के लिये बधाई के पात्र हैं।

आम चुनावों के तुरन्त बाद किरायों में वृद्धि करने से बुरा प्रभाव पड़ा है। यह कहना ठीक नहीं है कि पिछले दस वर्षों में किरायों में कोई वृद्धि नहीं हुई। वास्तव में सितम्बर, १९५७ में ही वृद्धि की गई थी जबकि यात्री किराया-कर जोड़ा गया था। अब माननीय मंत्री को सोचना चाहिये कि क्या इस समय और वृद्धि करना उचित है।

रेलवे मंत्री ने किराया बढ़ाने के लिये वही तर्क दिये हैं, जो १९५७ में उस समय के वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचारी ने, यात्री किरायों में कर जोड़ते समय दिये थे। किन्तु वह तर्क अब प्रभावी नहीं रहे। उपमंत्री महोदय ने कहा है कि सारी आय राज्य सरकारों के पास जायेगी। किन्तु ऐसा होने से यात्रियों को जिन की जेब से यह रुपया जायेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हे इस बात से कोई सन्तोष नहीं होता कि यह रुपया राज्यों के कोष में जायेगा।

कर्मचारियों की एक मुख्य सिफारिश यह है कि वे बड़े अधिकारियों से सीधे नहीं मिल पाते। प्राक्कलन समिति ने ऐसी मुलाकातों पर जोर दिया है। मेरे विचार में रेलवे मंत्रियों, रेलवे बोर्ड के सदस्यों, जनरल मैनेजरों और विभागाध्यक्षों को कुछ समय उन कर्मचारियों की बात सुनने के लिये अवश्य निर्धारित करना चाहिये जो अपने मामले पेश करना चाहें और ऐसे मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहें, जो अन्यथा उन तक न पहुंच सकते हों। मुझे मालूम हुआ है कि बारबार प्रार्थना करने के बावजूद भी कर्मचारियों को बड़े अधिकारियों से नहीं मिलने दिया जाता। इस बात पर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिये।

मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं जिस में रेलवे संचार के साधन बहुत कम हैं मालदा-सिलीगुड़ी बड़ी लाइन जिस तरह से निर्माण की जा रही है, उससे उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यह पश्चिम दीनाजपुर जिले को मिलाने के लिये बनाई जानी थी, किन्तु वास्तव में यह दीनाजपुर को छोड़ कर बिहार में किशनगंज की ओर ले जाई गई है। यह आश्चर्य की बात है कि यह लाइन पश्चिम बंगाल और बिहार के सीमांत से तो गुजरती है परन्तु उस जिले का बड़ा भाग दूर रह जाता है। मेरा सुझाव है कि यह लाइन बालघाट के वर्तमान मुख्यालय और रायगंज के भावी मुख्यालय से मिलाई जाये। दूसरा सुझाव यह ह कि रायगंज तक ३० मील मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाये, ताकि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कठिनाइयां दूर हो सकें।

†**श्री नेसामनी** (नागरकोइल) : किरायों और भाड़ों में वृद्धि से आवश्यक वस्तुओं के दाम और बिक्री कर भी बढ़ जायेगा। किन्तु विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था में, जिसमें हम तीसरी योजना के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, हमें कुछ न कुछ कष्ट उठाना ही पड़ेगा। इसलिये यदि इस रूप में कुछ नया कर लगाया गया है, तो हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं रेलवे मंत्री का ध्यान कन्याकुमारी जिले की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। इस जिले में तिरुनेलवेली को कन्याकुमारी से मिलाने वाली एक लाइन की मांग की गई है। किन्तु उत्तर यह दिया जाता है कि इस क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है, इसलिये लाइन क्यों बनाई जाये। जब हम उद्योग स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, तो कहा जाता है कि संचार के साधन नहीं हैं और उद्योग स्थापित करना कठिन है। उस क्षेत्र में एक खनिज रेत तैयार करने वाले कारखाने को परिवहन के उचित साधनों के न होने के कारण बन्द करना पड़ा। दूसरी कम्पनी भी बन्द करने की संभावना हो सकती है। तिरुनेलवेली में औद्योगिकरण की बहुत सी योजनाएं केवल संचार साधनों की कमी के कारण शुरू नहीं की जा सकतीं। इस कमी के कारण कन्याकुमारी जिले के तट पर लंका के लिये तैयार की जानी वाली सूखी मछली की मंडी बन्द होती जा रही है। परिवहन साधनों के न होने के कारण डालर कमाने वाली रबड़ और चाय और कपड़े जैसी वस्तुएं कोचीन की मंडी में अन्य वस्तुओं का मुकाबला नहीं कर सकतीं। नमक भी इसी कारण मुकाबले की दरों पर नहीं बेचा जा सकता। तिरुनेलवेली–कन्याकुमारी लाइन की मांग कोई नई नहीं है। पचास साल पुरानी है। इस लाइन को सर्वेक्षण आदि भी हो चुका था, किन्तु तीसरी योजना में इसको हटा दिया गया है। मैं रेलवे मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करे और इस लाइन को तीसरी योजना में सम्मिलित किया जाये।

श्री भू० ना० मंडल (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, नये रेल मंत्री के आने से मैं समझता था कि साधारणजनों के हितों पर जिनकी बराबर उपेक्षा होती रही है, शायद कुछ ध्यान दिया जायेगा। लेकिन जिस ढंग से इन्होंने भी तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के किरायों में वृद्धि की है, उससे मालूम पड़ता है कि इनकी भी जो नीति है, इनका भी जो रवैया है, वह पहले के मंत्रियों से कोई भिन्न नहीं है। तीसरे दर्जे के यात्री प्रायः गरीब ही होते हैं। जहां तक मेरा अनुभव है उनमें से अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने घरबार छोड़ कर दूसरे प्रदेशों में कमाने के लिये जाना पड़ता है क्योंकि उनको अपने घर के आसपास करने के लिये कोई काम नहीं मिलता है। उनको जाते समय किराये का प्रबन्ध करने में जो परेशानी होती है, उसको वे ही जानते हैं। या तो उनको कर्ज लना पड़ता है या किसी दूसरे ढंग से वे रुपये का इंतजाम करते हैं। यह जो किराये में वृद्धि नई की जा रही है इससे उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा इसका बहुत आसानी से अन्दाजा लगाया जा सकता र। इसलिये मैं चाहता था कि आज देश में जिन लोगों की उपेक्षा हो रही है, जनतंत्र कायम होने के बाद भी जिनकी दशा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी वह उपेक्षा बन्द होती और उनकी दशा सुधारने की ओर ध्यान दिया जाता। इनकी इस दशा को ध्यान में रख कर ही रेल का किराया बढ़ाने की बात सोची जानी चाहिये थी।

भारत का जो संविधान है उसमें भी ऐसा कहा गया है कि जिन लोगों के पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, उनके बारे में सरकार की स्टेट की पालिसी इस तरह की होगी कि जिससे उनको इफैक्टिव तरीके से मदद मिल सके। मैं समझता हूं कि जिनको अपने घर के आसपास करने के लिये कोई काम नहीं मिलता है और जिनको मजबर होकर दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिये जो किराये में वृद्धि की बात इन्होंने सामने रखी है, यह स्टेट पालिसी में ४१वीं धारा के खिलाफ है। इस पर माननीय मंत्री जी को पुनः विचार करना चाहिये।

सरकारी रिपोर्ट में यह भी कबूल किया गया है कि अधिकांश जो किराया आता है वह थर्ड क्लास पैसेंजर्ज से तो आता है। यह एक आश्चर्य की बात है कि उसी तीसरे दर्जे में चढ़ने वाले पैसेंजर को बैठने के लिये जगह नहीं मिलती है, कई लोगों को तो पैर तक रखने की जगह नहीं मिलती है और कितनी कितनी दूर तक उनको खड़े रह कर सफर करना पड़ता है। कई तो ऐसे होते हैं

[श्री भू० ना० मंडल]

कि उनको फुटबोर्ड पर खड़े होकर ही यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे भी लोग होते हैं जोकि छतों पर चढ़ कर जाने तक के लिये मजबूर हो जाते हैं। ये ऐसी स्थिति है जिनमें बहुत पहले ही सुधार हो जाना चाहिये था लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है और न ही इस ओर कोई ध्यान देने की उत्सुकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस ओर खास तौर पर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाये। इस भीड़ के कारण प्रायः दुर्घटना होती रहती हैं।

अब मैं रेलवे में जो सफर करते हैं उनके लिये ऐमेनेटीज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पानी या रोशनी या पंखे का इंतजाम हर डिब्बे में हो गया हो, हर ट्रेन में हो गया हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस ट्रेन में भी इसका इंतजाम हुआ है, वहां पर ये सब चीजें ठीक हालत में रहती हैं या नहीं इसको ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैंने अकसर देखा है कि ब्रांच लाइन की जितनी ट्रेनें होती हैं उनमें खास तौर से इनको ठीक हालत में रखने का प्रयत्न नहीं के बराबर ही होता है। मैं चाहता हूं इस ओर भी आपका ध्यान जाये।

माननीय मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को कबूल किया हैं कि जितने एक्सीडेंट होते हैं उनमें अधिकांश एम० जी० रेल लाइन पर होते हैं और विशेषकर डिरेलमेंट की वजह से होते हैं। जब एम० जी० लाइन पर डिरेलमेंट्स बेशी होती हैं तो क्यों उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। इन एक्सीडेंट्स में लोगों की जानें चली जाती हैं, मालगाड़ियां उलट जाती हैं। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी बदला जाना चाहिये।

श्री इकबाल सिंह (फीरोजपुर): जनाव स्पीकर साहब, इस बजट में रेल के किरायों को बढ़ाने की तजवीज पेश की गई है। यह ठीक बात है कि हालात का जो ताकाजा हो, उसके मुताबिक हमें अमल करना चाहिये। लेकिन जिस कमेटी के ख्याल के मुताबिक किरायों में वृद्धि की गई है, उसका नाम रेलवे स्ट्रक्चर इनक्वायरी कमेटी है। आज उस कमेटी की रिपोर्ट तकरीबन पांच साल पुरानी हो चुकी है। इस पांच साल पुरानी रिपोर्ट पर आज. क्यों अमल किया जा रहा है। कंट्री की आज जो हालत है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। आपको नई रेलवे स्ट्रक्चर इनक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिये थी और उसकी रिपोर्ट पर अमल करना चाहिये था। यह ठीक है कि पिछली रेलवे कनवैंशन कमेटी की रिकोमेंडेशंज के मुताबिक आपको जनरल रेवेन्यूज को ज्यादा रुपया देना पड़ता है और इसलिए जो आपका नफा है वह कम हो गया है।

इसलिये मेरा यह सजेशन है कि हर पांच साला प्लेन के शुरू में रेलवे को चाहिये कि वह अपनी फ्रेट ऐंड फेअर स्ट्रक्चर इन्क्वायरी कमेटी बिठलाये ताकि ऐसा न हो कि जनरल इन्क्रीज हो जाय और किसी जगह को वह ऐडवर्सली ऐफेक्ट करे और किसी जगह पर न करे। रेलवे का स्ट्रक्चर, खास तौर पर फ्रेट स्ट्रक्चर हर पांच साल के बाद रिव्यू होना चाहिये। उसके बाद सोचना चाहिये कि आया किराये में कोई इजाफा करना है, फ्रेट में कोई इजाफा करना है या नहीं। यह इस चीज को देखने का एक साइंटिफिक तरीका होग बनिस्बत इसके कि हर पांच साल के बाद, या जिस वक्त भी रेलवे मंत्री को रुपये की जरूरत हो, वह ऐड हाक बेसिस पर या किसी भी दूसरे तरीके से किराये में इजाफा कर दें। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह से किया जायेगा तो हिन्दुस्तान के तमाम लोगों पर आम तौर से, और उन इलाकों पर खास तौर से जो कि बैकवर्ड एरियाज हैं, अच्छा एफेक्ट हो सकता है।

इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि रेलवे का किराया बढ़ गया, लेकिन उसके साथ साथ अमेनेटीज भी बढ़नी चाहियें। अगर हम अमेनेटीज को न बढ़ायें तो किराये को बढ़ाने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। अगर लोगों के ऊपर रेल का किराया ज्यादा पड़े तो उन को दिये जाने वाले फायदे भी बढ़ने चाहियें। आज जिन अमेनेटीज की खास जरूरत है उनमें से कुछ यह हैं: आप छोटे स्टेशनों पर क्वार्टर्स बनाइये, फ्लैग स्टेशनों को आप अच्छे करवायें ताकि पब्लिक को फायदा हो सके। साथ ही स्टेशनों पर जो जनरल अमेनेटीज दी जाती हैं उनका स्टैन्डर्ड ऊंचा होना चाहिये। इसी ढंग से इस किराये की बढ़ोतरी का जस्टिफिकेशन हो सकता है। अगर यह बातें नहीं होतीं और सिर्फ इसलिये किराये बढ़ा दिये जाते हैं कि रेलवे के पास फाइनेन्सेज की कमी हैं और उसको पूरा करना है, तो इसका जनरल क्रिटिसिज्म होगा। इसलिये आपको सब जगहों पर अमेनेटीज को बढ़ाना चाहिये, लेकिन इस ढंग से उनको नहीं बढ़ाया जाना चाहियें कि बढ़ाये जाने के बाद कुछ लोगों को फायदा पहुंचे और कुछ को न पहुंचे। फ्लैग स्टेशन्स पर और छोटे स्टेशन्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि वही स्टेशन्स ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा रुपया कमाते हैं। जो बड़े स्टेशन्स होते हैं वहां पर स्टाफ इतना ज्यादा होता है कि वे अनइकानामिकल होते हैं और ज्यादा कमाई नहीं कर सकते हैं।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि छः, सात साल हो गये जब कि यह मंजूर किया गया था कि गंगानगर से हिन्दूमलकोट तक रेल रेलवे मंत्रालय की तरफ से बनेगी। लेकिन छः सात साल के बाद भी न कोई सिलसिला उसका शुरू हुआ है और न बनाने की तजवीज ही है। हर साल यह बात आ जाती है कि यह लोगों के श्रमदान से बनेगी, लेकिन अब कहते हैं कि यह श्रमदान से नहीं बन सकती अब रेलवे खुद ही बनायेगी। आज दस साल हो गये हैं बजट में आते हुए लेकिन वह लाइन बनी नहीं। अब मौका आया है कि इस सारी रेलवे लाइन के अलाइनमेंट की पूरी जांच की जाय। जब लाइन बनने लगी है तो रेलवे मिनिस्ट्री कहती है कि वह बिल्कुल बार्डर पर है। किसी जगह वार्डर लाइन से एक मील है और किसी जगह पर दो मील है या तीन मील दूर है। मैं समझता हूं कि अगर इसको दूसरी जगह बनाया जायेगा तो वह अनइकनामिकल होगा और दूसरी तरफ के लोगों का फायदा नहीं होगा। वार्डर के दूसरी तरफ पाकिस्तान है, उस तरफ से यहां कोई नहीं आयेगा, उनको यहां आना भी नहीं चाहिये और न उन को इसकी इजाजत ही दी जायेगी। इसकी जांच कर के और अलाइनमेंट का ठीक से पता लगा कर अगर उसको वार्डर से पांच मील दूर कर दिया जाय तो इससे दोनों तरफ के मुसाफिरों का फायदा हो सकेगा। मैं तो रेलवे मंत्रालय के हित की बात कहता हूं कि अगर इसके अलाइनमेंट को ठीक किया जाय तो आने वाले सालों में उसके दोनों तरफ के लोगों का भी फायदा होगा और रेलवे मंत्रालय का भी फायदा होगा।

पंजाब में दो लाइनें हैं। एक तो चंडीगढ़ लुधियाना लाइन है जिसके लिये पंजाब गवर्नमेंट ने कई दफा लिखा है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हर सूबे को कोई न कोई लाइन दी जाती है मगर पंजाब के सूबे को कोई लाइन अब तक नहीं दी गई। न पहली पांच साला स्कीम में दी गई, न दूसरी पांच साला स्कीम में दी गई और न तीसरी पांच साला स्कीम में ही देने की कोई तजवीज है। इसलिये मैं कहता हूं कि सूबे के लिहाज से भी, पंजाब के कैपिटल के तौर पर भी और पंजाब के लोगों के ख्याल से भी इस लाइन को बनाना चाहिये। पंजाब की गवर्नमेंट ने ही नहीं, वहां की हर पार्टी ने इस चीज की हिमायत की है। वहां पर

[श्री इकबाल सिंह]

भाखरा नंगल एरिया है जहां के लिये बहुत सी लाइनों की तजवीजें थीं लेकिन वह खत्म कर दी गई हैं। इतना ही कहता हूं कि भाखरा नंगल एरिया आज दिन व दिन तरक्की कर रही है इसलिये दो लाइनों का बढ़ना जरूरी है। एक तो अबोहर-सरसा लाइन और दूसरी सरसा-जाखल लाइन इस तरह की जो तजवीजे रक्खी गई हैं उनको पूरा करना चाहिये।

इस वक्त फिरोजपुर डिवीजनल हेडक्वार्टर है। हमारी बदकिस्मती यह है कि वह वार्डर पर है। वहां फौज रह सकती है, दूसरे लोग रह सकते हैं लेकिन रेलवे कर्मचारी वहां नहीं रह सकते। पता नहीं उनके दिमाग में क्या है कि वार्डर पर रहना उनके लिये अच्छा नहीं है। जो भी आफिसेज वहां पर होते हैं उनको वहां से शिफ्ट करने की कोशिश होती है। पिछले दिनों जो वहां पर कामर्शल आफिस था उसको जलन्धर शिफ्ट किया गया। वहां सब लोग रह सकते हैं लेकिन रेलवे कर्मचारी एक ऐसा स्पेशल क्लास है जो वहां नहीं रह सकते। पता नहीं उनके पास क्या खुफिया चीज है कि रेलवे मंत्रालय हमेशा किसी न किसी तरह से मौका मिलने पर किसी न किसी आफिस को वहां से शिफ्ट करता रहता है। सिर्फ डिवीजनल आफिस ऐसा है जिसके लिये इतनी पब्लिक डिमान्ड है कि शायद वह वहां से शिफ्ट न किया जा सके। लेकिन जो बाकी आफिसेज हैं वह आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहे हैं। इस लिये मेरा इतना ही कहना है कि जब वहां बाकी लोग भी रहते हैं तो रेलवे के दफ्तरों को भी वहां से शिफ्ट नहीं करना चाहिये खास तौर से कामर्शल आफिस को, जिसको आप जालन्धर या लुधियाना को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये।

इसके अलावा वहां पर जो डिवीजनल आफिस है उसमें काम करने वालों के लिये पिछले दस सालों से एक भी क्वार्टर नहीं बनाया गया। बहुत से क्लर्क और दूसरे लोग हैं। साथ ही वहां पर पांच साल पहले जो अमला था वह अब उतना नहीं बल्कि उससे यादा हो गया है। उनके लिये मकानों का इन्तजाम नहीं किया जा रहा है। चूंकि वहां से हर आफिस यह कोशिश करता है कि उसको शिफ्ट कर दिया जाय, इसलिये वहां पर सिर्फ बड़े अफसरों के लिये ही बंगले हैं। वहां पर रेलवे को और भी छोटे क्वार्टर बनाने चाहियें और यह फैसला करना चाहिये वह आफिसेज वहां से शिफ्ट नहीं किये जायेंगे। रेलवे में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि सीक्रेट हो और जिस की वजह से उसके आफिसेज को वहां नहीं रहना चाहिये। वहां से कामर्शल आफिस को और डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट के आफिसेज को तब्दील नहीं करना चाहिये।

अब मैं आप से नई ट्रेन्स की बाबत कहना चाहता हूं। ट्रेन्स को चलाने के लिये भी आखिर कोई उसूल होना चाहिये। वहां पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सोलह सोलह घंटे के बाद एक ट्रेन आती है। हालांकि वहां पर इतना गैप है लेकिन फिर भी नई ट्रेन नहीं चलाई जाती। वहां पर कई जगहें ऐसी हैं जहां पर कि तीन, चार या पांच घंटे के बाद ही नई ट्रेन मिल सकती है। पंजाब में बहुत सी जगहें मिलेंगी जहां १६ घंटे बाद दूसरी गाड़ी आती है। वहां पर गाड़ी के चलने का कोई स्टेन्डर्ड होना चाहिये जिसके मुताबिक हम को नई रेल मिलनी चाहिये। इस किस्म की मिसालें हमने लिख कर भी दी हुई हैं। फाजिल्का से फिरोजपुर को जो लाइन जाती है वहां पर दो गाड़ियों के बीच १६ घंटे का गैप है। मगर न तो वहां पर कोई नई रेल चलाई गई और न चलाने की कोई तजवीज ही है। मैं तो कहना चाहता हूं कि हर एक जगह को बराबर का फायदा मिलना चाहिये। जब कि

लोगों को बराबर किराया देना पड़ता है तो रेलों का डिस्ट्रिब्यशन भी बराबर होना चाहिये। इसलिये जहां पर १६ घंटे का गैप है जब तक वहां पर आप नई ट्रेन नहीं चराते तब तक आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जो किराया आपने बढ़ाया है वह लोग क्यों उठाये।

पिछले दिनों धनवाद में एक ऐक्सिडेंट हुआ, लेकिन उस के पहले भटिंडा में ऐक्सिडेंट हुआ, जिस की वजह यह थी कि वहां पर मेला था और मेले के वक्त फाटक वाले ने फाटक को बन्द नहीं किया। हम जानते हैं कि छोटे छोटे स्टेशनों के पास वाले फाटकों पर के आदमी सो जाते हैं या फिर वह होते नहीं जिस की वजह से फाटक बन्द वे नहीं कर पाते हैं। रेलवे को इस तरफ कोई न कोई निगरानी रखनी चाहिये। इस ऐक्सिडेंट में दस या बारह आदमी मरे। धनवाद रेलवे स्टेशन पर भी कोई बीस आदमी मरे थे। आखिर लोगों को अपनी जानें प्यारी हैं, उन को खतरा होता है और उन की जानों की रक्षा होनी चाहिये। जो लोग शहरों से दूर दराज पर हैं उन की ज्यादा देख भाल होनी चाहिये।

आज एक फ्लाइंग मेल चलती है अमृतसर से और उस के मुकाबले दूसरा हिस्सा है दिल्ली-फिरोजपुर का। फिरीजपुर के हिस्से से दिल्ली को कोई रेल नहीं आती। आज से कुछ साल पहले एक रेल की तजवीज हुई थी। वह चली भी लेकिन बन्द कर दी गई। फिरोजपुर और भटिंडा के भाई कलकत्ते में सब से ज्यादा रहते हैं। कलकत्ते में जितनी पंजाबियों की आवादी है उन में से निस्फ से ज्यादा आवादी फिरोजपुर और भटिंडा की है। वहां से बहुत से आदमी सीधे कलकत्ते को जाते हैं। अपर इंडिया एक्सप्रेस जो है जो कि ८ बजे चलती है अगर उसको फिरोजपुर तक एक्स्टेंड कर दिया जाय तो वह बात भी पूरी हो सकती है और उन लोगों का फायदा हो सकता है।

इन अल्फाज के साथ मैं इस बजट की तजवीजों की हिमायत करता हूं और जो सजेशन्स मैंने दिये हैं, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय उन पर गौर करेंगे।

†**श्री तिम्मय्या** (कोलार) : जहां तक रेलों के विकास का सम्बन्ध है, दक्षिण के लोगों की धारणा है कि उनके क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। भावात्मक एकता के लिये यह आवश्यक है कि समस्त देश में रेलवे का समान विकास किया जाये।

मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो समझते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में रेलवे ने बहुत प्रगति की है और १९६१-६२ में लगभग १६.४८ करोड़ रुपये की बचत दिखलाई है। इस बचत के होते हुए यह समझ में नहीं आता कि किरायों और भाड़ों में क्यों वृद्धि की जाये। यह कहना सत्य नहीं कि महंगाई भत्ते के खर्च को पूरा करने के लिये ऐसा किया गया है, क्योंकि यह तो १, अप्रैल, १९६१ से बढ़ा दिया गया था। कम से कम तीसरे दर्जे के किराये तो नहीं बढ़ाने चाहियें थे।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : आजकल सभी बड़े-बड़े आदमी तीसरे दर्जे के सोने के डिब्बों में सफर करते हैं।

†**श्री तिम्मय्या** : यात्री यातायात से रेलवे की आय बढ़ाने के और भी साधन और संसाधन हो सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तिम्मय्या]

उदाहरण के लिये बिना टिकट यात्रा अभी थोड़ी होती रहती है । यदि गाड़ियों के साथ चलने वाले टिकट-चैकरों को गार्डों के बराबर यात्रा-भत्ता दिया जाय, तो वे और अधिक उत्साह से काम करेंगे और एक भी बिना टिकट यात्री नहीं चढ़ने देंगे ।

एक और तरीका यह हो सकता है कि छोटे-बड़े सभी स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट खरीदना अनिवार्य बना दिया जाय । उसके बिना किसी को प्लेटफार्म तक जाने ही न दिया जाये । इससे भी रेलवे की थोड़ी-बहुत आमदनी तो बढ़ सकती है ।

फिर गुड्स रोडस् में बड़ी गड़बड़ी रहती है । माल-बाबू बड़े-बड़े व्यापारियों से माल-डिब्बे बुक करने और गुड्स शेड्स में बिना विलम्ब शुल्क भरे माल पड़ा रहने देने के लिये लम्बी लम्बी रकमें ऐंठते हैं । यदि इन खामियों को दूर किया जाये तो रेलवे की आमदनी काफी बढ़ सकती है । तब यात्री-किराये बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जायेगी ।

बंगलौर नगर स्टेशन की इमारत अब बड़े ही पुराने ढंग की हो चुकी है । अब बंगलौर अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र बन गया है । इसलिये इसके स्टेशन की इमारत सुन्दर बनाई जानी चाहिये । आशा है कि रेलवे मंत्री इसकी ओर स्वयं ध्यान देंगे ।

रेलवे प्रशासन में अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित स्थानों को भरने के लिये नये मंत्री को भी उतना ही प्रयत्नशील रहना चाहिये जितने कि श्री जगजीवन राम थे ।

उच्चतम न्यायालय ने भी इस सम्बन्ध में एक निर्णय दे कर पदोन्नतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का एक अनुपात अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित रखने की बात उचित बताई है । मेरा अनुरोध है कि उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को कार्यान्वित किया जाये ।

मैं मानता हूं कि उसे कार्यान्वित करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां आ सकती हैं । सम्बन्धित अधिकारी शायद उतनी सहानुभूति न भी रखें । इसलिये माननीय मंत्री को इस दिशा में सतर्क रहना चाहिये ।

प्रथम लोक-सभा के दिनों, १९५२ में, प्रत्येक सदस्य को एक चार्ट दिया जाता था जिसमें बताया जाता था कि कितने स्थान रिक्त हुए और कितनों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को रखा गया । वैसा ही चार्ट अब फिर शुरू कर दिया जाना चाहिये ।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे बजट पर मैं कल से बहस सुन रहा हूं । रेलवेज हमारे देश का सब से बड़ा पबलिक सैक्टर का इस्टैबलिशमेंट है । इस में उन्नति हुई है लेकिन जैसी उन्नति होनी चाहिये थी वैसी उन्नति नहीं हो पायी है । जो डेवलपमेंट इसमें होने चाहिये थे वह सम्भव नहीं हो सके हैं । मैं इस मौके पर कुछ थोड़ी सी चीजों पर रोशनी डालना चाहता हूं ।

कैटरिंग (भोजनादि की व्यवस्था) का जहां तक रेलवेज में सवाल है आपने कैटरिंग को डिपार्टमेंट्ल कर दिया है ....

अध्यक्ष महोदय : आप सफर को छोड़ कर पहले खाने पर आ गये ।

श्री मोहन स्वरूप : खाना बड़ी जरूरी चीज़ है । कैटरिंग को डिपार्टमेंट्ल करते वक्त यह उम्मीद थी कि यात्रियों को पहले की बनिस्बत अच्छा खाना मिल सकेगा लेकिन हम ने देखा

कि वह उम्मीद पूरी नहीं हो पायी है । आम तौर पर यह चर्चा होती है कि डिपार्टमेंट्ल कैटरिंग के जरिये जो लोगों को खाना दिया जाता है उस का स्टैन्डर्ड गिरता जा रहा है । इस के साथ ही साथ उसमें रेलवेज को काफी नुक्सान भी हो रहा है । मैं नहीं समझता कि रेलवे विभाग इस तरह के नकसान को कब तक बर्दाश्त कर सकेगा । मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट्ल कैटरिंग के पैरलल कंट्रैक्ट केटरिंग को भी बढ़ावा दिया जाय । मैं यह नहीं कहता कि गवर्नमेंट अपनी इस डिपार्टमेंट्ल कैटरिंग की पालिसी को कतई छोड़ दे लेकिन यह जरूर कहूंगा कि उस के साथ साथ कंट्रैक्ट केटरिंग को भी प्रोत्साहन दे । उस को भी इनकरेजमेंट मिलना चाहिये ताकि जो कम्पटीशन हो उस में से कुछ अच्छाई निकल सके और कैटरिंग के काम में उन्नति हो सके ।

इस हाउस में पिछले साल भी मैं ने इस सवाल को उठाया था कि हमारे देश में फरजी रेल टिकट छपते हैं । मैं मुरादाबाद गया और वहां जा कर मैंने खुद छान-बीन की तो पाया कि मुरादाबाद में एक सरस्वती प्रेस है जहां कि फरजी टिकट छापे जाते हैं । कलकत्ता, बम्बई आदि स्थानों के फरजी टिकट वहां पर छपते हैं । आप के दिल्ली स्टेशन पर कई बार लम्बे सफर वाले फरजी टिकट बेचते हुए लोग पकड़े गये हैं । फरजी टिकट छपने और बेचे जाने की बात नई नहीं है और बहुत मर्त्तबा इसके बारे में रेलवे मंत्रालय का ध्यान दिलाया जा चुका है। इस सिलसिले में मैं ने एक सवाल उठाया था और कुछ इनक्वायरी भी हुई थी लेकिन मुझे अफसोस है कि उसको रोका नहीं जा सका है और अभी भी फरजी टिकट छप रहे हैं और दिल्ली आदि बड़े-बड़े स्टेशनों पर यह टिकट बेचे जा रहे हैं । मैं रेलवे प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस फरजी टिकट के छपने और बेचे जाने की रोकथाम की जाय क्योंकि इससे रेलवे विभाग को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है ।

रेलवेज गुड्स की टैम्परिंग का जहां तक सवाल है उस में कोई सुधार नहीं दिखाई देता है और आज भी रेलवेज द्वारा बुक किये जाने वाले गुड्स की चोरियां हो रही हैं । अभी थोड़े अर्से की बात है कि बदायूं के पास उझानी रेलवे स्टेशन पर गुड्स वैगन खड़ा था । रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के आदमी वहा मौजूद थे । चोर आये और उन्होंने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के आदमियों को बांध दिया और वैगंस में से सामान निकाल कर ले गये । मौके पर कई घंटे के बाद पुलिस आई, इनक्वारी हुई और कुछ माल भी पकड़ा गया । लेकिन मुझे यह देख कर अफसोस होता है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के आदमी बांधे गये और दिन दहाड़े इस तरह से चोर वैगन में से सामान निकाल कर ले जायं इससे ज्यादा शर्मनाक बात रेलवेज के लिये और क्या हो सकती है ।

इस तरह की सामान की चोरियां आये दिन होती रहती हैं । अभी पिछले साल गाजियाबाद पर सोने के बारस निकाल लिये गये । जरूरत इस बात की है कि रेलवेज में सामान की यह जो रोजाना चोरियां होती हैं उनको रोकने की तरफ रेलवे प्रशासन को गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिये । इसके लिये कोई एक कमेटी बैठायी जाय जिसमें कि इस बारे में पूरे तौर से मशविरा हो और उसकी रोशनी में इस तरह के अमली कदम उठाये जायं ताकि इन होने वाली चोरियों को रोका जा सके ।

रेलों में ओवरक्राउडिंग की चर्चा होती है । ओवरक्राउडिंग एक मुसीबत होगई है और सफर एक दुष्कर चीज हो गई है । आदमी टिकट खरीद लेता है लेकिन टिकट खरीदने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है कि उस को जगह मिल ही जायगी । मैं चाहता हूं कि ओवरक्राउडिंग को दूर करने के लिये सोच विचार किया जाय और मुनासिब अमली कदम उठाये जांय । ओवरक्राउडिंग दूर करने के लिये एक तरकीब यह हो सकती है कि कुछ नई ट्रेंस बढ़ाई

[श्री मोहन स्वरूप]

जांय या कोचेज में कुछ परिवर्त्तन किया जाय। मैं चाहता हूं कि नई ट्रेनें बढ़ाई जांय और इस तरह से ओवरक्राउडिंग को दूर करने के वास्ते सक्रिय कदम उठाये जांय।

एक ब्रांच लाइन अभी तक खराब दशा में पड़ी है। मेरी जो कांस्टीट्एंसी है उस में एन० ई० रेलवे आती है। हमारे यहां पीलीभीत से टनकपुर तक एक लाइन है और आज के जमाने में उस पर रेलगाड़ी ११ मील फी घंटे के हिसाब से चलती है। इस बारे में मैंने कई बार रेलवे मंत्रालय और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया, मिनिस्टर साहब को खतूत भी लिखे, कई बार पार्लियामेंट के मेम्बरों की जो रेलवेज कंसल्टेटिव कमेटी है उसमें भी इस चीज का तजकिरा किया लेकिन उस में कोई सुधार अभी तक नहीं हो पाया है। कुछ स्पीड शायद उसकी बढ़ी है और अब ११ मील प्रतिघंटे के बजाय १५ मील प्रति घंटा हो गई है। लेकिन उस ट्रंक को जिस तरह से अच्छे तौर पर डेवलप करने की जरूरत है उसको डेवलप नहीं किया गया है। अब जिस जमाने में यह लाइन बनी थी वह कम्पनी का जमाना था और खाली लकड़ी ढोयी जाती थी। लेकिन अब जमाना काफी बदल चुका है और आबादी भी बढ़ चुकी है। आदमी भी ज्यादा चलने लगे हैं और गुड्स ट्रैफिक भी ज्यादा हो गई है और इसलिये इस लाइन को प्रौपरली डेवलप करना चाहिये और ट्रैक अच्छे तरीके से बनाना चाहिये ताकि स्पीड के साथ ट्रेनें उस पर चल सकें।

एक दो लाइन हमारे यहां और हैं जिनके कि मुताल्लिक में बार बार कहता रहता हूं। एक लाइन किच्छा से (एन० ई० रेलवे) से सितारगंज होती हुई पीलीभीत तक होनी चाहिये।

मुझे ताज्जुब है कि यह जो डिमांड्स हैं इन में एन० ई० रेलवे की नई लाइनें बनाने अथवा पुरानी लाइनों को डेवलप करने की कोई योजना प्रोवाइड नहीं की गई है। न कोई नई स्कीम के मुताल्लिक तजवीज है और न किसी ब्रांच लाइन को डेवलप करने की तजवीज है। एक दो लाइनें डेवलप हुई हैं जैसे बरेली से लखनऊ तक जाने वाली लाइन का रिनौवेशन हुआ है। किच्छा से पीलीभीत तक रेलवे लाइन बनाने के सिलसिले में रेलवे मंत्रालय ध्यान दे। वह पिछड़ा हुआ इलाका है और उसको विकसित करने के लिये लाइन होनी चाहिये।

पैसेंजर्स एमैनिटीज (यात्री सुविधाओं) के बारे में बहुत चर्चा हुई है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में थर्ड क्लास की कोचेज में जो पंखे लगाये गये थे वे पंखे अब निकलते जा रहे हैं

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य को जब वक्त लेना था तो कहा था कि वह केवल २ ही मिनट लेंगे।

श्री मोहन स्वरूप: बस मैं और अधिक समय नहीं लूंगा। हां तो मैं कह रहा था कि आज थर्ड क्लास के मुसाफिरों को यात्रा के दौरान काफी असुविधा और भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है और जैसा कि कई अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि थर्ड क्लास की आज की खराब हालत को देखते हुए जो किराये में इजाफा किया गया है वह मुनासिब नहीं है, मैं अपने उन दोस्तों से इसमें सहमत हूं। अगर किराया बढ़ाने के साथ साथ आप थर्ड क्लास में एमेनिटीज भी बढ़ाते तो उस में मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

अगर टिकटलैस ट्रैवलिंग को रोका जाय या गुड्स की पिलफेज और जो करप्शन चलता है उसको रोका जाय तो मैं समझता हूं कि किराया बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इस तरफ रेलवे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए

ऐक्सीडेंट्स की एक चेन सी बन गई है । रोज बरोज ऐक्सीडेंट्स होते हैं। मेरा सुझाव है कि ट्रेक्स् को दुरुस्त करने के लिए मंत्रालय ध्यान दे। इस के लिए जो परमानेंट वे इंस्पैक्टर्स होते हैं या ट्रैक्स की देखभाल करने के लिये जो एक आर्गेनाइजेशन है उसको अधिक तेज किया जाय और उस में एफिशिएंसी लाई जाय ताकि आज जो यह फिशप्लेट्स खुलने की चर्चा होती है वह रोकी जा सके ।

चूंकि समय ज्यादा नहीं है और अध्यक्ष महोदय ने यह फरमाया है कि मैं अपनी चर्चा को समाप्त कर दूं इस लिए मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं । आखिर में मेरी मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि वह इन तमाम तजवीजात के मुताल्लिक ध्यान दें ।

†**श्री कृष्णपाल सिंह** (जलेसर) : मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है ।

आशा है कि माननीय मंत्री मथुरा और वृन्दावन दो तीर्थों को संयोजित करने वाली अलीगढ़ तक की रेलवे लाइन के प्रस्ताव पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे । यह प्रस्ताव सब से पहले १९२४ या १९२५ में सदन के सामने आया था । और उसे स्वीकार कर लिया गया था ।

और, बरहान से जलेसर होती हुई एटा तक जो नई शाखा लाइन बनाई गई है, उस से कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, इसलिये कि बस द्वारा आगरा से एटा जाने में जितना समय लगाता है उस से दोगुना समय इस लाइन पर लगता है। कारण यह कि इस लाइन को किसी न बड़े स्टेशन से संयोजित नहीं किया गया है । यह शाखा लाइन तभी उपयोगी सिद्ध होगी, जब इसे कासगंज या फतेहगढ़ से संयोजित किया जाये ।

अन्त में, मुझे यह कहना है कि तीसरे दर्जे के किराये में वृद्धि करना अनुचित है ।

आशा है रेलवे मंत्री इस पर विचार करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** श्री जेधे ।

†**श्री जेधे** (बारामती) : रेलवे में अधिकाधिक सुधार करने के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं ।

देश के औद्योगिक विकास के साथ साथ रेलवे आय–व्ययक की राशि बढ़ती ही जायेगी। फिर भी, रेलवे किरायों की वृद्धि से सामान्य जनता के लिये बड़ी कठिनाई हो जायगी। यदि रेलवे में इतनी अधिक भीड़ न होती, तो शायद थोड़ा अधिक किराया देना इतना न खलता ।

इसीलिये मेरा अनुरोध है कि तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये रेलवे यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाया जाना चाहिये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।]

यात्री डिब्बों में इतनी भीड़ भाड़ रहती है कि टिकट चैक करने वाले ठीक से टिकट देख भी नहीं पाते । इसी के कारण बिना टिकट यात्रा बढ़ती जा रही है । टिकट

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जेधे]

चैक करने वाले कर्मचारियों के लिये महीने भर का कोटा नियत कर दिया जाता है कि उन को महीने भर में बिना टिकट यात्रा करने वालों से कम से कम इतनी राशि वसूल करके देनी चाहिये । वे दो दिन में ही उतनी रीशि वसूल कर लेते हैं और फिर पूरे महीने आराम करते हैं। इसके स्थान पर यदि प्रति दिन का कोटा नियत किया जाये, तो उस से आमदनी काफी बढ़ सकती है ।

रेलवे सामान्य यात्रियों के लिये अधिक सुविधायें जुटाने में असमर्थ रही है । माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि तीसरे दर्जे के ८५ मील प्रतिशत यात्री ५० मील से अधिक यात्रा नहीं करते। इसलिये भीड़ कम करने के लिये थोड़े फासले की शटिल ट्रेने चलाई जानी चाहिये ।

रेलों में भीड़ की शिकायत को उचित महत्व दिया जाना चाहहिये । कहीं कहीं भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि लोग ट्रेनों की छतों पर भी यात्रा करते हैं। शटिल ट्रेने चला कर यह शिकायत दूर की जा सकती है ।

भीड़ का समस्या का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये ।

अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में रेलवे मंत्री से मेरा अनुरोध है कि घोंद नगरपालिका से हुए समझौते के अनुसार जल के निःशुल्क संभरण के प्रस्ताव पर विचार करें । वह अभी तक विचाराधान पड़ा है ।

महाराष्ट्र औद्योगिक रूप से विकसित हो रहा है, पर पिछले पांच वर्ष में वहां एक भी नई लाइन नहीं डाली गई है । इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

रेलवे पेन्शनर्स को भूतलक्षी प्रभाव से मंहगाई भत्ता दिया जाना चाहिये ।

बम्बई और कल्याण के बीच रेलवे किरायों को देखते हुए पूना और लुनावने के बीच के ट्रेन-किराये कहीं अधिक हैं।

†**रेलव मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : इस चर्चा में लगभग ६५ सदस्यों ने भाग लिया है । लगभग सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस मे भाग लिया है । देश के लगभग सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने इस पेचीदा सी समस्या पर ध्यान दिया है, और अपने बहुमूल्य सुझाव रखे हैं। मैं इसके लिये उनका आभारी हूं ।

मेरे सहयोगी, उपमंत्री, श्री रामस्वामी ने सभा के सामने रेलवे प्रशासन संबंधी काफी महत्वपूर्ण सूचना रखी है । मैं उसके वित्तीय पक्ष के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं ।

इस बार वित्तीय पक्ष का महत्व और भी बढ़ गया है, इसलिये कि मेरे आय-व्ययक प्रस्तावों में यात्री-किराये और माल भाड़े में वृद्धि करने के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं। इसका महत्व इसलिये और भी बढ़ गया है कि कुछ माननीय सदस्यों ने एक ऐसे ढंग से चोजें रखी हैं कि जैसे रेलवे आय-व्ययक में कुछ पहलू गलत ढंग से पेश किये गये हों । एक सदस्य ने तो यहां तक कह दिया है कि रेलवे आय-व्ययक में बड़ी गड़बड़ी है । मेरा

†मूल अंग्रेजी में

ख्याल है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग अनुचित था । इस आय-व्ययक पर विचार करते समय माननीय सदस्यों को कुछ मोटी-मोटी बातें ध्यान मे रखनी चाहिये । आय–व्ययक में व्यय का पूरा औचित्य सिद्ध करना जरूरी होता है । जब तक व्यय के प्रस्तावों का औचित्य पूरी तौर से सिद्ध न कर दिया जाये, तब तक किरायों और भाड़े में वृद्धि का प्रस्ताव सिद्ध नहीं होगा इसीलिये वह और भी महत्व पूर्ण हो गया है । इसलिये हमें सब से पहले यह देख लेना चाहिये कि संचालन व्यय में कोई कमी करने की गुंजाइश है या नहीं । तीन महत्वपूर्ण मदों के सम्बन्ध में भी कुछ कहना जरूरी हो गया है क्योंकि माननीय सदस्यों ने उनका उल्लेख किया है । वे तीन मदें हैं। अवक्षयण रक्षित निधि की व्यवस्था, सामान्य राजस्व और विकास निधि में अंशदान । हमें देखना है कि इन मदों पर होने वाला व्यय उचित है या नहीं । रेलवे अभिसमय समिति, जिस के कुछ सदस्य संसद्–सदस्य भी हैं, ने काफी ब्यौरे के साथ रेलवे के वित्तीय मामलों के विभिन्न पहलूओं पर विचार किया है। समिति ने अन्य मदों के साथ इन मदों पर भी विचार किया था और उसके बाद कुछ सिफारिशें भी की थीं। संसद् की दोनों सभाओं ने उन सिफारिशों का अनुमोदन संकल्पों द्वारा किया था। लेकिन मैं नहीं कहता कि संसद् के संकल्पों द्वारा अनुमोदन के बाद इन पर चर्चा का स्पष्टतः कोई कारण नहीं रह जाता। माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे हैं कि इन मदों में कुछ अधिक बचत की जानी चाहिये । श्री फ्रैंकएन्थनी जैसे अनुभवी सदस्य ने कहा है कि सामान्य रजस्व मे अंशदान करने से बचना चाहिये । एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा है कि अवक्षयण निधि में इतनी राशि नहीं दी जानी चाहिये । उन्होंने यह भी कहा था कि समिति की सिफारिश के अनुसार सामान्य राजस्व से ऋण लिये जा सकते हैं? और तब किराये तथा भाड़े बढ़ाने की आवश्यकता ही न पड़ती ।

हम पहले अवक्षयण निधि को लेते हैं। इन प्रस्तावों में अवक्षयण के लिये जितनी राशि रखने की बात कही गई है, उतनी राशि अत्यावश्यक है। इसलिये कि अब रेलवे अपनी प्रारम्भिक अवस्था में नहीं है । प्रारम्भिक अवस्था में अवक्षयण निधि का एक भाग काफी बाद में मशीनों के पुर्जे, इत्यादि बदलने के काम में आता है । अब रेलवे में तो वह अवस्था नहीं है । पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े देखिये । १९५७–५८ से अब तक हम ने अवक्षयण निधि में से प्रतिवर्ष ६३ करोड़ रुपये निकाले हैं और ४५ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष उस में जोड़े हैं। इसलिये द्वितीय योजना के अन्त तक अवक्षयण निधि में केवल बीस करोड़ रुपये रह गये थे । इस के साथ, यह भी ध्यान रखिये कि हमें इस निधि को किस प्रकार के व्यय में लगाना पड़ता है। छोट छोटे निर्माण–कार्य में से प्रत्येक पर २५,००० रुपये तक चालू लाइनों पर काम –राजस्व के शीर्षक के अन्तर्गत राजस्व से भारित होते हैं। और , रेलवे की निरन्तर बढ़ती हुई आस्तियों पर भी व्यय बढ़ता ही जाता है । संसद् ने इसीलिये तृतीय योजना काल के दौरान अवक्षयण निधि में प्रतिवर्ष ७० करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की अनुमति दी थी। जब कि १९५५–५६ से १९६०–६१ तक के काल में प्रतिवर्ष ४५ करोड़ रुपये अवक्षयण के लिये रखे जाते थे । इसीलिये रेलवे अभिसमय समिति ने १९६० में ७० करोड़ की सिफारिश की थी । इतनी राशि तो पुरानी आस्तियों को बदलने के लिये ही चाहिये ।

साथ में, यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि पुरानी आस्तियों के स्थान पर नयी आस्तियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी और आजकल आस्तियों के मूल्य चढ़ते जा रहे

[श्री स्वर्ण सिंह]

हैं। पुरानी आस्तियों के स्थान पर नयी आस्तियां लाने का समूचा व्यय अवक्षयण निधि से ही लेना उचित है। पुरानी आस्तियों के स्थान पर इस नयी आस्तियों की प्रतिस्थापना से रेलवे की आस्तियों में कोई वृद्धि नहीं होती इसलिये उनको राजस्व में से ही लिया जाना चाहिये ।

कई माननीय सदस्यों ने पुराने यात्री और माल डिब्बों और कई लाइनों के नवीकरण की आवश्यकता का उल्लेख किया है। रेलवे की कार्य-क्षमता बनाये रखने के लिये वह जरूरी है । उन के लिये तो कहीं न कहीं से धन जुटाना ही पड़ेगा । अवक्षयण निधि इसी के लिये रखी जाती है ।

†**श्री हनुमन्तैया** (बंगलौर नगर) : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि आस्तियों की मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखा गया है । क्या रेलवे में मजूरी-ढांचा बढ़ाने की प्रवृत्ति के फल स्वरूप उत्पन्न परिस्थिति का भी ध्यान रखा गया है ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं प्रश्न ठीक से समझ नहीं पाया। यह तो स्पष्ट है कि आज प्रतिस्थापना का व्यय पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है । इसलिये अवक्षयण निधि भी अब अधिक होनी चाहिये ।

जहां तक रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व में किये जाने वाले अंशदान का प्रश्न है, मेरा ख्याल है कि अंशदान करना ही चाहिये और ४.२५ प्रतिशत का अंशदान बिलकुल उचित है । हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि रेलवे की आस्तियों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है । इन आय-व्ययक प्रस्तावों में भी पूंजी आस्तियों के लिये २९५ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : भारित पूंजी की गणना वर्तमान दरों पर की जाती है या पुरानी दरों पर ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य को पर्याप्त अनुभव है । ये सारी चीजें अभिसमय समिति के प्रतिवेदन में मिल सकती हैं। उस में यह भी बताया गया है कि गणना किस प्रकार की जाती है । रेलवे अभिसमय समिति काफी लम्बी-चौड़ी गणनाओं के बाद ही भारित पूंजी के आंकड़े निश्चित करती है । और, वे आंकड़े सही होते हैं। भारित पूंजी पर ही ४.२५ प्रतिशत सामान्य राजस्व के अंशदान की व्यवस्था की जाती है । वह अंशदान भारित पूंजी पर ही किया जाता है, कुल आस्तियों पर नहीं । मैं इसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं क्योंकि आरम्भ में इसके सम्बन्ध में कुछ चर्चा हुई थी । साथ ही, यह भी ध्यान रखना चाहिये कि रेलवे अपने विकास के लिये नयी आस्तियां खड़ी करने के लिये जो पूंजी लगाती है, उस पर अलग से कोई ब्याज नहीं दिया जाता। वह पूंजी हमें देश के सामान्य संसाधनों से प्राप्त होती है। हम उस के लिये सामान्य तौर पर ऋण लेते हैं । इसलिये उस पूंजी से सामान्य राजस्व के लिये ४.२५ प्रतिशत अंशदान करना सर्वथा उचित है । उस से हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक सुझाव यह भी था कि हमें इन अंशदानों पर एक विलम्बशोध काल घोषित कर देना चाहिये। इस प्रकार दायित्व को टालते जाने की नीति आकर्षक भले ही, पर भारत सरकार की परम्पराओं के अनुकूल नहीं है:

और, उन्हीं परम्पराओं को बनाये रखने के लिये ही हमने अतिरिक्त राजस्व मांगा है। रेलवे केवल एक उपयोगी सेवा नहीं, वह साथ में एक वाणिज्यिक उपक्रम भी है। इसलिये भारित पूंजी पर ४.२५ प्रतिशत का अंशदान अत्यधिक नहीं है।

और, विलम्ब शोधकाल घोषित करने से देश के संसाधनों में तो कोई वृद्धि होगी नहीं। हां, लेखों में राशि कुछ ज्यादा मालूम पड़ेगी, लेकिन तब हम एक ऐसी राशि का व्यय कर डालेंगे जिसका वास्तव में कहीं अस्तित्व ही नहीं है। उस व्यय का पूरा भार सामान्य राजस्व पर पड़ेगा। असल प्रश्न तो संसाधनों में वृद्धि करने का है।

विकास निधि के लिये २३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। इस निधि से किये जाने वाले व्यय से ऐसी आस्तियां बनती हैं जिन पर प्रत्यक्ष रूप से कोई राजस्व नहीं मिलता। उनसे रेलवे की आमदनी नहीं बढ़ती। आप देखिये कि इस निधि से किन-किन मदों पर व्यय किया जाता है।

विकास निधि रेलवे की सामान्य अतिरिक्त राशि से बनाई जाती है। विकास निधि का उपयोग रेलवे उपभोक्ताओं के लिये सुविधाओं और रेलवे कर्मचारियों के कल्याण-कार्यों के लिये किया जाता है। संचालन सम्बन्धी सुधारों के लिये भी उसका उपयोग किया जाता है, जैसे सिगनलों में सुधार, जल की व्यवस्था और सुरक्षा के उपाय, इत्यादि। इनका सीधा सम्बन्ध रेलवे की संचालन सम्बन्धी कार्य-क्षमता से होता है।

तीसरी योजना में विकास निधि के लिये २३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। लगभग इतनी राशि की व्यवस्था द्वितीय योजना में भी की गई थी। उस निधि से भारित कार्यों के आवश्यक व्यय में कोई भी कटौती ठीक नहीं है। क्योंकि वे कार्य प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः रेलवे की संचालन कार्यकुशलता से सम्बन्धित हैं।

विरोधी पक्ष के एक सदस्य ने कहा है कि रेलवे अभिसमय समिति ने यह सुझाव दिया था कि हम सामान्य राजस्व से धन उधार ले सकते थे और यात्री किराया तथा भाड़े बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रत्यक्ष रूप में तो यह एक आकर्षक सुझाव है। लेकिन जब इस पर विचार करते हैं कि यह एक ऋण है और उसे वापस भी करना है तथा उसपर ब्याज भी देना है। तो क्या इस प्रकार के व्यय के लिये यह ठीक है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस प्रकार के व्यय प्रत्यक्षतः राजस्व में कोई वृद्धि नहीं होती। इसलिये यदि इस शीर्ष के अन्तर्गत कोई ऋण लिया जाता है तो उसके वापस करने अथवा उस पर ब्याज देने की कोई संभावना नहीं है। इसलिये इस प्रकार का व्यय चालू राजस्व से ही किया जा सकता है, ऋणों में से नहीं।

जहां तक रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिश का सम्बन्ध है कि सामान्य राजस्व से ऋण लिया जा सकता है, यह वहां तक तो ठीक है जबकि ऋण की राशि कम हो और उसका भुगतान कुछ आगामी वर्षों में ही किया जाने वाला हो लेकिन यदि वह ऋण ऐसा हो जिससे राजस्व में कोई वृद्धि की संभावना न हो तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। अतः इस प्रकार के कार्य के लिये ऋण लेना ठीक नहीं है।

[श्री स्वर्ण सिंह]

कुल मिलाकर २३ करोड़ रुपये का घाटा है जिसकी पूर्त्ति करना है और उसके लिये कुछ उपाय ढूंढने हैं। ऋण विलम्ब से चुकाया जाये अथवा हमें ऋण लेना चाहिये अथवा हमें जो कुछ देना है उसका हम भुगतान न करें आदि आदि ये ऐसे सुझाव हैं जो कि ठोस नहीं है। लेकिन कुछ सुझाव जो यहां सभा में दिये गये हैं उनकी व्यावहारिकता के बारे में मैं विचार करूंगा। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि उन पदाधिकारियों के वेतन में कटौती कर देनी चाहिये जिन्हें कि १ हजार से अधिक वेतन मिलता है। और इस प्रकार जो बचत होगी उससे लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि यह सुझाव कोई व्यावहारिक सुझाव नहीं हैं। इससे कोई ठोस परिणाम नहीं निकलगे। यदि आप एक हजार से अधिक वेतन पाने वाले पदाधिकारियों की संख्या और उनको दिये जाने वाले वेतन को देखे तो आपको पता चलेगा कि इनकी संख्या कुल मिलाकर ४००० और ५,००० के बीच है और उनको कुल ५ या ६ करोड़ के वेतन दिया जाता है। अगर इसमें कटौती की भी जाये तो इतना रुपया नहीं मिलेगा जिससे कि इस कमी की पूर्त्ति हो सके। रेलवे में जो ये पदाधिकारी आते हैं वे अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा पास करके आते हैं जो बड़ी कड़ी परीक्षा होती है। मुझे यह कहने में बड़ा गर्व है कि इन परीक्षाओं के माध्यम से बड़े प्रतिभावान व्यक्ति रेलवे में नौकरी करने आते हैं। काफी श्रम और परिश्रम के बाद वे यहां प्रशिक्षण लेते हैं तब कहीं जाकर वे इस योग्य बनते हैं कि रेलवे का कुशलता के साथ प्रशासन कर सकें। उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है और आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें निरन्तर प्रोत्साहन दिया जाये। यदि उनकी आलोचना की जाती है तो इससे तो वे हतोत्साहित होते हैं तथा उनके दायित्व निभाने में रुकावटें आती है। इसलिये मैं सुझाव की भर्त्सना करता हूँ। कुछ लोगों का यह कहना कि महंगाई भत्ता बढ़ गया है इस कारण किरायों तथा भाड़ों में वृद्धि की गई है यह ठीक नहीं हैं। देश की स्थिति को देखते हुए ऐसा करना स्वाभाविक था। और इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। जब खर्चा बढ़ जाता है भले ही वह प्रशासन में हो अथवा मशीन आदि के बदलने में अथवा किसी और तरह से उसको पूर्त्ति तो करनी ही पड़ती है। इसलिये किराया तथा भाड़ा बढ़ाना ही एक मात्र ऐसा उपाय है जिसके आधार पर अतिरिक्त आय की जा सकती है।

यह भी सुझाव दिया गया है कि प्रथम श्रेणी के किराये बढ़ा दिये जाये और उनसे जो आय होगी उसके कारण तृतीय श्रेणी के किराये बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तथ्य और आंकड़ों के आधार पर इस सुझाव की भी जांच की गई। यदि आप प्रथम श्रेणी के किराये में २० प्रतिशत की भी वृद्धि कर दें तो भी इससे ५० लाख रुपये की आय होगी। आखिर वृद्धि की भी एक सीमा होती है मान लीजिये कि आप ५० प्रतिशत की भी वृद्धि कर दें तो भी इससे २३ करोड़ रुपये की पूर्त्ति नही हो सकती। अतः ये सुझाव व्यावहारिक नहीं है।

अब यह प्रश्न उठता है कि जो वृद्धि की गई है क्या वह ठीक है। मेरे विचार से तो यह बिल्कुल ठीक है। और जिस जिस स्थानों पर वृद्धि की गई है उसका आवंटन ठीक ही है। कहने को तो कहा जा सकता है कि यह २३ करोड़ रुपये की पूर्त्ति केवल भाड़े में वृद्धि करके ही पूरी की जा सकती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि इसकी पूर्त्ति केवल किराये में वृद्धि करके की जा सकती है। किन्तु मेरे विचार से किराये तथा रेल भाड़े में समान रूप से इसका विभाजन करके ठीक ही किया गया है।

भाड़े की बढ़ी हुई दरों की काफी आलोचना की गई है और विशेष रूप से खाद्यान्न की समस्या को लेकर, मैं किन्तु यह बता देना चाहता हूँ कि बढ़ी हुई दरों का खाद्यान्नों के मूल्यों पर बहुत साधारण असर पड़ेगा। उदाहरण के लिये गेहूं के मूल्य में केवल ४ नये पैसे प्रतिमन की वृद्धि होगी। मेरा विचार है कि यह वृद्धि कोई खास वृद्धि नहीं है। इसे कोई खास भार नहीं माना जा सकता है। और न इसका कोई प्रभाव ही होगा। अतः हमें कोई बात ऐसी नहीं कहनी चाहिये जिसका आधार केवल भावना ही हो। अतः यह कहना कि भाड़ों में वृद्धि करने के कारण खाद्यान्न महंगे हो जायेंगे गलत हैं। अगर आप देश में खाद्यान्न की मंडियों को देखें तो आपको पता चलेगा कि इस ४ नये पैसे की वृद्धि से मूल्य में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन साथ ही इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि यदि कोई व्यणित इस स्थिति का नाजायज लाभ उठायेंगे तो उन्हें इसके लिये दंड दिया जायेगा। लेकिन फिर भी मेरा निवेदन यही है कि इस बारे में उचित ढंग से ही विचार किया जाना चाहिये।

मेरे लिये यह कहना गलत होगा कि बिल्कुल कोई वृद्धि नहीं हुई। वृद्धि तो हुई है। इसी कारण मुझे २३ करोड़ रुपये मिल रहे हैं। हम ने देखना यह है कि क्या ये मूल्य वास्तव में कष्ट देने वाले हैं। किरायों में वृद्धि को लीजिये। इस सम्बन्ध में मैं सदन को कुछ आंकड़े बतलाना चाहूंगा जो कि तीसरे दर्जे के यात्रियों के बारे में हैं और जिन से प्रकट होता है कि उन पर इन प्रस्तावों का बहुत सीमित प्रभाव पड़ता है। उन लगभग ७ लाख तीसरे दर्जे के यात्रियों को छोड़ कर, जिन के पास सीज़न टिकट होते हैं और जो आने जाने के लिये लगभग १·१ लाख रुपया देते हैं। रेलों में १९६०–६१ में लगभग ३१ लाख तीसरे दर्जे के यात्रियों ने सफर किया और उन से ३४ लाख रुपये की आय हुई। आय-व्ययक का प्रभाव केवल यह होगा कि सीजन टिकट वालों को छोड़ कर तीसरे दर्जे के यात्री को १ रुपया ९ नये पैसे की औसत से लगभग ११ नये पैसे अधिक देने पड़ेंगे। यह स्थिति गलत या भ्रमात्मक नहीं है। वास्तव में, सीजन टिकट वालों को छोड़ कर ८६.५ प्रतिशत तीसरे दर्जे के मुसाफ़िरों ने ५० मील या इस से कम दूरी की यात्रा की है और ८६.५ प्रतिशत यात्रियों ने औसतन ४३ नये पैसे किराया दिया है। १० प्रतिशत और यात्रियों ने ५० से १५० मील का सफर किया; अर्थात् ९५ प्रतिशत मुसाफिरों ने १५० मील से कम दूरी का सफर किया। इन आंकड़ों से सदन को मालूम होगा कि जन-साधारण पर क्या प्रभाव पड़ा है। अधिक दूरी का सफर करने वालों के लिये टेलीस्कोप किराये जारी रहेंगे। अतः तीसरे दर्जे के अधिकतर यात्रियों के लिये किराये में वृद्धि अधिक नहीं है, किन्तु है अवश्य। इस का औचित्य यह है कि व्यय की किसी मद को कम नहीं किया जा सकता। इसलिये किराये और भाड़े बढ़ाने का ही एक रास्ता है। वृद्धि की गणना करते हुए यह खयाल रखा गया है कि भार किसी विशेष समुदाय पर न पड़े।

†**श्री का० दा० गुप्त** (अलवर) : श्वेत पत्र में यह नहीं बताया गया कि ८५ या ९० प्रतिशत यात्री ५० मील से कम दूरी का सफर करते हैं।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : यदि यह नहीं दिया गया तो मैं ने सदन में बता कर स्थिति स्पष्ट कर दी है। बाद में जो प्रकाशन निकलेंगे उन में ठीक ठीक आंकड़े दे दिये जायेंगे।

कोयले की ढुलाई के सम्बन्ध में मैं कुछ आंकड़े दे चुका हूं। ईंधन की स्थिति के बारे में, जैसा कि यह इस वर्ष होगी, मैं कुछ बतलाना चाहूंगा। मैं पहले बतला चुका हूं कि इस्पात कारखानों, कोयला धोने वाले कारखानों, बिजलीघरों और अन्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं पूरी की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स्वर्ण सिंह]

जायेंगी। इसलिये अधिक कमी किये जाने का कोई भय नहीं है, वास्तव में १९६२-६३ में कोयले की कुल ढुलाई पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होगी। इसलिये किसी उपभोक्ता को पिछले वर्ष से कम कोयला नहीं मिलेगा। कुछ क्षेत्रों के कोयले के पुनः आवंटनों से घबराहट पैदा हुई है। पहले यह था कि वास्तविक संभरण आवंटन से बहुत कम होता था। यह वांछनीय नहीं था। इसलिये हम ने निर्णय किया है कि यदि आवंटन पूरे न दिये जा सकें, तो उनको कागज पर रखने का क्या लाभ है : इसलिये यह निर्णय किया गया कि आवंटन, परिवहन की स्थिति को ध्यान में रखते हुये, वास्तविक संभरण के अनुरूप होना चाहिये। भविष्य में वास्तविक संभरण आवंटन के लगभग बराबर ही होंगे। वास्तविक संभरण में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। इन को बराबर करने के कदम का स्वागत होना चाहिये। और मेरे इस आश्वासन से किसी उपभोक्ता के मन में शक नहीं रहना चाहिये कि इसको पिछले वर्ष की तुलना में कम मिलेगा। मेरे विचार में उन्हें अधिक ही मिलेगा, क्योंकि हमारी अर्थ व्यवस्था का विकास हो रहा है। हम ने जो कदम उठाये हैं उस से ईंधन सम्बन्धी स्थिति इस वर्ष और उस के बाद अधिक आशाजनक हो जायेगी।

समुद्र द्वारा कोयले की ढुलाई भी बढ़ा दी जायेगी। यह २० लाख टन प्रति वर्ष तक तो नहीं पहुंच सकती, जैसा कि मुझे आशा थी, किन्तु यह निरन्तर बढ़ रही है। पिछले दो तीन महीनों में यह लगभग १५ लाख टन प्रति वर्ष थी। इस को बढ़ाने से दूर दूर के उपभोक्ताओं की आवश्यकतायें पूरी हो सकेंगी। नये सदस्यों की जानकारी के लिये मैं बताना चाहूंगा कि समुद्र द्वारा परिवहन और रेल द्वारा परिवहन के अन्तर को हटाने के लिये राजसहायता दी जा रही है। अतः उपभोक्ताओं को समुद्र द्वारा कोयला प्राप्त करने में कोई नुकसान नहीं होता।

एक और कदम जिसका वित्त मंत्री उल्लेख कर चुके हैं, मिट्टी के तेल के भाड़े के लिये सामान्य राजस्वों से सहायता दी जायेगी। इस से देश के कुछ भागों में ईंधन की कमी दूर होगी। अन्य पग ये हैं : रेलवे के महत्वपूर्ण विभागों का विद्युतीकरण, डीजल लगाने के कार्यक्रम, पटरी का सुधार और देश में तैयार किये गये डिब्बों का अधिकाधिक प्रयोग। डिब्बों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है।

आय-व्ययक भाषण में मैं ने बताया था कि यह संख्या प्रति मास अब २००० से अधिक है और इस के बढ़ने की आशा है। अतः दूर दूर के उपभोक्ताओं के लिये कोयले के सम्भरण में काफी सुधार होगा।

मैं एक और विषय का उल्लेख करना चाहता हूं। इस के बारे में उपमंत्री ने भी संक्षेप में कहा था। कुछ सदस्यों ने एक उच्चशक्ति वाले आयोग या समिति स्थापित करने का सुझाव दिया था जो रेलवे के कार्य की जांच करे। यदि ऊपर ऊपर से देखा जाये, तो यह एक आसान तरीका नज़र आता है। यदि हम गम्भीरता से विचार न करना चाहें और कुछ समय बेकार बैठना चाहें तो आयोग या समिति स्थापित करना बहुत आसान है। किन्तु इस के शीघ्र कोई परिणाम नहीं निकलेंगे। "प्रशासनीय सुधार", "प्रशासनीय व्यवस्था में सुधार", "अधिक समन्वय" ये शब्द सरकारी ढांचे पर विचार करते हुए मन में अवश्य आते हैं किन्तु यदि इनका जोर से और निरन्तर पीछा न किया जाये, इन के कोई ठोस परिणाम नहीं निकलते।

हम अपनी परिवहन नीति को जानते हैं। किसी के लिये भी यह कहना आसान है कि हमारी कोई परिवहन नीति नहीं है। हमारी परिवहन नीति तीसरी योजना में दी गई है।

तीसरी योजना में सड़क परिवहन, रेल परिवहन और समुद्र परिवहन की संयोजित रूप-रेखा दी गई है। आप इसमें दी गई सब बातों से सहमत न हो फिर भी इस को मोटे तौर पर संसद स्वीकार कर चुकी है और हम इसको क्रियान्वित कर रहे हैं, जहां कहीं भी परिवर्तन आवश्यक हो, वह कर दिया जाता है।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : यदि परिवहन नीति के बारे मे स्थिति इतनी संतोषजनक है, तो नियोगी समिति को नियुक्त करने की आवश्यकता क्या थी ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : यह आलोचना का उत्तर भी है। यदि समिति है, तो दूसरे उच्चशक्ति आयोग की आवश्यकता क्या है ? विभिन्न मामलों के ठोस पहलुओं की जांच के लिये समितियां नियुक्त की जा सकती है और की गई हैं। ऐसी एक समिति नियोगी समिति थी। मैं इस बात का खंडन करूंगा कि इस समिति को पूरा सहयोग नहीं दिया जा रहा। यह सत्य नहीं है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : माननीय मंत्री के भाषण में केवल इतना कहा गया है कि यह नहीं हो सकता या वह नहीं हो सकता। इस का कारण यह है कि रेलवे के कार्य की जांच नहीं हुई। यदि आयोग होता तो वह बता सकता था कि व्यय की कौन सी मदें कम की जा सकती हैं।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : व्यय की मदों की सविस्तार जांच अभिसमय समिति ने की थी। एक और ठोस पहलू की ओर नियोगी समिति ध्यान दे रही है। इस ने अभी कोई निश्चित सिफारिश नहीं की। इस ने विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है।

सामान्य जांच की अपेक्षा विशिष्ट पहलुओं की जांच करना अधिक उपयोगी है। फिर भी मैं दूसरी रायें सुनने के लिये तैयार हूं। इस समय मेरे विचार में एक विशाल आयोग, जिस की निर्देश्य शर्तें स्पष्ट न हो, नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु यदि कोई ठोस सुझाव हों, तो मैं उन पर अनौपचारिक मंत्रणा समिति में चर्चा करने के लिये तैयार हूं।

नियोगी, मुदलियार या अभिसमय समितियों ने उपयोगी प्रतिवेदन और सिफ़ारिशें की हैं। हम नियोगी समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम इसे हर संभव सहयोग दे रहे हैं।

नई लाइनों के बारे में और सुविधाएं बढ़ाने के बारे में बहुत से सुझाव दिये गये हैं। जब लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि किसी मांग को वांछनीय या आवश्यक बताते हैं, मैं उसे मानने के लिये तैयार होता हूं। किन्तु इन सुझावों को कैसे और कब क्रियान्वित किया जाये, इस का उत्तर राष्ट्रीय योजना की सीमाओं के अन्दर ही हो सकता है। संसाधनों को ध्यान में रखते हुए रेलवे के हिस्से की भी सीमा है। सब चीजों को राष्ट्रीय योजना में संयोजित किया जाना है। रेलवे का विकास बिना सोचे समझे नहीं हो रहा, उनका एक निश्चित प्रयोजन है। रेलवे को योजना के अनुरूप ढाला जाना है।

जैसा कि मैंने कहा है, योजना में फेर बदल करने की गुंजाइश है। जहां तक परिवहन का सम्बन्ध है, देश की आवश्यकताएं योजना में निर्धारित किये गये लक्ष्यों से बढ़ सकती हैं यदि जांच

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स्वर्ण सिंह]

के बाद यह पता चला कि रेलवे को योजना के लक्ष्य अर्थात् २५०० लाख टन से अधिक माल की ढुलाई करनी होगी, तो हमें सोचना पड़ेगा कि यह अतिरिक्त क्षमता कैसे पैदा की जाये।

मेरी इच्छा तो थी कि मैं पूरे ब्यौरे के साथ इन सभी का उत्तर दूं, पर वह सभा के साथ अन्याय होगा। अलग-अलग विषयों पर इतने ब्यौरे के साथ उत्तर देकर सभा का समय नष्ट करना अनुचित होगा। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनसे मुझे और रेलवे प्रशासन को भी बड़ा लाभ होगा। आगे के लिये योजनायें बनाने और उनकी कार्यान्विति में इन सुझावों का पूरा-पूरा ध्यान रखा जायेगा।

रेलवे द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने काफी कुछ कहा है। आशा है कि माननीय सदस्यों ने समीक्षा की वे प्रतियां देखी होंगी और उनका अध्ययन किया होगा जो परिचालित की गई थीं। माननीय सदस्यों ने उनमें उल्लिखित तथ्यों को देखा होगा। मैं सभा का ध्यान उस समीक्षा में दिये गये एक 'ग्राफ' की ओर विशेष तौर पर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें बड़े स्पष्ट रूप में बताया गया है कि आस्तियों, लाइनों की क्षमता, इंजन-डिब्बों, इत्यादि में जितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, उसके अनुपात में रेलवे ने कहीं अधिक कार्य पूरा कर दिखाया है। शायद इसी को लक्ष्य करते हुए श्री फ्रैन्क एन्थनी ने कहा है कि रेलवे ने अपने कर्मचारियों और सामग्री से अत्यधिक काम लिया है। शायद उनका यही मतलब था कि हमने अपने सीमित संसाधनों की अत्यंत मितव्ययता और अत्यधिक श्रम के साथ प्रयुक्त किया है। उस 'ग्राफ' को देखकर, सभा आश्वस्त हो जायेंगी कि रेलवे ने अपनी ओर से मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

अब भीड़ का प्रश्न लीजिये। द्वितीय योजना की समाप्ति पर रेलवे द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की अतिरिक्त संख्या का एक अनुमान लगाया गया था। लेकिन यात्रियों की संख्या की वास्तविक वृद्धि उससे कहीं अधिक निकली। हमने १५ प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था, जबकि वास्तविक वृद्धि २५ प्रतिशत निकली। पर आशा है कि रेलवे ट्रेनों और यात्री डिब्बों की संख्या बढ़ाकर हम तृतीय योजना के लक्ष्य पूरे करने में समर्थ होंगे। यह बताना तो अभी मुश्किल है कि सभी सैक्शन में भीड़ कम हो जायेगी या नहीं। लेकिन सीमित संसाधनों को देखते हुए अधिक से अधिक सुविधायें जुटाने का प्रयास किया जायेगा।

†**श्री नाथ पाई** : माननीय मंत्री के भाषण से लगता है कि रेलवे को अपने काम से संतोष है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि रेलवे प्रशासन ने किस क्षेत्र में दोनों पंचवर्षीय योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य पूरे किये हैं। रेलवे मंत्री ने वचन दिया था कि १९६०-६१ की समाप्ति तक रेलवे १७ करोड़ टन माल वहन कर सकेगी, लेकिन अभी तक वास्तव में १५ करोड़ ६० लाख टन का ही वहन कर पाई है। तब फिर रेलवे को संतोष कैसे है?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : इससे तो सारा वाद-विवाद फिर से आरम्भ हो जायेगा। मैंने बताया है कि समीक्षा में एक 'ग्राफ' दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि इस दौरान रेलवे में कितने नये इंजन जुड़े, लाइन की क्षमता में कितनी वृद्धि हुई, और उसके अनुपात में माल तथा यात्री यातायात में कितनी वृद्धि हुई। उससे पता चल सकता है कि रेलवे के काम की प्रगति संतोषप्रद रही या नहीं। निर्धारित लक्ष्य पूरे हुए या नहीं--यह भी काफी

†मूल अंग्रेजी में

महत्वपूर्ण है; लेकिन वह प्रश्न यहां असंगत लगता है, क्योंकि मैंने तो आधार ही दूसरा लिया था। माननीय सदस्य उस विवरण को जरा बारीकी से देखें। उसके बाद भी यदि उनको किसी चीज के स्पष्टीकरण की जरूरत महसूस होगी, तो मांगों की चर्चा के समय उसे लिया जा सकता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : रेलवे आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा समाप्त हुई। अब हम अगले विषय को लेंगे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये:––

> "कि इस अधिवेशन में समवेत लोक–सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिये राष्ट्रपति महोदय के अत्यंत आभारी हैं जो उन्होंने १८ अप्रैल, १९६२ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है।"

राष्ट्रपति ने इस अभिभाषण में सरकार की बुनियादी नीति को बड़े ही स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत किया है। और, इस राष्ट्र–निर्माण के कार्य में सभी संसद्–सदस्यों का सहयोग के लिये आह्वान किया है।

अभिभाषण में सबसे अधिक महत्व विकास सम्बन्धी कार्यों को दिया गया है। सभा के सामने जो नये विधान आनेवाले हैं उनकी ही सूची देखने से यह स्पष्ट हो जाता है। उनसे पता चलता है कि हमारा सारा ध्यान इस समय जनता के रहन–सहन का स्तर ऊंचा करने पर ही केन्द्रित है।

यह अभिभाषण अविस्मरणीय है। यह हमारे प्रथम महान् राष्ट्रपति का अन्तिम अभिभाषण है। माननीय राष्ट्रपति हमारे देश की प्राचीन परम्पराओं और विनम्रता के प्रतीक हैं।

यह अभिभाषण इसलिये भी अविस्मरणीय है कि यह तीसरी लोक–सभा का प्रथम अभिभाषण है। अगले पांच वर्षों में हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय एकता का निर्माण ही होगा। हमें अपने देश को इतना विकसित बना लेना है कि वह एक महान् औद्योगिक अभियान के लिये पूरी तौर पर सक्षम बन जाये। हम सभी को मिलकर देश को आगे ले जाना है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के आरम्भ में ही हमें अपने राष्ट्र–निर्माण के महान् दायित्व से अवगत कराया है। उस दायित्व को निभाने के लिये देशभक्ति, उत्साह और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। यह सही है कि चुनावों के दौरान जातिवाद, प्रांतीयता, साम्प्रदायिकता, इत्यादि की कई बुराइयां हमारे सामने आई हैं। लेकिन उनसे घबराने की कोई बात नहीं। उनसे देश को कोई बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न नहीं हो सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

यह तो सभी मानेंगे कि राष्ट्रीय एकता का निर्माण कोई खेल नहीं है । इंगलैण्ड और अमरीका के राष्ट्रीय एकता के प्रयासों को देखिये। उन्होंने अनगिनत कठिनाइयों और बाधाओं पर पार पाते हुए, एक लम्बे अर्से तक अथक प्रयत्न करने के बाद ही सफलता पाई है। प्रधान मंत्री ने भी ऐसी ही कुछ भावना व्यक्त की थी। आशा है कि राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर सभी माननीय सदस्य एकमत होंगे और सम्मिलित रूप से इसके लिये प्रयत्नशील होंगे ।

पाकिस्तान उस दिन की राह देख रहा है जब हमारे देश में फूट और अव्यवस्था फैलेगी । उसका दिमाग स्वस्थ नहीं है। हमारी यही कामना है कि वे स्वस्थ बनें। अगर उनका रोगी मस्तिष्क हमारे देश में फूट और अव्यवस्था फैलने के इंतजार में रहा तो उसे प्रलय तक इंतजार में ही रहना पड़ेगा । हम अपने देश को निरन्तर आगे बढ़ाते रहेंगे ।

अभी कुंभ मेले में भारत के कोने-कोने से श्रद्धालु और संत आये थे । सभी में एक भारतीयपन की भावना थी ।

महान् शंकराचार्य ने इसीलिये चारधाम की यह परिपाटी चलाई थी । बद्रीनाथ के मंदिर में केरल का एक नाम्बूदरी ब्राह्मण पुजारी है ।

इसी तरह काशी का एक पण्डा दक्षिण भारत के मन्दिर में पुजारी है । हमें इस परिपाटी को और आगे बढ़ाना चाहिये ।

हमारे यहां द्रविड़ कढ़गम्, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा और अकाली दल के रूप में कुछ प्रवृत्तियां हैं जो स्वस्थ नहीं हैं। इसका एक कारण यह है कि देश की जनता में पर्याप्त चेतना का अभाव है। देश के सभी राजनीतिक दलों को इस अभाव की पूर्ति करनी चाहिये। हमने इसी के लिये राष्ट्रीय एकता परिषद् बनाई है ।

राजनीतिक दलों को जाति और समुदाय की भावना से ऊपर उठना चाहिये । सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को इसका बीड़ा उठाना चाहिये । प्रधान मंत्री को इसी काम के लिये एक बार फिर समूचे देश का दौरा करना चाहिये और सभी राजनीतिक नेताओं को उनकी सहायता करनी चाहिये ।

साम्प्रदायिकता के पनपने का दूसरा कारण यह है कि देश की जनता को वास्तव में कुछ शिकायतें हैं और उनके कारण वह गलत रास्तों में भटक जाती है । हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

आवश्यकता इस बात की है कि इसपर पूरी सहानुभूति के साथ विचार किया जाये ।

इस भटकाव का तीसरा कारण राजनीतिक अहं है। इस घमंड को भी सहन नहीं करना चाहिये । इस कार्य में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को अधिक योगदान करना चाहिये । प्रचार के सारे साधन राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करने में लगा दिये जाने चाहिये ।

चुनावों के सिलसिले में जागीरदारों और राजाओं के विरुद्ध काफी नाराजी जाहिर की गई है। मैं इससे सहमत नहीं। वे अपने महलों से किलों से निकल कर बाहर तो

आये। इसलिये मैं उनका स्वागत करता हूं। धीरे धीरे वे समाज में अपने उचित स्तर पर पहुंच जायेंगे। धीरे-धीरे उनकी तड़क भड़क कम होती जायेगी। आखिर उनको भी तो भारत के उपयोगी नागरिक बनना है।

इसलिये हमें किसी के राजनीतिक क्षेत्र में उतरने पर कोई चिन्ता या नाराजी नहीं होनी चाहिये।

देश की प्रशासन व्यवस्था पर विचार करते समय हमें ध्यान रखना चाहिये कि हमारी प्रशासकीय व्यवस्था एक बड़ी तनातनी और दबावों के वातावरण में काम करती रही है। वह अभी तक अपने आपको नयी परिस्थिति और नयी प्रवृत्तियों के अनुकूल नहीं बना पाई है।

मैंने स्वयं इसी सभा में प्रशासन की कटु से कटु आलोचना की है। मैं उसे वापस लेने को भी तैयार नहीं। मैं सरकार की ओर से रखी गई इस दलील को भी स्वीकार नहीं कर सकता कि प्रशासन के निचले स्तरों, निचली श्रेणी के कर्मचारियों में ही सारा भ्रष्टाचार है। और मान लीजिये कि यदि है भी, तो उच्चस्तर के, उच्चाधिकारी क्या करते रहते हैं? यदि वे स्वयं भ्रष्ट न भी हों, तो भी अक्षम तो हैं ही नहीं।

सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। प्रशासन ऐसा होना चाहिये जो जनता को पूर्णतया संतुष्ट कर सके।

वास्तव में प्रश्न यह है कि क्या हम अपनी प्रशासकीय व्यवस्था को विकास के इतने विशाल कार्यक्रम का भार संभालने लायक बना सके हैं? विकास कार्यक्रम ठीक पंचायतों से शुरू होता है। लेकिन मुश्किल तो यह है कि पंचायतों के बारे में एक कोई निश्चित विचार धारा तो है नहीं। योजना आयोग कुछ कहता है और विभिन्न राज्य कुछ और। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता।

सामुदायिक मंत्रालय पंचायतों को प्रारम्भिक स्तर की सरकारें समझता है। कुछ दूसरे लोग पंचायतों को राज्य सरकारों के कार्य-क्रम पूरे करने के साधन समझते हैं। और, श्री जय प्रकाश नारायण का विचार है कि पंचायती व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था से कतई मेल नहीं खाती।

मेरी समझ में नहीं आता कि पंचायती राज को लोकतांत्रिक व्यवस्था में फिट करने पर उस में से राजनीति को हटाया कैसे जा सकता है। पंचायतों को राजनीति से दूर रखने की बात आत्म-प्रवंचना है। यह कैसे हो सकता है कि नीचे तो पंचायती व्यवस्था हो, और ऊपर केन्द्र में संसदीय लोकतंत्र? उस में राजनीति तो आ ही जायेगी।

फिर सवाल उठता है कि राजनिति की परिभाषा क्या है? मेरा ख्याल है कि राजनीति को शक्ति से अलग नहीं रखा जा सकता है। पंचायतों पर विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रभुत्व तो हो ही जायेगा।

और, मैं यह भी नहीं मानता कि राजनीति का प्रवेश कोई बुरी बात है। यदि राज्य सरकार एक राजनीतिक दल के प्रभुत्व में हो और पंचायत किसी दूसरे दल के, तो राज्य सत्ता पर आरूढ़ दल अपने प्रतिपक्षी दल की पंचायत को मिटाने की हर कोशिश करेगा ही। अब सवाल है कि ऐसी परिस्थिति में उसका प्रशासन के साथ किस प्रकार का संबंध होना चाहिये।

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

फिर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रभुत्व में रहने वाली पंचायतों में आपस में तनातनी रहेगी। यही राज्यों के स्तर पर भी हो सकता है ।

और क्या कलैक्टर तथा जिलाधीशों की व्यवस्था ही खत्म कर दी जायेगी? हमें पंचायती व्यवस्था और प्रशासन के परस्पर संबंधों के बारे में विचार करना ही पड़ेगा, वह भी काफी गम्भीरता से । इसीलिये मैं चाहता हूं कि केन्द्र के स्तर पर इस पर विचार किया जाये ।

हमारी आज की पंचायतें प्राचीन भारत की पंचायतों से सर्वथा भिन्न हैं। जब तक हम इन के बारे में स्पष्टता से कोई निर्णय नहीं करेंगे, तब तक अव्यवस्था ही बनी रहेगी। इस पर विशेष रूप से चर्चा की जानी चाहिये । इस समस्या के हल पर ही देश की एकता का भाग्य निर्भर है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस पर विचार किया है, या नहीं ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश की आर्थिक नीति के सिलसिले में लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज के निर्माण की बात कही गई है ।

एक मिलीजुली अर्थ-व्यवस्था में समाजवादी समाज की स्थापना की धारणा बड़ी पेचीदा सी है । सरकारी क्षेत्र हमें समाजवाद तक ही नहीं लेजा सकता । हां, सरकारी क्षेत्र इसलिये महत्वपूर्ण है कि वह देश के संसाधनों में वृद्धि कर रहा है ।

जब तक आप गांव के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा नहीं उठायेंगे तब तक आप समाजवाद के मूल भूत सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं। अतः मेरा सुझाव यह है कि ५०० से १००० करोड़ रुपये तक इस कार्य के लिये निश्चित कर दिये जायें ।

मैं चाहता हूं कि उक्त राशि में से कृषि, पशुपालन और ग्रामीण उद्योगों को अधिकाधिक राशि दी जाये, तथापि यह कहना गलत है कि धनी अधिक धनी होते जा रहे हैं और गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं। वस्तुतः सचाई यह है कि गरीब जनता की भरसक सहायता की जा रही है किन्तु वे अधिक तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं तथापि धनी व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

इस में कोई संदेह नहीं कि भारत में पिछले दस सालों में जो कुछ भी हुआ है उसे भविष्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा ।

इसी प्रकार से वैदेशिक नीति के क्षेत्र में हमारे देश ने जो कुछ भी किया है वह प्रशंसनीय है । आज उसकी सक्रिय निरपेक्षता की नीति के कई समर्थक और अनुयायी बन गये हैं। अब निष्पक्ष राष्ट्रों की कदर बढ़ गयी है और वे विश्व की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भाग ले रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : उपाध्यक्ष जी, यह हमारा सौभाग्य है कि रष्ट्रपति महोदय ने विगत १९ अप्रैल, को हम संसद् सदस्यों के सम्मुख अपना अभिभाषण दिया । हम इसलिए उन के बहुत कृतज्ञ हैं । इस कृतज्ञता ज्ञापन के लिए

माननीय मित्र श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने सदन के सम्मुख जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

हर वर्ष सत्र के आरम्भ में राष्ट्रपति जी संसद् सदस्यों का ध्यान जनता, सरकार और संसद् के द्वारा किए हुए कार्यों की ओर आकृष्ट करते हैं और हमें हर वर्ष वह प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने देश के नव निर्माण के पथ पर तेजी से आगे बढें ।

राष्ट्रपति जी ने हमारे देश का १२ वर्ष से अधिक समय तक नेतृत्व किया और अपने पिछले अभिभाषण में उन्होंने कहा :

> "गण राज्य के राष्ट्रपति के रूप में आपके सम्मुख अभिभाषण देने का मेरे लिये यह अन्तिम अवसर है । बारह वर्षों से अधिक समय तक लोगों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में देश की सेवा करने का सुयोग मुझे मिला, ,यह मेरे लिए बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात ह ।"

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने कि १२ वर्षों तक इस देश का नेतृत्व किया आज उन से अलग होते हुए और बिछड़ते हुए हम सभी संसद् सदस्यों को दुःख होता है। मैं इस सदन के द्वारा उन से यह कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्रपति जी को जो धन्यवाद देने का प्रस्ताव रक्खा गया है यह सिर्फ इसी कारण नहीं है कि चूंकि ऐसा हुआ करता है बल्कि हम सब महसूस करते हैं कि इन १२ वर्षों में उन्होंने जो हमारे देश का नेतृत्व किया वह सचमुच में हमारे लिए, सौभाग्य की बात है। हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने पिछली बार मार्च में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस के वक्त बोलते हुए यह कहा था :—

> जैसे जैसे समय बीत रहा है पूरानी पीढ़ी के कई नेता हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं हमारे राष्ट्रपति उन लोगों में से ये थे जो स्वतंत्रता पूर्व और उसके पश्चात् की पीढ़ी के बीच की खाई को पार कर सकते थे ।

मैं भी इस सद्भावना के साथ अपनी बात मिलाता हूं । यह हमारे देश का सौभाग्य रहा कि उसका नेतृत्व हमें मिला—एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व मिला जिनको आजादी के पूर्व और बाद का अनुभव प्राप्त था । राष्ट्रपति के रूप में १२ वर्षों तक उन्होंने इस देश का नेतृत्व किया । राष्ट्रपति की कर्त्तव्य की भावना, उनकी कर्त्तव्यपरायणता, उन की दक्षता, विनम्रता और सबो के प्रति समान प्रेम की भावना ने उनको इस देश के हर एक नागरिक के लिए प्यारा बना दिया था । इसलिए जब वह आज जा रहे हैं तो प्रधान मंत्री जी के शब्दों में मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि वह हमारे देश के भाग्य-निर्णायक के रूप में नहीं रहेंगे, फिर भी उनकी सलाह मशविरे की जब भी हमें और देश को आवश्यकता महसूस होगी वह हमें उन से मिलती रहेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो सब से मूल्यवान संदेश हमें दिया है वह है—"इस देश में संसदीय पद्धति के प्रति लोगों को आस्था और विश्वास ।" उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा है :—

> "संसदीय जीवन और कर्त्तव्यों का मुझे कुछ अनुभव रहा है । उस के लिए मेरे मन में अधिक से अधिक आदर है और संसदीय प्रणाली तथा उस की संस्थाओं में मेरा आशापूर्ण विश्वास और गहरी आस्था है । हमारी संसद् के प्रति लोगों की आदर भावना है और हमारी राजनैतिक भावनाओं में इस की जड़ें गहरी जम गयी हैं ।"

[श्री भागवत झा आजाद]

इस की सफलता के कारण आज हम देख रहे हैं कि हमारा नवजात गणतन्त्र इतने कम वर्षों में लोगों के मन में समा गया है और हमारा देश प्रथम चुनाव, द्वितीय चुनाव और तृतीय चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न करके आगे और अधिक आगे बढ़ता जा रहा है। तृतीय आम चुनाव अभी अभी सफलतापूर्वक सम्पन्न कर चुके हैं जिसमें देश की कोटि कोटि जनता ने उत्साह, लगन और कर्त्तव्य-परायणता की भावना से अनुप्राणित होकर चुनाव में अपने अधिकार का प्रयोग किया और वोट दिया। वह केवल इस बात का ही प्रदर्शन नहीं है कि उन को संसदीय प्रणाली में विश्वास है, बल्कि वह इस बात का भी समर्थन है कि कांग्रेस सरकार ने देश के लिए जिस आर्थिक व्यवस्था को अपनाया है जो योजनायें बनायी हैं–प्रथम, द्वितीय और तृतीय–वे सभी जनता को मान्य हैं। तृतीय चुनाव ने इस बात का स्पष्ट प्रदर्शन हमारे सामने कर दिया है कि कांग्रेस सरकार ने जो आर्थिक व्यवस्था अपनाई है वह व्यवस्था हमारे हित में बहुत ही उपयुक्त है। अगर हम इस आर्थिक व्यवस्था और गणतन्त्र के विकास को ऐशिया की पृष्ठभूमि में देखें तो पता चलेगा कि क्या बात है। हमारे देश ने १२ वर्षों में जो प्रगति की है अगर उसको हम ऐशिया के अगल बगल वाले देशों की पृष्ठभूमि में देखें तो पता लगेगा कि हमारी प्रगति आशापूर्ण है। ऐशिया के पड़ोसी मुल्कों को देखिये तो आप पायेंगे कि यह कि पैदाइशी राजे-महाराजे, फौज की ताकत के बल पर बने सम्राट और शहंशाह, प्रोलेटारियट की डिक्टेटरशिप और जनता के उद्धार के नाम पर तानाशाही और बेसिक डेमोक्रेसी की खड़ी की गयी खोखली शासन-व्यवस्था उन देशों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था को कहां ले जा रही है? इसके विरुद्ध हमारा अपना गणतंत्र है जो कि प्रतिवर्ष अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़तर बनाता चला जा रहा है। पूर्व और पश्चिम के देशों की तुलना में हमारा नवजात गणतंत्र अपनी आर्थिक व्यवस्था में एक के बाद एक कड़ी जोड़ता जा रहा है।

मैं अपने उन माननीय सदस्यों ने जिन्होंने कि राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी धन्यवाद के प्रस्ताव के ऊपर संशोधन दिये हैं उन से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह झूठ है कि भारत गणतंत्र ने इन पिछले १२ वर्षों में इस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है? क्या यह झूठ है कि हम ने चाहे वह कपड़े की बात हो, चाहे वह गल्ले की बात हो, चाहे वह कोई भी फील्ड की बात हो, हम ने तरक्की की है? अगर मेरे वह माननीय सदस्य इन सारी बातों को झूठ समझते हैं और वह प्रधान मंत्री महोदय की बात से सहमत नहीं हैं तो वह उस मित्र की नाई हैं जिसने कहा कि मित्र मैं घोड़े की आवाज तो पहचानता हूं लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं पहचानता हूं। यह माननीय सदस्य उस मित्र की तरह हैं।

हमारे गणतंत्र ने जो उन्नति की है उस को मैं राष्ट्रपति महोदय के शब्दों में रखना चाहूंगा। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है :—

> "मेरी सरकार का उद्देश्य और लक्ष्य अपनी नीतियों पर दृढ़तापूर्वक चलना और देश में लोकतंत्रात्मक तथा समाजवादी समाज की स्थापना के लिए प्रभावशाली कार्यवाही करना है।"

इस का उपाय क्या है? उन्होंने बतलाया है कि इसका उपाय हमारा भौतिक विकास, वेगवान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसका कि तृतीय चरण हमारी तृतीय योजना है। हमें अपनी योजनाबद्ध अर्थ व्यवस्था करनी है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में राष्ट्रपति जी ने कहा है :—

> "तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने दूसरे साल में है और इसका प्रारम्भ अच्छा हुआ है।"

अब मैं सदन का ध्यान राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उस मुख्य बात की ओर ले जाता हूं जिसका कि सम्बन्ध तेल उद्योग से है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में तेल उद्योग के सम्बन्ध

में काफी महत्व दिया है और काफी जोर दिया है। उन्होंने बतलाया कि हमें इसमें आशातीत सफलता मिली है। हमारे इस नवजात तेल उद्योग ने जो सफलता प्राप्त की है वह सचमुच हमारे लिए एक गौरव की बात है। इस देश ने तेल उद्योग के सम्बन्ध में इतने थोड़े दिनों में जो उन्नति की है और तेल उद्योग के इतिहास में हमारे देश को जो सफलता मिली है वह हमारे लिए सचमुच गौरव की बात है। चाहे वह आविष्कार का प्रश्न हो यानी ऐक्सप्लोरेशन का, चाहे रिफायनिंग का यानी सफाई करने का, चाहे उसके मार्केटिंग का यानी विक्रय का प्रश्न हो, इन तीनों चीजों को हमारी सरकार ने सार्वजनिक खंड में रख कर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है।

गुजरात में जो तेल मिल रहा है उसके फलस्वरूप हमारे देश में २० लाख टन की क्षमता वाली रिफायनरी बन जायेगी।

५ वर्षों में हमारे देश में तीन तेल शोधक कारखाने बन जायेंगे क्या यह हमारे लिए गर्व करने की बात नहीं है और क्या यह हमारी इस क्षेत्र में सफलता का द्योतक नहीं है? क्या यह सफलता का द्योतक नहीं है कि सरकार ने केवल ५ वर्षों में यह फैसला किया है कि अपने देश में तीन तेल शोधक कारखाने बनाये जायें? अगर यह तमाम बातें हमारी अवनति के नमूने हैं तो मैं ऐसा समझने वाले मित्रों पर रहम ही कर सकता हूं। क्या विश्व में इतने कम वर्षों में किसी देश ने इस क्षेत्र में इतनी उन्नति की है? सिर्फ यही नहीं आज हम बाहर से कितने डेसिफिट प्रोडेक्टस मंगाते हैं। किरोसिन आयल, एच० एस० डी० और फरनैस आयल आदि हम बाहर से मंगाते हैं। इन तेल शोधक कारखानों में उत्पादन प्रारम्भ होने के साथ ही हमारे देश में यह तमाम चीजें बननी प्रारम्भ हो जायेंगी। हमारा अपना अनुमान है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर ही हम १२० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत सिर्फ यह डेफिसिट प्राडक्ट्स का उत्पादन करके कर सकेंगे। अब क्या यह हमारी उन्नति की निशानी नहीं है? राष्ट्रपति जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा कि हमारे देश ने पिछले वर्ष में और पिछले कुछ दिनों में काफी तरक्की की है। उन्होंने यह भी बताया कि बरौनी के तेल शोधक कारखाने की प्रथम यूनिट में १९६३ के प्रारम्भ में उत्पादन शुरू हो जायगा। जब वह यूनिट काम करना शुरू कर देगी तो हमारे यहां तेल की काफी सुविधा हो जायगी। उन्होंने इस बात का भी संकेत किया है कि इन तीन तेलशोधक कारखानों से देश के विभिन्न भागों से तेल के आवागमन के लिए पाइप लाइन बिछायी जायेंगी। इसलिए वह माननीय सदस्य जो कि कहते हैं कि रेलवेज अपने यातायात के भार को नहीं ढो सकेगी बतलाना चाहूंगा कि रेलवेज का भार काफी कम हो जायगा। कलकत्ते से दिल्ली तक पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि का अर्जन हो रहा है और मेरा विश्वास है कि यह तेल का आवागमन रेल के कार्य को आसान कर देगा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो कि हमारी दायीं ओर बैठे हैं इससे सहमत होंगे कि यह एक बहुत बड़ी सफलता है। इस देश की योजना की बहुत बड़ी सफलता है और सरकार की बहुत बड़ी सफलता है।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में हमारा ध्यान सिर्फ तेल उद्योग की तरफ ही आकर्षित किया हो सो बात नहीं है। हम जीवन के किसी भी पहलू को लें, किसी भी चरण को लें, हमें स्पष्ट मालूम पड़ेगा कि हमारी तरक्की हुई है।

जैसा कि आपने प्रश्न उठाया और कहा कि हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट इस सदन के सामने रक्खा उस पर यह बहुत हो हल्ला हुआ कि इससे कपड़े का मूल्य बढ़ जायगा तो मैं बतलाना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि आज सिर्फ उन कपड़ों पर जो कि सुपरफाइन हैं दाम बढ़ाये गये हैं और जिनको कि हमारे कुछ धनिक मित्र पहनते हैं लेकिन इस देश की गरीब जनता जो कपड़ा पहनती है उस पर कीमत बढ़ने का प्रश्न नहीं है।

[श्री भागवत झा आजाद]

जहां तक कपड़े का सम्बन्ध है, पिछले बारह सालों मे हमने इतनी तरक्की की है कि जहां पहले हमारे यहां प्रति-व्यक्ति ८ गज़ कपड़ा तैयार होता था, आज प्रति-व्यक्ति १५–१६ गज़ कपड़ा तैयार हो रहा है। क्या यह बात झूठ है? क्या यह बात भी झूठ है कि जहां १९५० में इस देश की मिलों मे ३७२ करोड़ गज़ कपड़ा बनता था, वहां आज ५७० करोड़ गज़ कपड़े का उत्पादन होता है?

कुछ माननीय सदस्यों ने इस आशय के संशोधन पेश किये हैं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि देश में गरीबी बढ़ रही है और यह कि देश में प्राइसिज़ बढ़ रही हैं। सम्भव है कि पहले की तुलना मे वे बढ़ी हों, लेकिन साथ ही साथ यह भी सत्य है कि इस देश में अन्न, कपास, कपड़े और तेल आदि सब वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। माननीय सदस्य किसी भी चीज़ का नाम बतायें, जिसमें हमारे देश ने पिछले बारह साल में तरक्की नहीं की है। हां, यह बात ठीक है कि हमारे सामने और भी अहम प्रश्न हैं, जिनका समाधान हम खोज रहे हैं और जिनकी ओर राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि कृषि उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और कृषि की स्थिति सन्तोषजनक है। यह बात ठीक है। माननीय सदस्य भी यह मानेंगे कि १९५९–६० की तुलना मे हमारे देश में कृषि में ८.१ प्रतिशत वृद्धि हुई है। वे यह भी मानेंगे कि १९५५–५६ की तुलना में, जो कि हमारा बेस ईअर है, हमारे देश ने १९६०–६१ में १९.१ प्रतिशत अधिक अन्न उपजाया है। अगर ये तमाम बातें ठीक हैं, तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कृषि के क्षेत्र मे हमारे देश ने काफ़ी प्रगति की है।

स्टील और बड़ी बड़ी मशीनें बनाने का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहां १९५० की तुलना में ढाई गुना अधिक स्टील बन रहा है। जिस समय हमारे देश के तीनों इस्पात कारखाने पूरा उत्पादन करने लगेंगे––बोकारो का कारखाना अभी पूरा नहीं हुआ है––तो हमारे देश में ५९ लाख टन स्टील की पैदाइश होगी। क्या यह बात झूठ है कि दस बरस पहले की तुलना में हमारे देश में आज ११ गुना कीमत की मशीनें तैयार हो रही हैं

अगर ये बातें ठीक हैं, तो फिर माननीय सदस्यों को मानना होगा––जैसा कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है––कि पिछले बारह बरसों में इस देश ने कृषि, उद्योग, शिक्षा आदि सब क्षेत्रों में काफ़ी तरक्की का है और इसी के फलस्वरूप हमारे देश के हर एक आदमी की व्यक्तिगत आय २६२.२ रुपये से बढ़ कर ३३० रुपये हो गई है। क्या यह बात भी झूठ है?

जहां तक हमारे देश की राष्ट्रीय आय का सम्बन्ध है, वह १९५० में ९,५३० करोड़ थी, जबकि आज वह १४,६०० करोड़ हो गई है। इस प्रकार व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि और जीवन की अनेक सुविधाओं की उपलब्धि में उन्नति के कारण हर हिन्दुस्तानी की औसत आयु ४२ वर्ष हो गई है, जबकि पहले गुलाम हिन्दुस्तान में वह जीवन के कुल ३२ वसन्त ही देख पाता था।

अगर यह ठीक है कि इस देश में व्यक्तिगत और राष्ट्रीय आय पहले से काफ़ी बढ़ी है और मनुष्य की औसत आयु में भी वृद्धि हुई है, तो यह स्पष्ट है कि पिछले चौदह सालों मे हमने आशातीत तरक्की की है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि उन्नति और प्रगति के इस चित्र को एशिया की पृष्ठ भूमि में देखना चाहिये। आप ज़रा अरब के मुल्कों, बर्मा और पाकिस्तान आदि देशों से अपने देश की तुलना कीजिए। कुछ माननीय सदस्य कहेंगे कि हम रूस और अमरीका को देखें। हम उन को भी

देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपनी कमियों के प्रति भी असावधान नहीं हैं। हम सिर्फ़ यह नहीं कहते कि हमने तरक्की ही की है, बल्कि राष्ट्रपति जी ने कहा है कि इस तरक्की के बावजूद बेरोज़गारी एक बहुत अहम प्रश्न बन कर हमारे सामने खड़ी है। उन्होंने केवल तरक्की का ही उल्लेख नहीं किया, बल्कि उन्होंने संसद् के सदस्यों को इस गम्भीर समस्या के प्रति होशियार रहने के लिए भी सावधान किया है। इस प्रकार देश के सर्वांगीण विकास का जो रूप राष्ट्रपति जी ने हमारे सामने रखा है, उसके लिये हम कृतज्ञ हैं।

देश की उन्नति के साथ-साथ राष्ट्रपति जी ने हमारा ध्यान विदेश नीति की ओर भी आकृष्ट किया है। उन्होंने यह आशा व्यक्त की है कि जेनेवा में होने वाला निशस्त्रीकरण सम्मेलन सफल होगा। हमें दुख है कि प्रधान मन्त्री जी की अपील और संसद् के कुछ सदस्यों के श्री कैनेडी को अपने टैस्ट न करने का अनुरोध करने के बावजूद वह टैस्ट हुआ है, लेकिन यह एक तथ्य है कि हमारे पंचशील की आवाज़ संसार के हर एक कोने में गूंज रही है। हमारे प्रतिनिधि ने राष्ट्रसंघ में शान्ति की स्थापना को बल दिया है और उन तमाम देशों का समर्थन किया है, जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि हम आशा करते हैं कि हमारा प्रतिनिधि मण्डल राष्ट्र संघ में इन बातों पर बल देगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार राष्ट्रपति जी ने हमारे देश की घरेलू और वैदेशिक नीतियों पर पूरा प्रकाश डाला है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अन्तिम शब्द ये हैं :—

> "आप सब और हमारी लोकतन्त्रात्मक संस्थाएं स्थायी और शक्तिशाली बनें, लोगों को जनतन्त्रात्मक प्रयत्नों के लिए अधिकाधिक प्रेरित करें और शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को उन्नत करने में सहायक हों—यह मेरी कामना है।"

मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति जी ने अपनी विदाई के अवसर पर जो अभिभाषण संसद् को दिया, जो सन्देश हम को दिया कि संसत्सदस्य इस देश की जनता की आगे बढ़ायें और उसकी अर्थ-व्यवस्था को मज़बूत करें, ताकि हम सब का सपना पूरा हो, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये :
>
> "कि इस अधिवेशन में समवेत लोक-सभा के सदस्य उस अभि-भाषण के लिये राष्ट्रपति महोदय के अत्यन्त आभारी हैं, जो उन्होंने १८ अप्रैल १९६२ को एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है।"

राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये।

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
१	२	३
		(कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाए)
१	श्री नो० श्री० नायर	औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों को प्रगतिशील राज्यों के समकक्ष लाने का कोई जिक्र नहीं है।
५	श्री राम सेवक यादव	चढ़ती हुई कीमतों पर चिन्ता तथा उनके रोकने का कहीं कोई जिक्र नहीं है।

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
६	श्री राम सेवक यादव	बढ़ती हुई आर्थिक विषमता तथा न्यूनतम और अधिकतम आय निश्चित करने का कोई जिक्र नहीं है ।
७	श्री राम सेवक यादव	देश में बढ़ती हुई अराजकता, भ्रष्टाचार तथा पक्षपात का कोई जिक्र नहीं है ।
८	श्री राम सेवक यादव	पिछले आम चुनावों में पूंजीपतियों तथा सामन्तवादियों के द्वारा अपनाये गये गलत तरीकों का कहीं उल्लेख नहीं है ।
९	श्री राम सेवक यादव	हरिजनों, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक जातियों की और अधिक गिरती हुई अवस्था का कहीं जिक्र नहीं है ।
१०	श्री राम सेवक यादव	योजना की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है ।
११	श्री राम सेवक यादव	भारतीयक्षेत्र के पाकिस्तान तथा चीन के द्वारा अधिकृत किये गये क्षेत्रों का कहीं उल्लेख नहीं ।
१२	श्री राम सेवक यादव	देश में विदेशी शासकों की मूर्तियों को हटाने के सम्बन्ध मे कोई उल्लेख नहीं है ।
१३	श्री राम सेवक यादव	हिन्दी को सरकारी भाषा के रूप में पदस्थ करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
१४	श्री राम सेवक यादव	निश्चित शिक्षा नीति स्थिर करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
१५	श्री राम सेवक यादव	मनीपुर त्रिपुरा गोआ, दमन, और दीव में उत्तरदायी शासन की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है ।
१६	श्री राम सेवक यादव	ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों को विधान बनाने का तथा अधिकारियों पर प्रशासन का कोई अधिकार नहीं दिया गया है ।
१७	श्री राम सेवक यादव	राष्ट्रपति के चुनाव में ग्राम पंचायतों तथा स्थानीय निकायों के सदस्यों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है ।
२३	डा० रानेन सेन	तीसरे आम चुनावों में कुछ दलों द्वारा अपनाये गये अवैध तरीकों का कोई जिक्र नहीं है ।
२४	डा० रानेन सेन	पूर्व बंगाल से आये शरणार्थियों की दयनीय दशा का कोई उल्लेख नहीं है ।
२५	डा० रानेन सेन	सामान्य आवश्यकता की वस्तुओं मे वृद्धि का कोई जिक्र नहीं है ।
२६	डा० रानेन सेन	बढ़ती हुई बेरोजगारी का कहीं कोई जिक्र नहीं हैं ।
२७	श्री ह० प० चटर्जी	राज्यों के अल्प संख्यक भाषायिओं के हितों की रक्षा का कहीं जिक्र नहीं है ।
२८	श्री ह० प० चटर्जी	अभी तक नहीं बसाये गये शरणार्थियों का कहीं जिक्र नहीं है ।

१	२	३
२९	श्री ह० प० चटर्जी	सामान्त मे रहने वाले निवासियों की जिनके जीवन तथा सम्पत्ति की कोई सुरक्षा नहीं है उसका कोई उल्लेख नहीं है ।
३०	श्री ह० प० चटर्जी	अत्यधिक खर्चीले शासन में व्यय को कम करने का कहीं उल्लेख नहीं है ।
३१	श्री अ० क० गोपालन	योजना के अधीन पिछले दस वर्षों में विषमता की वृद्धि हुई है ।
३२	श्री अ० क० गोपालन	सरकार की वित्तीय नीतियों से बड़े पूंजीपतियों तथा एकाधिकार में वृद्धि हुई है ।
३३	श्री अ० क० गोपालन	तथाकथित आयोजित आर्थिक विकास से क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि हुई ई ।
३४	श्री अ० क० गोपालन	कारखाने में काम करने वाले मजदूर की आय में कीमतों की निरन्तर वृद्धि के कारण कमी हुई है ।
३५	श्री अ० क० गोपालन	स्वतन्त्रता के चौदह वर्ष बाद भी अस्पृश्यता किसी न किसी रूप से विद्यमान है ।
३६	श्री अ० क० गोपालन	दैनिक आवश्यकताओं की बढ़ती हुई कीमतों का कहीं उल्लेख नहीं है ।
३७	श्री अ० क० गोपालन	बेरोजगारी में असाधारण वृद्धि हो रही है ।
३८	श्री स्वैल	आसाम के पहाड़ी जिलों का पृथक राज्य बनाने का कहीं जिक्र नहीं है ।
५०	श्री धू० ना० मंडल .	पड़ौसी राज्यों के अधिकार में गये हुए भारतीय राज्य क्षेत्रों को प्राप्त करने का कहीं उल्लेख नहीं है ।
५१	श्री मू० ना० मंडल	समाज विरोधी तत्वों को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है ।
५२	श्री मू० ना० मंडल	सरकारी प्रशासन मे आम जनता की आवश्यकता को देखते हुए सुधार करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
५३	श्री धू० ना० मंडल	क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने में पंचवर्षीय योजनाओं के असफल रहने का कोइ उल्लेख नहीं है ।
५४	श्री भू० ना० मंडल	शिक्षा संस्थाओं को सरकार द्वारा लिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।
५५	श्री भू० ना० मंडल	आम चुनावों में काम में लाये गये अवध तरीकों का कोई जिक्र नहीं है ।
५६	श्री शि० स्वामी	इस में घाटे के आयव्ययक तथा अप्रत्यक्ष करों का कोई उल्लेख नहीं है ।

१	२	३
७०	श्री रिशांग किशिंग	मनीपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग का कोई उल्लेख नहीं है ।
७१	श्री रिशांग किशिंग	उत्तरी पूर्वी सीमान्त क्षेत्रों में विधि और व्यवस्था की असामान्य स्थिति का कहीं उल्लेख नहीं है ।
७२	श्री रिशांग किशिंग	उत्तर पूर्वी सीमान्त क्षेत्रों के प्रशासन में परिवर्तन करने के संबंध में कहीं उल्लेख नहीं है ।
७३	श्री मुजनी	नागरिकों को आधारभूत स्वतन्त्रता के उपभोग का आश्वासन देने का कोई उल्लेख नहीं है ।
७४	श्री मुजनी	विस्थापित व्यक्तियों के तत्काल पुनर्वास का कहीं उल्लेख नहीं है ।
७५	श्री मुजनी	आदि वासियों के पुनर्वास के लिये ठोस नीति नहीं है ।
७६	श्री राजाराम	मद्रास का नामकरण तमिलानाड करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।
७७	श्री राजाराम	खाद्यान्नों की कीमतों को स्थिर रखने का कोई उल्लेख नहीं है ।
७८	श्री राजाराम	दक्षिण में भारी उद्योगों के अभाव का उल्लेख न किया जाना।
७९	श्री राजाराम	आम चुनावों में हुए कदाचारों का [कोई उल्लेख नहीं है
८०	श्री मनोहरन्	श्रीलंका में बसे हुए भारतीयों की शोचनीय अवस्था ।
८१	श्री मनोहरन्	दक्षिण में हिन्दी थोपने की भ्रान्ति के दूर करने का कोई उल्लेख नहीं है
८२	श्री मनोहरन्	मद्रास को "क" श्रेणी का नगर बनाने के लिये उनकी मांग का कोई उल्लेख नहीं है ।
८३	श्री मनोहरन्	मद्रास का नाम बदल कर तामिलनाड रखने का सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है ।
८४	श्री दाजी	देश में बढ़ते हुए प्रतिक्रियावादी तत्वों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि ये लोकतन्त्र की उन्नति तथा देश में बढ़ते हुए समाजवाद की उन्नति के लिये खतरनाक हैं ।
८५	श्री दाजी	बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने तथा बेकारों को सहायता पहुंचाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
८६	श्री दाजी	मूल्यों के स्थिर करने, लाभ पर नियंत्रण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है

१	२	३
८७	श्री दाजी	देश में बढ़ती हुई एक स्वाधिकार प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाले खतरों का उल्लेख नहीं किया गया है ।
८८	श्री दाजी	कृषकों को उचित मूल्य की कोई गारंटी नहीं दी गई है ।
८९	श्री दाजी	विकास कार्यों में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने तथा देश के पिछड़े भागों का तेजी से विकास करने सम्बन्धी असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
९०	श्री दाजी	मैसूर तथा महाराष्ट्र के सीमा सम्बन्धी झगड़ों को निपटाने के लिये आवश्यक कार्यवाही तथा निर्वाचकों के विचारों को ध्यान में रख कर महाराष्ट्र राज्य को सीमावर्ती क्षेत्रों को देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।
९१	श्री दाजी	संविधान की आठवीं अनुसूची में सिंधी भाषा को सम्मिलित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
९७	श्री उ० मू० त्रिवेदी	पाकिस्तान तथा चीन द्वारा भारत की सीमा पर अतिक्रमण पर कोई विचार नहीं किया गया है ।
१०२	डा० ल० म० सिंघवी	विभिन्न स्तरों पर व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार तथा उस की रोकथाम की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
१०३	डा० ल० म० सिंघवी	विदेशों में प्रचार की कमी और विशेषत: भारत तथा गोआ की स्थिति के बारे में प्रचार की कमी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
१०४	डा० ल० म० सिंघवी	बेकारी की समस्या को हल करने के बारे में पर्याप्त प्रयत्न करने के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है ।
१०५	डा० ल० म० सिंघवी	मध्यवर्गी लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने के बारे में कोई कार्यवाही करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
१०६	डा० ल० म० सिंघवी	आम चुनाव के सम्बन्ध में जो कुप्रथायें अपनाई गई थीं उन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
१०७	डा० ल० म० सिंघवी	राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की वृद्धि के लिये लोगों में उत्साह भरने तथा जनता में सम्पर्क बढ़ाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
१०८	डा० ल० म० सिंघवी	देश के प्रशासन में नौकरशाही पद्धति के कारण होने वाले विलम्ब का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

१	२	३
१०९	डा० ल० म० सिंघवी	भारत के संविधान के अनुच्छेद २२६ में उचित संशोधन करने के लिये सरकार ने जो पहले आश्वासन दिया था उस को पूरा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
११०	डा० ल० म० सिंघवी	स्वायत्त शासन की दूसरी इकाइयों तथा पंचायतों में दलीय एवं वर्गीय प्रभाव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
१११	डा० ल० म० सिंघवी	पिछड़े राज्यों में विकास संसाधनों के लिये संतुलित एंवं उचित आवंटन करने के बारे में किसी कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया गया है ।
११२	डा० ल० म० सिंघवी	भावात्मक एकता तथा सांस्कृतिक ठोसता प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न करन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
११३	डा० ल० म० सिंघवी	गणतन्त्र राज्य में हिन्दी को उचित स्थान दिलाने के लिये महान प्रयत्नों की आवश्यकताओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
११५	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	मूल्यों में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी इस के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
११६	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	परिवहन, विद्युत् तथा कोयले के अनुपयुक्त योजना के कारण बड़े बड़े संयंत्रों का काफ़ी भाग बेकार पड़े रहने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
११७	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	दक्षिण-अफ्रीका में भारतीयों द्वारा उठाये जाने वाली कठिनाइयों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
११८	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने और उन के झगड़ों को निपटाने के लिये पर्याप्त कार्य-वाही करने मे सरकारी असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
११९	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में कर्मचारियों के वास्तविक वेतनों को बनाये रखने के लिये सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है ।
१२०	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	दूसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता एवं उस असफलता के विस्तृत कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है ।

१	२	३
१२१	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	चीन द्वारा बलपूर्वक हथियाई गयी भूमि को फिर से वापस लेने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
१२२	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	अन्तर्राज्यीय सीमा विवादों को निपटाने के बारे में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
१२३	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	भारतीय क्षेत्राधिकार में पाकिस्तान के आक्रमणों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
१२४	श्री लहरी सिंह	चीन द्वारा भारत की सीमा पर अभी हाल में करे गये आक्रमणों तथा चीन द्वारा भारत की भूमि पर किये गये अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिये क्या कार्य-वाही की जायेगी इस का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
१२५	श्री लहरी सिंह	देश की अर्थव्यवस्था में गम्भीर मुद्रास्फीति फलस्वरूप बढ़ते हुए मूल्य और उस के कारण जनसाधारण को होने वाली कठिनाइयों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
१२६	श्री लहरी सिंह	भारत तथा नेपाल के आपसी सम्बन्धों में अभी हाल में जो कटुता उत्पन्न हो गई है तथा उस को सामान्य अवस्था में लाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
१२७	श्री लहरी सिंह	देश में योजना के कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा स्थिति को सुधारने के बारे में की जाने वाली कार्य-वाहियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
१२८	श्री अ० क० गोपालन	केरल तथा आसाम जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–मध्य) : वर्तमान राष्ट्रपति अवकाश ग्रहण कर रहे हैं उन्होंने अपने जीवनकाल में राष्ट्र की सेवा की है । निश्चय ही उन का जीवन अनुकरणीय है । हमारी शुभकामनाएं उन के साथ हैं ।

यह देख कर धक्का लगता है कि अमरीका ने समस्त संसार की राय को ठुकरा दिया है विशेष-कर उसने तटस्थ राज्यों द्वारा आणविक परीक्षणों को बंद करने की अपील को ठुकरा दिया है ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुखर्जी]

हमारे प्रधान मंत्री ने अभी उस दिन आणविक सत्ता वाले देशों से अपील की थी कि वे आणविक परीक्षण न करें क्योंकि ये परीक्षण घातक हैं। 'क्रिस्मस' क्रास को ईसाई धर्म के विरुद्ध कही जा सकने वाली क्रियाशीलता का केन्द्र बनाया गया है। तटस्थ देशों तथा समाजवादी राज्यों का इन परीक्षणों के रोकने में साझा हित है तथा उन्हें इस दिशा में अधिक सक्रियता से काम करना होगा।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में नीति सम्बन्धी बातों का कोई उल्लेख नहीं किया है। यह नई संसद् तीसरी योजना को क्रियान्वित करने के लिये है किन्तु खेद की बात है कि अभिभाषण में तत्काल की आशा का कोई संकेत नहीं है तथा हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिये लोगों को कोई प्रोत्साहन नहीं देता है।

आम चुनावों से सत्तारूढ़ दल की इस कमज़ोरी की पोल खुल गयी है कि वह देश में साम्प्रदायिकता को समाप्त करने में असफल रही है। प्रतिक्रिया तत्व ज़ोर पकड़ रहे हैं तथा उन के विरुद्ध कोई सक्रिय उपाय नहीं किये जा रहे हैं। स्वयं शासी दल ने उन तरीकों को अपनाया है जो केवल इन तत्वों द्वारा ही अपनाये जाने के योग्य थे। उस दल द्वारा प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाएं इन का प्रमाण हैं।

आयव्ययक में उल्लिखित आर्थिक नीतियों से समाज विरोधी प्रवृत्तियों का निरूपण होता है। लोगों के दुख की ओर उपेक्षा का रुख अपनाया जाता है। अन्दमान, इलाहाबाद तथा कानर जैसे कई शहरों में गोली चलाई गई है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कानपुर में भी इसी प्रकार की घटनाएं हुईं। इस से इस बात का पता चलता है कि हवा का रुख किस ओर है। बड़ी बात तो यह है कि ये सब बातें आम चुनाव के बाद हुईं।

यह देख कर दुख होता है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों की समस्या की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। मेरा निवेदन है कि उन की समस्याओं की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये। उन को बसाने की समस्या अभी तक मुंह बाये खड़ी है। वहां के लोगों को रहने तक के लिये स्थान नहीं है वे सड़कों पर रह रहे हैं। अतः उन को बसाने के लिये यथाशक्ति शीघ्र ही प्रयत्न किया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय एकता की ओर भी हमारी सरकार का विशेष ध्यान नहीं जा रहा। क्षेत्रीय लोगों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहां तक कि उन क्षेत्रों में केन्द्र से अलग होने की मांग होने लगी हैं। पता नहीं इस मांग की गहराई क्या है, क्योंकि किसी दल का देश से ही अलग हो जाने की मांग करना समझ में आने वाली बात नहीं है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि इस आड़ में दक्षिण वालों की मांगों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यहां तक वे लोग मद्रास राज्य का नाम तामिलनाड रखना चाहते हैं तो सरकार को यह बात स्वीकार नहीं। हालांकि इसमें कोई विशेष कठिनाई की बात नहीं। मेरा अनुरोध है कि मद्रास राज्य को तामिलनाद का नाम देने की मांग स्वीकार कर ली जानी चाहिए।

देखा जाता है कि शासक दल पिछड़े हुए क्षेत्रों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करती है। यह व्यवहार प्रायः नौकरी शाही और तंगदिली का द्योतक है। कई लोगों को इसलिये सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती क्योंकि उनका सम्बन्ध किसी न किसी विरोधी पक्ष के साथ होता है अथवा उनकी सहानुभूति उनके साथ होती है।

मेरा निवेदन है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण लोगों की चिन्ताओं से कोसों दूर है बस इतना ही कहा गया है कि बस सब ठीक है। तीसरी योजना ठीक है, खाद्य उत्पादन बढ़ रहा है और अन्य समस्यायें हल हो रही हैं। परन्तु मेरा मत यह है कि तीसरी योजना में जो कमियां स्वयं सरकार की ओर से बताई गयी हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर हैं। कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योगों के उत्पादन में कमियां हैं। इस्पात उत्पादन और खाद्य उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया। आज कीमतें धड़ाधड़ बढ़ रही हैं परन्तु खाद्यान्न के मूल्यों में स्थिरता का कारण पी एल ४८० का आयात है, परन्तु भूधृति तथा भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून आशाजनक नहीं है। साधारण व्यक्ति की अवस्था में कोई विशेष अन्तर नहीं आया है। इस प्रकार मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति अपना अधिक से अधिक असन्तोष व्यक्त करता हूं।

†**डा० ल० म० सिंघवी** (जोधपुर) : मैं भारतीय लोकतंत्र के राष्ट्रपति को विदा का प्रणाम प्रस्तुत करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धा के फूल भेंट करता हूं। उन्होंने देश के समक्ष बलिदान और देश सेवा का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है, परन्तु इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि उनका अभिभाषण उन सब आश्वासनों को पूरा नहीं करता जिसका आश्वासन कांग्रेस दल ने चुनावों के समय दिया था। उसमें सरकार को नीतियों के तथा कार्यक्रमों का कोई नया नक्शा नहीं प्रस्तुत किया गया। अभिभाषण में बड़ी गम्भीर बातों की उपेक्षा की गई है।

यह तो सन्तोष की बात है कि भारत ने लोकतंत्रीय प्रणाली को अपनाया है और बहुत बड़ा चुनाव इस देश में हुआ है, जिसके लिये हमें चुना व आयोग को मुबारकबाद देनी चाहिए। परन्तु इस दिशा में कुछ ऐसी भी बातें हुई हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। पदासीन दल ने सरकारी शक्ति का खूब प्रयोग किया है। कांग्रेस के नेता एक ओर तो साम्प्रदायिकता और जाति भेद इत्यादि की निन्दा करते हैं परन्तु दूसरी ओर वे साम्प्रदायिक वर्गों जैसे ढंग अपनाते रहे हैं। कांग्रेस दल को अपनी विजय पर फूल नहीं उठना चाहिए बल्कि उन्हें चुनावों में जो कमियां रह गयी हैं उस पर विचार करना चाहिए ताकि भविष्य में भारत में लोकतंत्र मजबूत हो सके। इस बारे में मेरा मत यह है कि संसदीय प्रजातन्त्र प्रणाली के लिए विरोधी दल का होना जरूरी है। एक सक्रिय विरोधी दल के बिना प्रजातन्त्र सफल नहीं हो सकता।

यह भी बड़ी खेदजनक बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश में सर्वत्र विद्यमान भ्रष्टाचार का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसे दूर करने का आश्वासन भी नहीं दिया गया। मेरा कहना तो यह है कि सरकार इसे रोकने में बिल्कुल असफल रही है। इस बुराई को दूर किया जाना बड़ा ही आवश्यक है, इसके बिना देश प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकता। देश के लिए एक स्वच्छ, ईमानदार तथा सकुशल प्रशासन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों में चौकसी समितियां बनाई जानी चाहिएं तथा प्रक्रियाओं को कड़ा बनाया जाना चाहिए। नमूने के तौर पर किसी भी राज्य में राजनीति में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सम्पत्तियों की जांच की जानी चाहिए। पंजाब और राजस्थान में तो इस प्रकार की जांच की बहुत ही आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी कामों में जो लालफीताशाही का बोलबाला हो रहा है उसे भी कम किया जाय। इससे भी काम की बहुत हानि होती है।

आर्थिक समस्या को हल करने के बारे में भी अभिभाषण में कोई विशेष संकेत नहीं है। इस दिशा में प्रगतिशील दृष्टिकोण का नितान्त अभाव है। समाजवाद का नाम लेकर ही सारे अवगुणों और दोषों को छिपाने का यत्न किया जाता है। मेरा निवेदन है कि हमें इस सरकारी पूंजीवाद को समाजवाद का दर्जा नहीं देना चाहिए। स्थिति के सुधार के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिएं। सरकारी

---

†मूल अंग्रेजी में

उपक्रमों को अध्ययन करने पर पता चलता है कि जितनी फजूल खर्ची वहां होती है उतनी उन गैर-सरकर उपक्रमों में नहीं होती जिनका कि निरन्तर विरोध किया जाता है। उनकी मजदूरी व्यवस्था तथा उत्पादन व्यय गैर-सरकारी सार्थों से बहुत अधिक है और कोई वाद श्लाघा योग्य नहीं है। हमें व्यावहारिक रूप में समाजवाद का प्रभाव देखना चाहिए और समाजवाद के नाम पर चल रहा भ्रष्टाचार रोकना होगा।

इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है बेरोजगारी, जिसे सरकार हल नहीं कर सकी। स्वयं सरकार की ओर से भी इस बात को स्वीकार किया गया है। । शायद सरकार यह समझने लग गयी है कि यह प्रश्न हल नहीं हो सकता। परन्तु इसके प्रति अधिक देर उदासीन नहीं हुआ जा सकेगा। इस समस्या के साथ शिक्षित बेरोजगारों की समस्या भी सम्बद्ध है। अतः इससे देश में क्रांति हो सकती है। इसे सन्तोषजनक ढंग से हल करना ही होगा।

इस के पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९६२/वैशाख ७, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

गुरुवार, २६ अप्रैल, १९६२ ।
६ वैशाख, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	४९१—५१४
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१९६	नोटों आदि का कागज बनाने वाला कारखाना	४९१–९२
१९७	भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान से डकैतियां	४९३–९४
१९८	चीनी वायुयानों द्वारा भारतीय सीमा का अतिक्रमण	४९५–९६
२००	इनामी बान्डों की बिक्री	४९६–९७
२०१	असम में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	४९८—५००
२०२	पाकिस्तान से कोयला .	५००–०१
२०३	प्रतिरक्षा कारखानों में ट्रेक्टरों का निर्माण .	५०१—०४
२०४	दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रावास	५०४—०६
२०५	हेवी इलेक्ट्रिकल्ज़ लिमिटेड, भोपाल	५०६–०८
२०६	अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के सुझाव	५०८–०९
२०८	खिलाड़ियों को "अर्जुन पुरस्कार"	५०९—११
२०९	विज्ञान मन्दिर	५११—१३
२१०	पुलिस द्वारा काम में लाये जाने वाले अत्याचार के तरीके	५१३–१४
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	५१४—४१
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१९९	विश्वविद्यालय के छात्रों का कल्याण	५१४–१५
२०७	तीसरी योजना के लिये अध्यापिकायें	५१५
२११	भारत को पाकिस्तान द्वारा लौटाया जाने वाला ऋण	५१५–१६
२१२	गोरखपुर में उर्वरक कारखाना	५१६
२१३	उद्योगों के वित्तीय ढांचे का अध्ययन	५१६–१७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

२१४ ट्रांजिस्टरों का निर्माण ५१७
२१५ दिल्ली में कोयले की कमी ५१७
२१६ धातुमिश्रित और विशेष इस्पात संयंत्र ५१८
२१७ चीनी राष्ट्रजन ५१८
२१८ नौसेना के लिये आयात की गई सिगरेटों का दिल्ली मे विक्रय ५१८–१९
२१९ किरीबुरु लौह-अयस्क परियोजना ५१९
२२० पाकिस्तान में भारतीय लेखकों का प्रतिलिप्याधिकार ५१९–२०
२२१ किरीबुरु परियोजना मे पीने के पानी का सम्भरण ५२०
२२२ प्रतिरक्षा सामान तथा उपकरणों का उत्पादन ५२०
२२३ पेंशन की अदायगी ५२१
२२४ पंजाब में तेल की खोज ५२१
२२५ फेरो-मेंगनीज उद्योग ५२१–२२
२२६ एवरों-७४८ विमान ५२२
२२७ रूरकेला इस्पात संयंत्र ५२२
२२८ किरीबुरु लौह-अयस्क परियोजना ५२३
२२९ बोकारो इस्पात कारखाना ५२३–२४
२३० इस्पात संयंत्र ५२४
२३१ टैंकों का निर्माण ५२५
२३२ विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के मामले ५२५

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१८३ यरकला और एरादी जातियां ५२५
१८४ ज्वालामुखी में छिद्रण ५२५–२६
१८५ खम्भात और क्लोल क्षेत्रों में तेल की खोज ५२६
१८६ आन्ध्र में सीमेंट फैक्टरी ५२६
१८७ प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतन-क्रम ५२६–२७
१८९ मैसूर राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां ५२७
१०९ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का १९६०–६१ का प्रतिवेदन ५२७

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१९१	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां	५२७–२८
१९२	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण की योजनायें	५२८
१९३	अखिल भारतीय विधीजीवी परिषद्	५२८
१९४	मद्यनिषेध .	५२९
१९५	साक्षरता का विस्तार	५२९
१९६	जन सम्भरण तथा सफाई परियोजनाओं के लिये सहायत	५३०
१९७	विश्व बैंक के विशेषज्ञों का दौरा	५३०
१९८	बुनियादी शिक्षा	५३१
१९९	पाठ्य पुस्तकें	५३१
२००	उत्तर प्रदेश में कोक तथा कोयले की कमी	५३१
२०१	न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग किया जाना	५३२
२०२	भारत सर्वेक्षण विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	५३२
२०३	भारत आने वाले विदेशी शिष्ट मंडल	५३२
२०४	उत्पादन शुल्क विभाग में भ्रष्टाचार	५३३
२०५	दिल्ली मे मकानों के प्लाटों का विकास	५३३
२०६	ईंटों का मूल्य	५३३–३४
२०७	दिल्ली में मकान बनाने के लिये हरिजनों को दी गई राशि	५३४
२०८	अध्यापकों की शिक्षा	५३४
२०९	शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लक्ष्य	५३४
२१०	रेडियो सेटों पर उत्पादन शुल्क का लगाया जाना	५३५
२११	दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों के बारे में वेतन आयोग का सिफारिशें	५३५
२१२	बस्तर के भूतपूर्व शासक को भत्ता	५३५–३६
२१३	प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिये निःशुल्क भोजन और वस्त्र	५३६
२१४	केरल मे अट्टापडी आदिम जाति विकास खण्ड	५३६
२१५	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्त	५३६–३७
२१६	अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी विधान	५३७

विषय पृष्ठ

लिखित उत्तर : (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२१७ आन्ध्र के लिये कोयले का अभ्यंश ५३८

२१८ तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में अध्यापकों की आवश्यकता ५३८

२१९ ऐवरेस्ट अभियान ५३९

२२० फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को ५३९-४०

२२१ सागर के समीप एरान में पुरातत्वीय वस्तुयें ५४०

२२२ दिल्ली के शिक्षकों को खेलों का प्रशिक्षण ५४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ५४१-४२

श्री आर० किशिंग ने असम की नाम रूप उर्वरक परियोजना के प्राधिकारियों द्वारा लगभग ७०० परिवारों की प्रस्तावित बेदखली से उत्पन्न स्थिति की ओर इस्पात और भारी उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाया।

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५४२—४५

(१) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९६१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १६ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४६३।

(दो) दिनांक १६ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४६४।

(तीन) दिनांक २० जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७७।

(चार) दिनांक २७ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १०१।

(पांच) दिनांक १० फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १५७।

(छः) दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १८७।

(सात) दिनांक २४ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २२५।

(आठ) दिनांक २४ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २२८।

(२) लोक सहायक सेना अधिनियम, १९५६ की धारा ११ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ९ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २५७ में प्रकाशित लोक साहायक सेना (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

सभापटल पर रखे गये पत्र (क्रमशः)

(३) नौसेना एक्ट, १९५७ की धारा १८५ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं की एक-एक प्रति : —

(क) दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३८९ में प्रकाशित नौसेना (निजी सम्पत्ति का निर्वंतन) विनियम, १९६१ ।

(ख) दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३९० में प्रकाशित नौसेना (अधिकृत कटौतियां) संशोधन विनियम, १९६१ ।

(ग) दिनांक १० मार्च, १९६२ की एस० आर० ओ० संख्या ८९ द्वारा संशोधित दिनांक १० फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४६ में प्रकाशित पत्नियों और बच्चों का भरण-पोषण (वेतन से कटौतियों की दर) विनियम, १९६२ ।

(४) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ और समद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत जिस में सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३८७ की एक प्रति ।

(५) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ और समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० ३८८ की एक प्रति । दिनांक १० मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २८८ और २८९ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(६) समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ३८९ ।

(ख) दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ३९० ।

(ग) दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ३९१ ।

(घ) दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ३९२ ।

(७) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३९३ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र (क्रमशः)

(८) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १८ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४९५ की एक प्रति।

(९) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निर्वाचकों का पंजीयन नियम, १९६० में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २१ दिसम्बर, १९६१ की एस० ओ० संख्या २३१५।

(दो) दिनांक २४ नवम्बर, १९६१ की एस० ओ० संख्या २७९१।

(१०) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २७ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ५९७ में प्रकाशित निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति।

समितियों के लिये निर्वाचन ५४५–५४६

(१) वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सदस्य, प्रौद्योगिकीय संस्था अधिनियम के अधीन परिषद के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(२) वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) ने यह प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के सदस्य, भारतीय खान स्कूल धनवाद की प्रशासकीय परिषद के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से १ सदस्य चने। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रेलवे आयव्ययक—सामान्य चर्चा ५४५—६७

आयव्ययक (रेलवे), १९६२–६३ पर सामान्य चर्चा जारी रही और समाप्त हुई।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ५६७—८४

श्री हरिश्चन्द्र माथर ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुतकिया। श्री भागवत झा आजाद ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। धन्यवाद प्रस्ताव परछियासी संशोधन प्रस्तुत किये गये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९६२/७ बैशाख, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और उसके संशोधनों पर अग्रतर चर्चा तथा गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार।

GMGIPND LS III—360 (Ai) LSD—9-6-62—150